




तम्बाकू बोर्ड



वार्षिक प्रतिवेदन
2020-21

एफसीवी तम्बाकू की कृषि & संसाधन में चक्रीय गतिविधियाँ



विश्व व्याप्त अधिमान्य चयन...

भारतीय तम्बाकू आपके सभी रुचियों का समाहार



तम्बाकू बोर्ड भारत

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग, भारत सरकार

गुणदूर - 522 004 (आ.प्र.), इंडिया | फोन : +91 863 2358068, 2358399 | फैक्स : +91 863 2354232
ई-मेल : info@tobaccoboard.co.in | exports@tobaccoboard.co.in | वेबसाइट : www.tobaccoboard.com

विषयसूची

बोर्ड संघटन	5
वरिष्ठ प्रबंध	6-7
2020-21 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन	8
2020-21 के दौरान बैठकें	9-10
दि. 31/03/2021 तक मंजूर और मौजूदा संख्या दर्शानेवाली विवरण	11
तम्बाकू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट	12

फसल योजना & नियंत्रण

I. भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ	13
II. 2020-21 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति	13
III. 2020-21 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टताएँ	14
IV. 2020-21 के लिए पंजीकरण मापदण्ड - विशिष्टताएँ	14-15
V. 2020-21 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार विस्तार तथा प्राधिकृत उत्पादन कोटा	15-16
VI. उत्पादन नियंत्रण अभियान	16
VII. 2020-21 के दौरान पंजीकृत ग्राहकों के विवरण	16
VIII. 2020-21 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट	17-18
IX. 2020-21 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट	19-22
X. 2019-20 के दौरान आधिक्य / अप्राधिकृत तम्बाकू की विक्री	22
XI. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों का प्रचार	22-23
कर्नाटका में 2020-21 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफॉर्म वार ग्राहक रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	23
आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफॉर्म वार ग्राहक रजिस्ट्रेशन व प्लानटेशन विवरण	24-25

विस्तार और परामर्श सेवाएँ

I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति	26-28
II. 2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने (एसटीपी) तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार एवं विकासात्मक योजनाएँ	29-38
III. हरियाली की वृद्धि	38
IV. प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण	39-45

V.	2020-21 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय	45
	2020-21 फसल मौसम-विस्तार & विकास योजनाएँ-भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ	46
	2020-21 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत अजा/अजजा/महिला एवं अन्य ग्रोयर्स को कवरेज	47-49

ग्रोयर कल्याण पहलू (सूत्रपात)

i)	तम्बाकू बोर्ड ग्रोयर कल्याण निधि	50
ii)	किसानों को उत्पादन सम्बन्धित सेवाएँ	50-51
	दि.31/03/2021 तक योजना का आरंभ से अनुदान / व्याज मुक्त ऋण के रूप में वित्तीय सहायता	52

प्लेटफार्मों पर नीलामकार की सेवाएँ

I.	आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	53-59
II.	कर्नाटका में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	59
III.	कर्नाटका में 2020-21 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	59-62
IV.	आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ	62-64
V.	2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित कुल तम्बाकू परिमाण	64
	01/04/2020 से 31/03/2021 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण ।	65-66
	2021 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - 31/03/2021 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण	67
	2020 कर्नाटका नीलाम - 31/03/2021 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण	68
	01/04/2020 से 31/03/2021 तक की अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्रेता वार खरीदी	69-70
	2019-20 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - एपीमार्कफेड द्वारा श्रेणी वार & मिट्टी क्षेत्र वार खरीदी	71-72

व्यापार स्कंध

I.	प्रोसेसर/निर्माणकर्ता/वर्जीनिया तम्बाकू के बाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता/तम्बाकू तथा तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक/पैकर/तम्बाकू डीलर के रूप में पंजीकरण	73
----	---	----

भारत से तम्बाकू & तम्बाकू उत्पादों के निर्यात

I. भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण	74
II. निर्यात संवर्धन गतिविधियाँ	80

राजभाषा कार्यान्वयन

I. राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए लिये उपाय, हिन्दी शिक्षण योजना, हर दिन एक शब्द सीखिये, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ, कम्प्यूटरों पर हिन्दी और कार्यशाला	81
--	----

वित्त एवं लेखा

I. आंतरिक साधन	82
II. बजट अनुमान	82-83
दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुन्डूर की लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखा-परीक्षण रिपोर्ट	84-86
तम्बाकू निधि लेखा - 31 मार्च, 2021 तक वित्तीय विवरण तुलन-पत्र	87
31 मार्च, 2021 अंत तक वर्ष/अवधि के लिए आय व व्यय लेखा	88
उद्दिष्ट निधियों का निधि शेष (तुलन पत्र)	89-91
अनुसूची - 24:31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ	92-96
अनुसूची - 25:31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर आकरिमक देयताएँ तथा नोट	97
लेखाओं पर टिप्पणी	98-109
31/03/2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान	110-118
2009-10 से 2020-21 तक गैर-योजना & योजना के अंतर्गत निधि प्रवाह (प्लो) स्थिति दर्शाने वाला विवरण	119
संकेताक्षर	120

बोर्ड संघटन

(दि. 31/03/2021 तक)

समीक्षाधीन अवधि के दौरान, बोर्ड, निम्नानुसार गठित किया गया था :

धारा 4 की उपधारा 4 (क) के अंतर्गत अध्यक्ष का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री यङ्लपाटी रघुनाथ बाबू, अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड

धारा 4 की उपधारा 4 (ख) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री बंडी संजय कुमार, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री वल्लभनेनी बालशौरी, माननीय संसद सदस्य (लोक सभा)

श्री आर.के. सिन्हा, माननीय संसद सदस्य (राज्य सभा)

धारा 4 की उपधारा 4 (ग) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री विजय राज मोहन, निदेशक (व्यापार - कृषि संबंधित), भारत सरकार, कृषि मंत्रालय ।

श्रीमती नीतिका बन्साल, निदेशक (वाणिज्य सम्बन्धित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ।

श्रीमती रुपा दत्ता, आर्थिक सलाहकार (वित्त सम्बन्धित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग ।

श्री संपा साहा, निदेशक (औद्योगिक विकास सम्बन्धित), भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, उद्योग विभाग ।

डॉ. डी.दामोदर रेड्डी, निदेशक, केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान, राजमहेन्द्रवरम

श्री पूनमचंद परमार, भा.प्र.से., कृषि निदेशक, गुजरात सरकार।

श्री बी.वाई. श्रीनिवास, कृषि निदेशक, कर्नाटका सरकार।

डॉ.(श्रीमती) पूनम मालकोंडय्या, भा.प्र.से., विशेष प्रधान सचिव, खाद्य, कृषि & सहयोग विभाग, आन्ध्र प्रदेश सरकार ।

धारा 4 की उपधारा 4 (घ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

रिक्त - कृषि निदेशक, महाराष्ट्र सरकार

रिक्त - निदेशक - कृषि & खाद्य उत्पाद, ओडिशा सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (ङ) के अंतर्गत सदस्यों का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

1. श्री गुंडाल कोंडा रेड्डी, उपाध्यक्ष

2. श्री पोलिशेट्टि श्याम सुन्दर

3. श्री शफीक यू.आर. रहमान खान

4. श्री यार्लगड्डा अंकम्मा चौधरी

5. श्री कोडवटि वासुदेव राव

धारा 4 की उपधारा 4 (च) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री पी. के. स्वैन, भा.प्र.से., कृषि विपणन सलाहकार-भारत सरकार।

धारा 4 की उपधारा 4 (छ) के अंतर्गत - पदेन-सदस्य का नियुक्त भारत सरकार द्वारा किया गया;

श्री ए. श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., कार्यपालक निदेशक, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर

वरिष्ठ प्रबंध

(दि.31/03/2021 तक)

प्रबंध और वरिष्ठ कर्मचारीगण

अध्यक्ष

कार्यपालक निदेशक

सचिव

निदेशक (नीलाम)

प्रबंधक (वित्त व लेखा)

प्रबंधक (विपणन और निर्यात)

प्रबंधक (विस्तार)

प्रबंधक (नीलाम) (प्रभारी)

प्रबंधक (उत्पादन) (प्रभारी)

प्रादेशिक प्रबंधक (दकामि, ओंगोल)

प्रादेशिक प्रबंधक (दहमि, ओंगोल)

प्रादेशिक प्रबंधक (उ.ह.मि, राजमहेन्द्रवरम)

प्रादेशिक प्रबंधक (मैसूर)

प्रादेशिक प्रबंधक (पेरियापट्टना)

सहायक प्रबंधक (यो व स)

कार्मिक अधिकारी

ओ.एस.डी. (सतर्कता)

कर्मचारी गण

डाक पता :

दूरभाष सं/फैक्स

ई-मेल & वेबसाईट :

श्री वाई. रघुनाथ बाबू

श्री आर. मुत्तुराजू, भा.व्या.से., 3 दिसंबर 2020 तक

श्री अदंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से., 3 दिसंबर 2020 से

श्री अदंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,

श्रीमती एम. अश्वनी नायडू, भा.वि.से., 7 अक्टूबर 2020 से

श्रीमती पी. मीना कुमारी

श्री सीएच. वी. मारुती प्रसाद, दि. 31/07/2020 तक

श्री के.एस.आर. कृष्णा रेड्डी, दि. 01/08/2020 से

श्री एम. हनुमंत राव

श्री के. मधुसूदन राव

डॉ. (श्रीमति) एम. कृष्णश्री

श्री आर. श्रीनिवासुलु नायडू

श्री डी. वेणु गोपाल

श्री के.वी. राजप्रकाश

श्री बी. मंजुनाथ

श्री बी. मारन्ना

श्री सी. गोपीनाथ, दि. 30/06/2020 तक

श्री ए.वी.एस. रामकृष्णा रेड्डी

श्री जी. दामोदर

वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 76

मध्य श्रेणी प्रबंध : 88

कनिष्ठ श्रेणी प्रबंध : 214

कुल : 378

तम्बाकू बोर्ड

भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय


वाणिज्य विभाग

पोस्ट बॉक्स नं. 322, जी.टी. रोड, गुण्टूर - 522 004 (आन्ध्र प्रदेश)

0863-2358399/0863-2354232

info@tobaccoboard.co.in/www.indiantobacco.com

कारपोरेट शासन



वाई. रघुनाथ बाबू
अध्यक्ष



अदंकि श्रीधर बाबू, भा.प्र.से.,
कार्यपालक निदेशक



एम. अश्वनी नायडू, भा.वि.से.,
निदेशक (नीलाम)



पी.मीना कुमारी
प्रबंधक
(वित्त व लेखा)



के.एस.आर.कृष्णा रेड्डी
प्रबंधक
(विपणन & निर्यात)



एम. हनुमंत राव
प्रबंधक
(विस्तार)



के. मधुसूदन राव
प्रबंधक (प्रभारी)
(नीलाम)



डॉ. एम. कृष्ण श्री
प्रबंधक (प्रभारी)
(उत्पादन)



बी. मंजुनाथ
प्रादेशिक प्रबंधक
मैसूर



आर. श्रीनिवासुल नायडू
प्रादेशिक प्रबंधक
द का मि, ऑंगोल



डी. वेणुगोपाल
प्रादेशिक प्रबंधक
द ह मि, ऑंगोल



के.वी. राज प्रकाश
प्रादेशिक प्रबंधक
राजमहेन्द्रवरम



बी. मारन्ना
प्रादेशिक प्रबंधक
पेरियपट्टना

2020-21 के दौरान तम्बाकू बोर्ड की गतिविधियाँ - एक पुनरवलोकन

तम्बाकू बोर्ड की स्थापना, भारत सरकार के द्वारा, “तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975” के तहत, तम्बाकू उद्योग में सर्वतोमुखी विकास लाने के लिए, की गई थी। बोर्ड की प्राथमिक भूमिका - तम्बाकू किसानों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद दामों तथा निर्यातों के विकास के साथ एक सक्रिय खेतीबारी पद्धति की सुविधा (सुचारु) प्रणाली का सुनिश्चयन है।

तम्बाकू, भारत में उगाने वाले मुख्य वाणिज्यिक फसलों में एक हैं। वर्ष 2020-21 के दौरान यह प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से 45.7 मिलियन लोगों को रोजगार देती है और विदेशी मुद्रा के रूप में ₹ 6,305.94 करोड़ रुपये राष्ट्रीय राजकोष को योगदान देती है। विश्व में तम्बाकू उत्पादन में भारत का एक विशिष्ट स्थान है। **भारत विश्व में तम्बाकू उत्पादन में दूसरा और निर्यात में तीसरा स्थान प्राप्त किया है।** भारत एफसीवी तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों का उत्पादन करता है, जो विभिन्न आग्रे जल-वायु स्थितियों के अंतर्गत उनके भौतिक एवं रसायनिक लक्षणों से भिन्न-भिन्न हैं। भारतीय तम्बाकू विश्व-व्याप्त 123 से अधिक देशों को निर्यात किया जाता है। भारत, निर्यातों के लिए उत्पादन का एक आकर्षक विविधकृत आधार प्रदान करते हुए तम्बाकू के विभिन्न प्रकारों, विशेषताओं एवं मूल्य श्रेणियों के लिए एक ओन-स्टॉप शॉप प्रदान करता है। एफसीवी तम्बाकू का पैदावार, पारंपरिक काली मिट्टी (टीबीएस), उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि), दक्षिणी हल्की मिट्टी (दहमि) और कर्नाटका हल्की मिट्टी (कहमि) में किया जाता है। भारत में, उत्पादित तम्बाकू में गुणवत्ता की विस्तृत श्रेणी तम्बाकू जैसे., अर्ध-गमकीय से लेकर गमकीय (एनएलएस & इएलएस) तथा गुणता न्यूट्रल फिल्लर (केएलएस & एसएलएस) और अच्छे फिल्लर (टीबीएस) प्रकारों का उत्पादन हुआ था। तम्बाकू बोर्ड ने 2020-21 फसल मौसम के लिए एफसीवी तम्बाकू कृषि के लिए 203 मिलियन कि.ग्रा. फसल परिमाण को, जो पिछले वर्ष 236 मिलियन कि.ग्रा. की तुलना में 33 मि.कि.ग्रा. कम निर्धारित किया था। तम्बाकू बोर्ड ने, तम्बाकू उपज तथा गुणवत्ता को विकसित करने के लिए विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत ₹ 328.53 लाख की राशि व्यय की है। 2020-21 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के दोनों नीलाम प्लेटफार्मों में 222.02 मि.कि.ग्रा. को ₹ 122.25 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में विपणित हुआ था। 2020-21 के दौरान, भारत से ₹ 6,305.94 करोड़ (851.10 यूएसडी मिलियन) मूल्य के 2,11,631 मेट्रिक टन तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात हुआ है। 2020-21 के दौरान तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात परिमाण के शब्दों में 1% और रुपये के शब्दों में 3% पिछले वर्ष की तुलना में घट गये। फिर भी, यह पिछले वर्ष की तुलना में मूल्य रूपों में और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 6% और 1% की वृद्धि हुए।

ग्राहकों को उत्तम सेवाएँ और तम्बाकू उद्योग का विकास से संबंधित क्रियाकलापों के सम्मान में मेसर्स. डीएनवी - जीएल-बिजिनेस एश्यूरेन्स ने अंप्रसं 9001:2015 प्रमाणपत्र से तम्बाकू बोर्ड को प्राधिकृत किया और यह प्रमाणपत्र 18/03/2022 तक मान्य है।

2020-21 के दौरान बैठकें

(दि. 01/04/2020 से दि. 31/03/2021 तक)

क) सांविधिक बैठकें

तीन बोर्ड की बैठकें और तीन समिति की बैठकें संपन्न हुए।

बोर्ड बैठकें :

1. बोर्ड की 150वीं विशेष बैठक वर्चुवल विधान याने., विडियो कान्फरेन्स द्वारा दि. 22 अप्रैल, 2020 को पूर्वाह्न 11.30 बजे (बुधवार) को संपन्न हुई ।
2. बोर्ड की 151वीं बैठक वर्चुवल विधान याने., विडियो कान्फरेन्स द्वारा दि. 05 अगस्त, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे (बुधवार) को संपन्न हुई ।
3. बोर्ड की 152वीं विशेष बैठक वर्चुवल विधान याने., विडियो कान्फरेन्स द्वारा दि. 18 अगस्त, 2020 (बुधवार) को संपन्न हुई ।

ग्रायर्स तथा अन्यो के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

1. ग्रायर्स तथा अन्यो के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 92वीं बैठक दि. 18/08/2020 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई ।
2. ग्रायर्स तथा अन्यो के लिए रजिस्ट्रेशन समिति की 93वीं बैठक दि. 08/01/2021 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई ।

व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं के लिए रजिस्ट्रेशन समिति :

1. व्यापारियों तथा निर्माणकर्ताओं की रजिस्ट्रेशन समिति की 45वीं बैठक दि. 30/09/2020 को अपराह्न 3.00 बजे मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई ।



दि.18/08/2020 को संपन्न 152वीं बैठक के दृश्य

ख) असांविधिक बैठकें :

1. कोविड-19 लॉकडाऊन के कारण उत्पन्न होने वाली समस्याओं और व्यापारियों व ग्राहकों द्वारा सामना किये जाने वाली समस्याओं पर चर्चा करने ग्राहक भा तं सं व व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक विडियो कान्फरेन्स द्वारा दि.08/04/2020 को संपन्न हुई ।
2. आन्ध्र प्रदेश व कर्नाटका में नीलाम बिक्रियों को पुनरारंभ पर चर्चा करने ग्राहक और भा तं सं व व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक विडियो कान्फरेन्स द्वारा दि.20/04/2020 को संपन्न हुई ।
3. चालू 2020 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों पर चर्चा करने (श्री के. कन्ना बाबू, माननीय कृषि व सहयोग मंत्री, आन्ध्र प्रदेश सरकार द्वारा समीक्षा) भा तं सं व व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में दि.26/05/2020 को संपन्न हुई ।
4. दहमि व दकामि क्षेत्रों के गरीब किसानों के साथ और एफसीवी तम्बाकू खेती में उनके समस्याओं पर चर्चा करने एक बैठक विडियो कान्फरेन्स के द्वारा दि.02/06/2020 को संपन्न हुई ।
5. 2020-21 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियों को प्रारंभ करने से संबंधित विषयों पर चर्चा करने आं.प्र. के ग्राहक प्रतिनिधियों, भा तं सं व व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक विडियो कान्फरेन्स द्वारा दि.08/02/2021 को संपन्न हुई ।
6. छोटा डीलरों द्वारा सामना किये जाने वाली समस्याओं पर चर्चा करने छोटा डीलरों के साथ एक बैठक मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में दि.17/02/2021 को संपन्न हुई ।
7. नीलाम बिक्रियों की तैयारियों से संबंधित विषयों पर चर्चा करने व्यापारी प्रतिनिधियों और सभी प्रादेशिक प्रबंधक और नीलामी अधीक्षकों के साथ एक बैठक मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में दि.12/03/2021 को संपन्न हुई ।


31/03/2021 तक मंजूर और मौजूदा अधिकारियों और कर्मचारियों की संख्या दर्शानेवाली तालिका

क्रम संख्या	पद का नाम	कुल	
		मंजूर	मौजूदा
ग्रूप - ए - वरिष्ठ श्रेणी प्रबंध			
1	अध्यक्ष	1	1
2	कार्यपालक निदेशक	1	0
3	निदेशक (नीलाम)	1	1
4	सचिव	1	1
5	प्रबंधक / प्रादेशिक प्रबंधक	10	9
6	उप प्रबंधक (लेखा)	1	0
7	नीलाम अधीक्षक / व श्रे अ	55	45
8	सहायक प्रबंधक (लेखा)	33	19
9	सांख्यिकीय अधिकारी	1	0
10	सिस्टम विश्लेषक	1	0
	उप कुल	105	76
ग्रूप - बी - मध्य श्रेणी प्रबंध			
11	प्रोग्रामर	1	0
12	हिंदी अधिकारी	1	0
13	नि.स., अध्यक्ष	1	0
14	क्षेत्र अधिकारी / तकनीकी सहायक	88	61
15	वरिष्ठ अनुवादक	1	1
16	आशुलिपिक ग्रेड - I	1	1
17	लेखाकार	33	23
18	वरिष्ठ अन्वेशक	1	0
19	सहायक	13	0
20	संख्यिकीय सहायक	1	1
21	रखवाला (केयरटेकर)	1	0
22	आशुलिपिक ग्रेड - II	3	1
23	विशेष श्रेणी चालक	1	0
	उप कुल	146	88
ग्रूप - सी - जूनियर श्रेणी प्रबंध			
24	कम्प्यूटर प्रचालक	27	20
25	आशुलिपिक ग्रेड - III	4	3
26	उ. श्रे. लि.	43	23
27	वरिष्ठ क्षेत्र सहायक	45	13
28	क्षेत्र सहायक	158	66
29	नि. श्रे. लि	52	36
30	हिन्दी टंकक	2	1
31	चालक	31	17
32	गेस्टेटनर ऑपरेटर	1	0
33	बहु कार्य कर्मचारी	140	35
	उप कुल	503	214
	महायोग	754	378

तम्बाकू बोर्ड का संघटनात्मक चार्ट

तम्बाकू बोर्ड अध्यक्ष के नेतृत्व में

कार्यपालक निदेशक




फसल योजना और नियंत्रण

I) भारत में एफसीवी तम्बाकू उत्पादन में प्रवृत्तियाँ :

एफसीवी तम्बाकू उत्पादन पिछले छः वर्षों से वर्ष-प्रति-वर्ष घटता-बढ़ता जा रहा है। यह विस्तृत अस्थिरता उपज पर वातावरण का प्रभाव के साथ-ही-साथ आपूर्ति की मूल्य सापेक्षता के शब्दों में बाजार गतिशीलता आदि., को प्रतिबिम्बित करता है। एफ सी वी तम्बाकू उत्पादन पिछले 5 वर्षों के दौरान (याने., 2015-16 से 2019-20 तक) 4.31% और इस वर्ष 2020-21 को मिलाकर 0.83% यौगिक वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) दर्ज किया था।

(परिमाण मि. कि.ग्रा)



*2020-21-आकलित

II) 2020-21 के लिए एफसीवी तम्बाकू उत्पादन नीति :

दि.28/02/2020 को संपन्न 149वीं बोर्ड में बोर्ड ने 2020-21 फसल मौसम के दौरान कर्नाटका के लिए 99.00 मि.कि.ग्रा. फसल परिमाण निर्धारित किया था। कोविड-19 की संकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने दि.22/04/2020 को गुण्डूर में संपन्न 150वीं विशेष बैठक में फसल परिमाण को 99.00 मि.कि.ग्रा. से 88.00 मि.कि.ग्रा. तक संशोधित किया था।

2020-21 फसल मौसम के दौरान, दि.18/08/2020 को संपन्न बोर्ड की 152वीं विशेष बैठक में कोविड-19 संकट स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए 2019-20 के दौरान निर्धारित 136.00 मि.कि.ग्रा. के लिए 115.00 मि.कि.ग्रा. निर्धारित किया था।

2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए 2019-20 फसल परिमाण के दौरान निर्धारित 236.00 मि.कि.ग्रा के लिए कुल फसल परिमाण 203 मि.कि.ग्रा. को निर्धारित किया। मिट्टी क्षेत्र वार निर्धारित फसल परिमाण विवरण 2019-20 की तुलना से 2020-21 फसल मौसम के दौरान निम्नानुसार है :

मिट्टी क्षेत्र	2020-21 फसल मौसम(मि.कि.ग्रा)	2019-20 फसल मौसम(मि.कि.ग्रा)
उहमि क्षेत्र	40.45	46.00
दहमि क्षेत्र	37.91	46.00
दकामि क्षेत्र	33.43	40.00
उकामि क्षेत्र	3.21	4.00
उपकुल	115.00	136.00
कहमि क्षेत्र	88.00	100.00
महाकुल	203.00	236.00

III) 2020-21 के लिए उत्पादन नीति - विशिष्टतायाँ :

2020-21 फसल मौसम के दौरान उत्पादन नियंत्रण करने के लिए बोर्ड की नीति-ढाँचा (फ्रेमवर्क) निम्नानुसार रहा है :

- अतिरिक्त (आधिक्य) और अप्राधिकृत तम्बाकू की खेती पर नियंत्रण की दृष्टि रखने के साथ उत्पाद गुणवत्ता पर केन्द्रीकरण करते हुए एफसीवी तम्बाकू खेती (के अंतर्गत) क्षेत्र को नियंत्रण करना नीति का उद्देश्य है।
- एफसीवी तम्बाकू खेती के अंतर्गत क्षेत्र को कम कराना और अन्य वैकल्पिक फसल / क्रापिंग प्रणाली के लिए परिवर्तन कराना ।
- आधिक्य उत्पादन को निर्धारित परिमाण तक, जो सख्त रूप से उत्पादन को सीमित करने, ताकि ग्राहकों को उचित एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चितता करना ।
- एफसीवी तम्बाकू खेती को, जो गुणता समस्याओं से दूर रखने लवणीय क्षेत्रों, धान-परती भूमियों और अनुपयुक्त भूमियों में अपनाने के लिए अनुमति न देना । इस क्षेत्रों को अन्य वैकल्पिक फसलों के लिए परिवर्तित कराना ।
- बोर्ड के अधिनियम और इसके अंतर्गत बनाये गये नियमों के अनुसार ग्राहकों, जिन्होंने अप्राधिकृत बखारों का निर्माण कर रहे हैं/किया है और अप्राधिकृत तम्बाकू की खेती को अपनाये है, के प्रति कठिन कार्रवाई प्रारंभ कराना ।

IV) 2020-21 के लिए रजिस्ट्रेशन मापदण्ड-विशिष्टतायाँ :

2020-21 फसल मौसम के दौरान ग्राहकों के लिए रजिस्ट्रेशन नवीकरण या रजिस्ट्रेशन के लिए निम्नलिखित मापदण्ड रखे गये थे ।

- 2019-20 फसल मौसम में बोर्ड के साथ पंजीकृत सभी ग्राहकों/बखारों को वर्ष 2020-21 में, बशर्ते कि ग्राहक एक फिट बखार का मालिक हो और अपने स्वयं या पट्टे पर वर्जिनिया तम्बाकू उगाने के लिए उपयुक्त भूमि वाला हो और तम्बाकू बोर्ड की अधिनियम या इनके अंतर्गत बनाये गये नियमों को उल्लंघन न करने पर रजिस्ट्रेशन नवीकरण के लिए योग्य होंगे ।
- नये बखारों के निर्माण करने के द्वारा एफसीवी तम्बाकू खेती को अपनाने के लिए कोई नये ग्राहक को अनुमति नहीं दिया जायेगा और एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए नये प्रांतों को अनुमतित नहीं किया जायेगा । (नये बखारों को निर्माण करने के लिए अनुज्ञप्ति नहीं दिया जायेगा ।)
- ग्राहकों, जिन्होंने 2019-20 में पंजीकृत किये थे, लेकिन बकाया देय/दंड भुगतान/बखार विवादों में शामिल/अयोग्य बखारों की मरम्मत/पंजीकरण स्थानांतरण के लिए निर्धारित दस्तावेजों की प्रस्तुतीकरण आदि., के अंतर्गत हो, को रजिस्ट्रेशन नवीकरण की स्वीकृति के लिए निर्धारित तारीख के अंदर इन शर्तों को पूरा करना होगा ।
- ग्राहक आवेदकों, जिन्होंने 2019-20 फसल मौसम में पंजीकृत किये थे और तम्बाकू की खेती और संसाधन के लिए सबूत के रूप में फार्म - II & III में रिटर्नों को प्रस्तुत किये थे, लेकिन तम्बाकू को नीलाम प्लैटफार्मों में विक्रय नहीं किये थे, को निर्धारित जुर्माना को भुगतान करने के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा ।
- ग्राहक आवेदकों, जिन्होंने 2019-20 फसल मौसम के लिए पंजीकृत किये थे, लेकिन 50% का कोटा या कम को विक्रय किये थे, को निर्धारित जुर्माना को भुगतान के अधीन रजिस्ट्रेशन के लिए विचार किया जायेगा ।
- पंजीकृत ग्राहक, जो अपने स्वयं या अपने परिवार सदस्यों के नाम पर अप्राधिकृत बखार धारक हो, को (अपना) अप्राधिकृत बखार को डिसफन्क्शन करना होगा तथा भविष्य में इस बखार को नवीकरण न करने जैसा उल्लिखित करते हुए शपथ - पत्र प्रस्तुत करने पर, रजिस्ट्रेशन नवीकरण प्रदान करने के लिए योग्य होंगे ।

- गोयर आवेदकों, जो अनुज्ञापित क्यूरिंग सुविधा (बखार) के बिना आवेदन/ रजिस्ट्रेशन के लिए अप्राधिकृत बखार/अयोग्य बखार/नये बखारों का निर्माण करने अनुज्ञापित के लिए माँग/3 वर्षों से अधिक अवधि के लिए ब्रेक-इन रजिस्ट्रेशन/क्रियाकलापों को अवरोधन, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, नियम & विनियमों को उल्लंघन किये थे, वे 2020-21 फसल मौसम के दौरान रजिस्ट्रेशन के लिए अयोग्य होंगे ।
- 2020-21 कर्नाटका फसल मौसम के दौरान भारत सरकार के पत्र दि.02/07/2020, सं.09/11/2016 - ई.पी. (अग्री-VI) के आदेशों के अनुसार एक मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत नया बखार का निर्माण या अप्राधिकृत बखारों की नियमितीकरण के द्वारा एक प्लैटफार्म से दूसरे प्लैटफार्म को शिफ्टिंग के आधार पर बखारों की विक्री/ खरीद करने के लिए दि.31/08/2020 तक अनुमति दी ।
- भारत सरकार के पत्र दि.14/06/2021, सं.09/11/2016 - ई.पी. (अग्री-VI) के आदेशों के अनुसार आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 फसल मौसम के दौरान, गोयरों से प्राप्त लंबित आवेदनों की स्थिति में एक मिट्टी क्षेत्र के अंतर्गत नया बखार या अप्राधिकृत बखारों की नियमितीकरण के द्वारा अनुशासित बखारों को शिफ्टिंग करने के लिए 15/06/2021 से अनुमति दी ।

V) 2020-21 के लिए मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्राधिकृत उत्पादन कोटा :

2020-21 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में खेती के लिए प्राधिकृत मिट्टी क्षेत्र वार प्रांत और प्रति बखार केलिए प्राधिकृत उत्पादन कोटा निम्नानुसार है :

आन्ध्र प्रदेश :

दि.18/08/2020 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न 92वीं रजिस्ट्रेशन समिति की बैठक में आन्ध्रप्रदेश में मिट्टी क्षेत्र वार प्रति बखार उत्पादन परिमाण को निम्नानुसार निर्धारित किया और वहीं क्षेत्र के अंतर्गत गोयरों को, जिन्होंने पंजीकृत किये और फार्म-II रिटर्न को बाद में प्रस्तुत किये थे, को शून्य रोपित गोयर परिमाण और बचे हुए प्राधिकृत फसल को आबंटित करने का निर्णय लिया था। इस विषय को दि.19/04/2021 को संपन्न 153वीं बैठक में बोर्ड के समक्ष सूचनार्थ रखा गया था। रजिस्ट्रेशन समिति के निर्णयानुसार शून्य रोपित गोयर कोटा और बचे हुए फसल परिमाण / प्राधिकृत परिमाण को गोयरों को, जो वही मिट्टी क्षेत्र में तम्बाकू को रोपित किये थे, को वितरित किया था। शून्य रोपित गोयर परिमाण और बचे हुए फसल परिमाण को वितरण करने के बाद 2020-21 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार प्राधिकृत प्रति बखार के लिए अंतिम परिमाण निम्नानुसार रहा है :

मिट्टी क्षेत्र	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा/बखार)		
	2020-21	2019-20	2020-21		2019-20
			प्रति बखार के लिए प्राधिकृत प्रारंभिक कोटा (कि.ग्रा.)	शून्य रोपित गोयर कोटा & बचे हुए फसल परिमाण को वितरण के बाद अंतिम कोटा	
उत्तरी हल्की मिट्टी (उहमि)	1.30	1.50	2,900	3,020	3,300
दक्षिणी हल्की मिट्टी (दकामि)	2.30	2.60	2,900	3,050	3,500
दक्षिणी काली मिट्टी (दकामि)	1.40	1.60	2,900	3,020	3,460
उत्तरी काली मिट्टी (उकामि)	1.00	1.20	2,106	2,707	2,600

* उहमि में पूहमि भी शामिल है ।

कर्नाटका राज्य

बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)		उत्पादन कोटा (कि.ग्रा/बखार)	
	2020-21	2019-20	2020-21	2019-20
सिमप्लेक्स बखार	1.24	1.30	1,552	1,750
डुप्लेक्स बखार	2.48	2.60	3,104	3,500

VI) उत्पादन नियंत्रण अभियान :

बोर्ड ने, 2020-21 फसल मौसम के दौरान एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य /अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए गाँवों में व्यक्तिगत संपर्क, सामूहिक बैठकें और सामूहिक संपर्क कार्यक्रमों के द्वारा संकेन्द्रित उत्पादन नियंत्रण अभियान को अपनाया। एफसीवी तम्बाकू की आधिक्य / अप्राधिकृत उत्पादन को रोकने के लिए ग्रोयर्स को अपील करने के लिए सार्वजनिक प्रचार साधन जैसे., पोस्टर, कपड़ों का वितरण, श्रव्य-केसेटों को चलाना, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया का उपयोग आदि., को प्रभावी रूप से उपयोग किये गये। 2020-21 के दौरान उत्पादन नियंत्रण अभियान के एक भाग के रूप में क्षेत्र कर्मचारियों द्वारा आन्ध्र प्रदेश में लगभग 325 सामूहिक बैठकें और कर्नाटका में 168 सामूहिक बैठकें बोर्ड द्वारा आयोजित किये गये और इस उत्पादन नियंत्रण अभियान को आयोजित करने ₹ 1.76 लाख खर्च किये गये ।

VII) 2020-21 के दौरान पंजीकृत ग्रोयर्स के विवरण :

2020-21 फसल मौसम के दौरान, एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए 93,604.63 बखारों को कवर करते हुए कुल मिलाकर 86,051 ग्रोयर्स ने बोर्ड के साथ पंजीकृत किये थे । इस में आन्ध्र प्रदेश में 39,294.63 बखारों को कवर करते हुए 44,209 ग्रोयर्स ने तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये थे । एफसीवी तम्बाकू उत्पादन के लिए पंजीकृत 63,947.23 हे. क्षेत्र के लिए वास्तव में 65,142.40 हे. के क्षेत्र में रोपण हुआ था । कर्नाटका में, 54,310 बखारों को कवर करते हुए 41,842 ग्रोयर्स ने तम्बाकू खेती के लिए पंजीकृत किये थे । कर्नाटका में एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत 67,344.40 हे. क्षेत्र प्राधिकृत किया गया और 73,609 हे. क्षेत्र में रोपण हुआ था ।

कोविड-19 महामारी को दृष्टि में रखते हुए, 2020-21 आन्ध्र प्रदेश फसल मौसम के दौरान नीलाम प्लैटफार्म में ग्रोयर्स की उपस्थिति से बचने के लिए, पंजीकरण सामाग्री की पूर्व मुद्रण करने का एक कार्यक्रम को विकसित किया गया था । आन्ध्र प्रदेश में ग्रोयर्स को पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण को गाँवों में क्षेत्र सहायकों द्वारा पूर्व मुद्रित आवेदन फार्म वितरण और ग्रोयर्स से संग्रह करने के द्वारा अनुमति दिया गया था ।

2020-21 फसल मौसम के लिए कर्नाटक और आन्ध्र प्रदेश में एफसीवी तम्बाकू के अंतर्गत ग्रोयर्स के प्लैटफार्म वार विवरण, पंजीकृत बखार और क्षेत्र, प्राधिकृत परिमाण और रोपित क्षेत्र विवरण पृष्ठ सं. 23 से 25 में दिये गये ।

VIII) 2020-21 कर्नाटका फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :

2020-21 के दौरान कर्नाटका में नर्सरी के अंतर्गत बोआई क्षेत्र 609.17 हेक्টার था, जो पिछले वर्ष की (666.71 हे.) की तुलना में 8.63% कम हुई। अधिकाधिक ग्रायर पौधों की अधिकाधिक सुव्यवस्थित एवं एकरूपी वृद्धि को प्राप्त करने ट्रे नर्सरी को अपनाये थे। नर्सरी की वृद्धि अच्छी रही और कुछ नर्सरी बीजों में भिगोना को छोड़कर पेस्ट तथा बीमारियों से मुक्त रहा था।



इस मौसम के दौरान बीजों की अपूर्ति स्थिति अच्छी रही।

कंचन एक बोया हुआ प्रधान किस्म है, जो बोया हुआ नर्सरी क्षेत्र याने., 342.71 हे. से लगभग 56.26% का हिस्सा अपना लिया साथ-साथ सीएच-3 और एफसीएच-222 संकर किस्मों क्रमश : 259.78 हे. (42.64%) और 6.68 हे. (1.10%) क्षेत्र में बोया गया।

प्रधान क्षेत्र :

इस वर्ष के दौरान, कर्नाटका में रोपण मई महीने के प्रथम पक्ष में प्रारंभ हो गया और मई के अंत तक समाप्त हो गया। मैसूर क्षेत्र में, प्रधान क्षेत्र का रोपण मई के प्रथम सप्ताह में प्रारंभ होने पर भी मई के द्वितीय पक्ष के दौरान पर्याप्त वर्षाओं की प्राप्ति से मई 2020 की अंतिम सप्ताह के दौरान रोपण किया गया था। प्रधान क्षेत्र में बीजों की स्थापना अच्छी रही थी। 2020-21 के दौरान कर्नाटका में कुल 73,609 हे. के क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू रोपण हुआ था, जो पिछले वर्ष में रोपित 80,364 हे.



की तुलना में 8.41% कम रहा है। कुल रोपित क्षेत्र में लगभग 40,080.98 हे. (54.45%) कंचन किस्म के अंतर्गत रहा था, सीएच-3 (44.95%) के अन्तर्गत 30,085 हे. और एफसीएच-222 (0.60%) के अन्तर्गत 443 हे. रहा था।

प्लानटेशन स्थिति	2020-21		2019-20	
प्रारंभ प्लानटेशन (31 मई तक)	72,119.00	98%	69,976	87%
मध्य प्लानटेशन (15 जून तक)	1,490.00	2%	-	-
विलंब प्लानटेशन (15 जून के बाद)	-	-	10,388	13%
कुल :	73,609.00	100%	80,364	100%

कर्नाटका में फसल वृद्धि :

प्रारंभ रोपण के अंतर्गत 98% क्षेत्र रहा था । फसल की प्लानटेशन के बाद तुरंत जून महीने में पर्याप्त वर्ष नहीं प्राप्त हुए । 35-40% क्षेत्र में, किसानों फसल को जीवन रक्षा मिसाई दी है । बाद में, जुलाई अंतिम सप्ताह और अगस्त महीने के प्रथम पक्ष के दौरान फसल को लगातार वर्षा प्राप्त हुई । अगस्त की प्रथम पक्ष के दौरान लगातार वर्षा के कारण फसल में निचली पत्तियों का पीलापन दिखाया दी, जिसके परिणाम स्वरूप मध्यम और निम्न श्रेणियों का अधिकतम प्रतिशत प्राप्त हुई । कुल मिलाकर, फसल की वृद्धि संतोषजनक रही थी ।

पेस्ट तथा बीमारियाँ :

2020-21 फसल मौसम के दौरान, प्रधान क्षेत्र में प्रधान पेस्ट और बीमारियों की कोई घटना नहीं की गई । कुछ क्षेत्रों में तम्बाकू मोजाईक वैरस की आपतन देखी गई और ग्रोयरो को इसकी आगे फैलाव से बचने के लिए स्वच्छता और निवारक उपायों को करने के लिए सलाह दी गई । कुछ क्षेत्रों में ब्लाक शान्ख बीमारी और स्पोडोप्टेरा की उत्पीड़न की घटना देखी गयी । पेरिपटना 04, 05 & 06 के कुछ क्षेत्रों के प्रधान क्षेत्र में पत्ता का तीव्र विकृत आकार का आपतन को देखा गया और कृषि महाविद्यालय, माव्या से विशेषज्ञ दल प्रभावित प्रांतों को विजिट किया और यह पाया गया कि यह विकृत स्थिति मिट्टी में गन्धक की संचयन, जो अमोनियम सल्फेट उर्वरक का लगातार उपयोग के कारण हुआ है ।

फसल & क्यूरिंग :

प्रति बखार के लिए औसत 6 से 7 क्यूरिंगों को अपनाये गये। क्यूरड पत्ता नींबू से नींबू नारंगी रंग के साथ अधिकाधिक मध्य श्रेणियाँ रहे गये ।



पैदावार :

पिछले वर्ष की उत्पादकता 1,321 कि.ग्रा./हे. की तुलना में 2020-21 के दौरान पैदावार लगभग 1,201 कि.ग्रा./हे. कम हुई थी । 2019-20 में 14:44:42 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ विपणित 106.18 मिलियन कि.ग्रा. के विपरीत चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए क्रमशः 15:41:44 की श्रेणी आऊट टर्न के साथ 88.42 मिलियन कि.ग्रा. का आकलित फसल विपणन हुआ था ।

IX. 2020-21 आन्ध्र प्रदेश फसल पर रिपोर्ट :

नर्सरी :

आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 के दौरान, जो पिछले वर्ष में बोया गया 446.60 हे. नर्सरी क्षेत्र के लिए लगभग 358.81 हे. के क्षेत्र में नर्सरी को अपनाया गया। इस मौसम के दौरान कोई प्रधान पेस्ट तथा बीमारियों का आपतन की रिपोर्ट नहीं मिली। सीडिलिंगों का मूल्य, दहमि और दकामि क्षेत्रों में लगभग ₹ 800/- से ₹ 1,500/- प्रति गठरी (6,000 सीडिलिंग) के लिए मूल्य रहे। उ ह मि क्षेत्र में, प्रति गठरी के मूल्य लगभग ₹ 4,000/- तक रहे।



किस्म :

दक्षिण हल्की मिट्टियों और परंपरागत काली मिट्टी क्षेत्रों में बोयी जाने वाली 'सिरी' एक प्रधान किस्म है, जो कुल क्षेत्र में लगभग 80% का हिसाब रहा है। अन्य बोया जाने वाले किस्मों में एफसीआर-15, जी-11 (हेमा), वीटी-1158 और सुलक्षणा आदि., रहे हैं। उ ह मि क्षेत्र में बोया जाने वाले प्रधान किस्म एल-7, जो लगभग 55% और क-326 लगभग 3.5% क्षेत्र में बोया गया है।

प्रधान क्षेत्र :

इस वर्ष देरी से वर्षा प्राप्ति के कारण सभी क्षेत्रों में प्रारंभ प्लानटेशन बहुत कम रहा था। प्लानटेशन नवंबर 2020 महीने के दौरान प्रारंभ हुआ था। प्लानटेशन के बाद तुरंत 'निवार' चक्रवात वर्षा के कारण फसल को मध्य से भारी वर्षा प्राप्त हुई। उ ह मि, द का मि & उ का मि क्षेत्र में अभी-अभी रोपित फसल चक्रवात वर्षा के कारण डामेज हुआ था।

2019-20 फसल मौसम के दौरान, रोपित 79,294 हे. के विपरीत आन्ध्र प्रदेश में कुल 65,142 हे., जो 18% कम क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू रोपित किया गया था। प्रारंभ (15 अक्तूबर से पहले), मध्य (15 अक्तूबर से 15 नवंबर के बीच) और देरी (15 नवंबर के बाद) के अंतर्गत रोपित क्षेत्र का अनुपात क्रमशः 3:40:57 रहा था।

दक्षिणी हल्की मिट्टी, दक्षिणी काली मिट्टी और उत्तरी काली मिट्टी क्षेत्रों में कुल 47,705.60 हे. क्षेत्र में सिरी एक प्रधान बोया जाने वाला किस्म, जो कुल रोपित क्षेत्र में 98.16% का हिसाब रहा था। बाकी क्षेत्र एफ सी आर-15, सुलक्षणा, एन-98, जी-11 (हेमा), सीएच-3 और वीटी-1158 आदि., किस्मों के अन्तर्गत रहा था। उत्तरी हल्की मिट्टियों में एलवी-7 संकर (8,035.22 हे.) जो प्रधान किस्म है, लगभग 48.56% क्षेत्र का हिसाब रहा था। के-326 अन्य बोयी जाने वाली किस्म था।

प्लानटेशन स्थिति	2020-21		2019-20	
प्रारंभ प्लानटेशन (15 अक्टूबर तक)	1,932.60	3%	7,748.80	10%
मध्य प्लानटेशन (15 नवंबर तक)	25,946.10	40%	43,437.20	55%
देरी प्लानटेशन (15 नवंबर के बाद)	37,263.70	57%	28,107.51	35%
कुल :	65,142.40	100%	79,293.51	100%

आन्ध्र प्रदेश में फसल की वृद्धि :

उत्तर हल्की मिट्टियाँ (उहमि) फसल :

इस वर्ष उत्तरी हल्की मिट्टी क्षेत्र में कुल रोपित 16,546.50 हे. क्षेत्र, जो 2019-20 में रोपित 17,911.60 हे. क्षेत्र की तुलना में 7.62% कम रहा था। देरी से मानसून प्रारंभ होने के कारण इस मौसम के दौरान मध्यम और देरी चरणों में अधिकांश फसल लगाये गये थे।

बेहतर पत्ता विस्तार के साथ फसल की स्थिति अच्छी रही थी। चमकीला श्रेणी की आऊट टर्न पिछले वर्ष की तुलना में अधिक रहा है।



दक्षिणी हल्की मिट्टियाँ (दहमि) फसल :

इस वर्ष दक्षिणी हल्की मिट्टी क्षेत्र में कुल रोपित 29,409.30 हे. के क्षेत्र, जो 2019-20 के दौरान रोपित 37,220.61 हे. क्षेत्र की तुलना में 20.99% कम रहा था। अधिकाधिक फसल मध्य और देरी चरणों में रोपित किये गये थे।

दहमि क्षेत्र में फसल की स्थिति अनुकूल वातावरण स्थिति और पर्याप्त वर्षा के कारण अधिक चमकील श्रेणी आऊटटर्न प्रतिशतता के साथ पिछले फसल की तुलना में उत्तम रहा था। पिछले वर्ष की तुलना में इस फसल मौसम के दौरान ओरेबान्खे परजीवी उत्पीड़ना कम रहा था।

पारंपरिक काली मिट्टियाँ (टीबीएस) फसल :

इस वर्ष, दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्र में कुल रोपित 17,988.30 हे. के क्षेत्र, जो 2019-20 के दौरान रोपित 22,744.20 हे. क्षेत्र की तुलना में 20.91% कम रहा था। दकामि क्षेत्र के अंतर्गत अधिकाधिक फसल मध्य और देरी चरणों में रोपित किये गये थे। इस वर्ष निम्न श्रेणियों के उत्पादन पिछले वर्षों की तुलना में बहुत कम रहा था।



2020-21 के दौरान उत्तरी काली मिट्टियों (एन बी एस) में रोपित कुल 1,198.30 हे. क्षेत्र, जो पिछली वर्ष में रोपित 1,417.10 हे. क्षेत्र की तुलना में 15.44% कम रही है। इस वर्ष फसल की गुणवत्ता उत्तम श्रेणी आऊटटर्न के साथ बहुत अच्छा रही है।

पैदावार :

उत्तर हल्की मिट्टी क्षेत्रों में औसत 8-9 क्यूरिंगो को अपनाये गये। दक्षिण काली मिट्टी और दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्रों में केवल औसत 6-8 क्यूरिंगों को अपनाये गये। उहमि क्षेत्र में चमकीला, मध्यम तथा निम्न श्रेणियों के लिए आकलित श्रेणी आऊट टर्न क्रमशः 54:26:20 रहा था और दकामि क्षेत्र में क्रमशः 53:27:20 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रहा है। उकामि क्षेत्र और उहमि क्षेत्र में क्रमशः 70:20:10 और 53:33:14 के अनुपात में श्रेणी आऊट टर्न रहा है।



उपज :

2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में अनुमानित एफसीवी तम्बाकू उत्पादन 111.44 मिलियन कि.ग्रा रहा है। उहमि क्षेत्र में अनुमानित उत्पादन 38.10 मिलियन कि.ग्रा रहा है। दहमि और दकामि क्षेत्रों में अनुमानित उत्पादन क्रमशः 36.09 और 34.75 मिलियन कि.ग्रा. रहा है। उकामि क्षेत्र में 2.50 मिलियन कि.ग्रा का उत्पादन रहा है। दक्षिण हल्की मिट्टी क्षेत्र में 1,227 कि.ग्रा./हे. और दक्षिण काली मिट्टी क्षेत्र में 1,932 कि.ग्रा./ हे., उत्तरी हल्की मिट्टियों में 2,303 कि.ग्रा./हे. और उत्तरी काली मिट्टी में 2,086 कि.ग्रा./हे. का अनुमानित औसत पैदावार रहे थे।

‘निवार’ चक्रवात वर्षा के कारण एफसीवी तम्बाकू फसल डामेज :

2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में प्रकाशम, नेल्लुरु, गुण्टूर, पूर्व और पश्चिम गोदावरी जिलाओं में 26 से 27 नवंबर, 2020 को प्राप्त ‘निवार’ चक्रवात वर्षा के कारण कुल 10,099.69 हे. के क्षेत्र में एफसीवी तम्बाकू फसल को डामेज हो गयी थी।

बोर्ड ने, राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि (एसडीआरएफ) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा ग्रोयर्स को आवश्यक रात उपलब्ध कराने सरकार के विशेष प्रधान सचिव, कृषि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार को पत्र सं. 4(9)/2020-21/उत्पा, दि.02/12/2020 और 22/12/2020 द्वारा अनुरोध किया। कृषि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार राज्य कृषि विभाग द्वारा 1184.67 हे. को कवर किया गया और एसडीआरएफ के अंतर्गत 1392 ग्रोयर्स को ₹ 118.467 लाख की राशि रीलीज हुआ था। जिलावार विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	जिला का नाम	प्रभावित ग्रोयर्स की संख्या	33% से अधिक डामेज्ड क्षेत्र (हे.)	इन्पुट सब्सिडी राशि (₹ लाख)
1.	पूर्व गोदावरी	443	462.59	46.259
2.	पश्चिम गोदावरी	16	24.64	2.464
3.	गुण्टूर	11	6.08	0.608
4.	प्रकाशम	777	621.36	62.136
5.	नेल्लुरु	145	70.00	7.000
	कुल	1392	1184.67	118.467

बाकी एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर्स को मुआवजा भुगतान करवाने के संबंध में कार्यपालक निदेशक ने दि. 29 दिसंबर, 2020 को माननीय कृषि मंत्री से मुलाकत हुआ। माननीय कृषि मंत्री द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार दि. 30 दिसंबर, 2020 को पूर्वाह्न 11.00 बजे एपीआईआईसी भवन, मंगलगिरि में माननीय कृषि मंत्री द्वारा आरवीके पर आयोजित पूर्व समीक्षा में तम्बाकू बोर्ड पदाधिकारियों भाग लिये। विशेष प्रधान सचिव, आन्ध्र प्रदेश सरकार और कृषि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश उक्त बैठक में भाग लिये। इस समीक्षा बैठक के दौरान, राज्य सरकार के पदाधिकारियों के ध्यान में लाया गया कि सभी एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर्स, जिनके फसल प्रकाशम जिला में 'निवार' चक्रवात वर्षाओं के कारण डामेज हुआ था, को मुआवजा राशि जारी नहीं किया गया था।

प्रकाशम जिला में 33% से अधिक 2,912.82 हे. क्षेत्र के 6,838 एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर्स के डामेज्ड इकहरा फसल के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला। एसडीआरएफ के अंतर्गत इन एफसीवी तम्बाकू ग्रोयर्स को मुआवजा प्रदान करने के लिए अनुरोध करते हुए इन ग्रोयर्स की सूची, जो इकहरा फसल के लिए कोई मुआवजा नहीं मिला था, को पत्र दि. 17/03/2021 द्वारा कृषि संयुक्त सचिव, प्रकाशम जिला और कृषि आयुक्त, आन्ध्र प्रदेश सरकार को प्रस्तुत किया था।

X. 2020-21 के दौरान आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री :

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में 2020-21 फसल मौसम के दौरान, प्राधिकृत 10% कोटा से अधिक सीमा तक पंजीकृत ग्रोयर्स द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीडों में से 5% (साधारण सेवा प्रभार 1% को मिलाकर) के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा अनुमति दिया गया। प्राधिकृत 10% कोटा सीमा से अधिक पंजीकृत ग्रोयर्स के द्वारा उत्पादित तम्बाकू और अप्राधिकृत ग्रोयर्स के द्वारा उत्पादित तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो के अतिरिक्त शुल्क और बिक्री प्रोसीडों में से 10% (साधारण सेवा प्रभार 1% को मिलाकर) के हिसाब से अतिरिक्त प्रभार लगाने के द्वारा अनुमति दिया गया। यह कोटाओं को पुनः समायोजन और पंजीकृत ग्रोयर्स के नाम पर अतिरिक्त तम्बाकू के रूप में, जो अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री से दूर कराने में बोर्ड को सहायता दी।

XI. तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों की प्रोन्नति :

तम्बाकू बोर्ड के लिए प्रधान परिणाम क्षेत्र (केआरए) के अंतर्गत वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 5/2/2018 - ईपी (अग्रि -VI), दि. 20/05/2019 द्वारा के तं अ सं के साथ समन्वय से प्रधान तम्बाकू

क्षेत्रों में एफसीवी तम्बाकू के लिए वैकल्पिक फसलों पर और राज्य कृषि और बागवानी विभाग, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के समन्वय से फसल विविधीकरण योजनाओं / वैकल्पिक फसल खेती को अपनाने के लिए वैकल्पिक फसलों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने के द्वारा वैकल्पिक फसलों को प्रमोट करने बोर्ड को निदेश दिया ।

2020-21 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने के.त.अ. सं. और आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के कृषि विभाग के सहयोग से प्रधान तम्बाकू क्षेत्र याने., आन्ध्र प्रदेश राज्य के दहमि क्षेत्र में कन्दुकुरु, पोदिली, विंजमूर गाँव, दकामि क्षेत्र में ओंगोल, कोडेपी और टंगुटूर, उहमि क्षेत्र में कोय्यलगूडेम, देवरपल्ली और जंगारेड्डिगूडेम में एफसीवी तम्बाकू के स्थान में अन्य अर्थिक रूप से व्यवहार्य वैकल्पिक फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए ग्राहकों के लिए जागरूकता बैठकें आयोजित किये थे । इस फसल विविधता कार्यक्रमों आयोजन से संबंधित बोर्ड द्वारा ₹ 0.67 लाख को राशि व्यय हुआ था ।

कर्नाटका में 2020-21 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्राहक रजिस्ट्रेशन और प्लानटेशन विवरण

क्र. सं.	नीप्लैस का नाम	ग्राहक	बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)	निर्धारित फसल परिमाण (मि.कि.)	रोपित क्षेत्र (हे.)
मैसूर क्षेत्र :						
1	एच.डी.कोटे - 1&65	3,563	4,723	5,856.52	7.85	7,086
2	हुन्सूर-2	3,188	4,035	5,003.40	6.31	6,150
3	हुन्सूर-3	3,231	3,923	4,864.52	6.20	5,370
4	हुन्सूर-64	2,571	3,303	4,095.72	5.36	4,990
5	कंपलापुरा-61	3,285	4,203	5,211.72	6.64	5,560
6	चितकुंदा-62	4,511	5,916	7,335.84	9.35	7,229
	उप कुल	20,349	26,103	32,367.72	41.71	36,385
पेरियपटना क्षेत्र :						
7	पेरियपटना-4	4,400	6,293	7,803.32	10.55	8,100
8	पेरियपटना-5	4,844	6,338	7,859.12	9.85	8,332
9	पेरियपटना-6	4,351	5,660	7,018.40	9.13	7,530
10	रामनाथपुरा-7	4,345	5,382	6,673.68	9.25	6,849
11	रामनाथपुरा-63	3,553	4,534	5,622.16	7.52	6,413
	उप कुल	21,493	28,207	34,976.68	46.29	37,224
	महा योग	41,842	54,310	67,344.40	88.00	73,609

नोट : प्रति बखार प्राधिकृत कोट 1,552 कि.ग्रा., और प्रति बखार क्षेत्र 1.24 हे. है ।

तम्बाकू बोर्ड : : गुण्टूर
(भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग)
आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 फसल मौसम के लिए नीलाम प्लैटफार्म वार ग्रांथर रजिस्ट्रेशन और प्लानटेशन विवरण

विवरण	ग्रांथरों की सं.			बखारों की सं.			पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)			निर्धारित फसल परिमाण(मि.कि.ग्रा.)			रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)		
	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल
उहमि क्षेत्र															
देवरपल्ली	1822	1354	3176	2093.17	1437.67	3530.84	2721.16	1437.67	4158.83	6.26	3.21	9.47	2294.90	1198.30	3493.20
जंगारेड्डी गुडेम-I	2387	0	2387	2893.00	0.00	2893.00	3760.92	0.00	3760.92	8.44	0.00	8.44	3756.60	0.00	3756.60
जंगारेड्डी गुडेम-II	2739	0	2739	2892.09	0.00	2892.09	3759.71	0.00	3759.71	8.74	0.00	8.74	3764.00	0.00	3764.00
कोय्यलगुडेम	2519	0	2519	2856.60	0.00	2856.60	3713.70	0.00	3713.70	8.48	0.00	8.48	3906.00	0.00	3906.00
गोपालपुरम	2372	0	2372	2860.50	0.00	2860.50	3718.65	0.00	3718.65	8.52	0.00	8.52	2760.00	0.00	2760.00
उप कुल	11839	1354	13193	13595.36	1437.67	15033.03	17674.14	1437.67	19111.81	40.45	3.21	43.66	16546.50	1198.30	17744.80
दकामि क्षेत्र															
वेल्लमपल्ली-II	1098	1583	2681	880.64	1465.62	2346.26	2026.22	2051.86	4078.08	2.63	4.27	6.90	1922.20	2206.80	4129.00
ओंगोल-I	981	1959	2940	630.17	2000.72	2630.89	1320.93	2809.61	4130.54	1.84	5.83	7.67	1796.80	3523.40	5320.20
ओंगोल-II	0	2108	2108	0.00	2260.33	2260.33	0.00	3164.47	3164.47	0.00	6.61	6.61	0.00	2940.00	2940.00
टंगुटूर-I	0	2839	2839	0.00	2732.54	2732.54	0.00	3825.54	3825.54	0.00	8.07	8.07	0.00	4364.70	4364.70
कोडेपी	2018	2012	4030	1196.79	1502.09	2698.88	2717.41	2105.58	4822.99	3.53	4.42	7.96	2901.50	2359.00	5260.50
उपकुल	4097	10501	14598	2707.60	9961.30	12668.90	6064.56	13957.06	20021.62	8.00	29.20	37.20	6620.50	15393.90	22014.40

विवरण	गोयों की सं.			बखारों की सं.			पंजीकृत क्षेत्र (हेक्टे.)			निर्धारित फसल परिमाण (मि. कि. ग्रा.)			रोपित क्षेत्र (हेक्टे.)		
	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल	ह.मि	का.मि	कुल
द ह मि क्षेत्र															
पोदिली-I	4516	253	4769	2504.89	215.85	2720.74	5768.12	302.20	6070.32	7.46	0.62	8.08	5283.00	324.00	5607.00
कानिगिरी	1561	0	1561	1280.46	0.00	1280.46	2945.97	0.00	2945.97	3.79	0.00	3.79	2915.00	0.00	2915.00
कंदुकूरु-I	2576	770	3346	1787.89	636.25	2424.14	3686.72	890.75	4577.47	5.18	1.86	7.04	4470.00	1187.00	5657.00
कंदुकूरु-II	2134	785	2919	1515.68	538.17	2053.85	3356.91	753.43	4110.34	4.45	1.59	6.04	3755.00	1000.00	4755.00
कानिगिरी	1559	55	1614	1297.60	59.75	1357.35	2985.78	83.65	3069.43	3.84	0.17	4.02	2635.80	83.40	2719.20
डी सी पल्ली	2209	0	2209	1756.16	0.00	1756.16	4040.27	0.00	4040.27	5.18	0.00	5.18	3730.00	0.00	3730.00
उप कुल	14555	1863	16418	10142.68	1450.02	11592.70	22783.77	2030.03	24813.80	29.91	4.24	34.14	22788.80	2594.40	25383.20
महा योग	30491	13718	44209	26445.64	12848.98	39294.63	46522.47	17424.76	63947.23	78.36	36.64	115.00	45955.80	19186.60	65142.40

सार (क्षेत्र हे. परिमाण कि.ग्रा. में)

क्षेत्र	निर्धारित फसल परिमाण (मि. कि. ग्रा.)	गोयार	बखार	पंजीकृत क्षेत्र (हे.)	रोपित क्षेत्र (हे.)	प्रति बखार को पंजीकृत क्षेत्र (हे.)	प्रति बखार कोटा (हे.)
उ ह मि	40.45	11,839	13,595.36	17,674.14	16,546.50	1.30	2,900
द ह मि	37.91	18,652	12,850.28	28,848.33	29,409.30	2.30	2,900
द का मि	33.43	12,364	11,411.32	15,987.09	17,988.30	1.40	2,900
उ का मि	3.21	1,354	1,437.67	1,437.67	1,198.30	1.00	2,106
कुल	115.00	44,209	39,294.63	63,947.23	65,142.40		

विस्तार एवं सलाहकारी सेवाएँ

भारतीय एफसीवी तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए अन्तरराष्ट्रीय बाजार में इसे प्रतियोगी बनाने तम्बाकू बोर्ड विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं को कार्यान्वित करती है। तम्बाकू बोर्ड भी नये और बेहतर पैकेज पद्धतियों को अपनाने किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए अपने विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों को आर्थिक सहायता बढ़ा दी। केन्द्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्था (केतअसं), राजमहेन्द्री, राष्ट्रीय पौधा स्वास्थ्य प्रबंध संस्था (एनआईपीएचएम), हैदराबाद और तम्बाकू कंपनियों के अनुसंधान & विकास विंगों के सहयोग से योग्य और प्रशिक्षित तकनीकी क्षेत्र कर्मचारियों की विस्तृत नेटवर्क को उपयोग करने के द्वारा तम्बाकू बोर्ड किसानों को समर्थन और विस्तार सेवाओं का एक व्यापक पैकेज प्रदान करती है। बोर्ड के व्यापक विस्तार एवं विकासात्मक कार्यक्रम निम्नानुसार है :

- विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति। (बीज, सक्करआऊट, उर्वरक)
- तम्बाकू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ।
- प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण

I. विवेचित फसल इनपुटों की आपूर्ति :

उत्तम कृषि प्रयासों (जीएपी) के अनुसार एफसीवी तम्बाकू किसानों को फसल इनपुटों की मानक सेट को उपयोग करने की आवश्यकता है। इसका अनुपालन सुनिश्चित करने, तम्बाकू बोर्ड ने किसानों को विवेचित फसल इनपुट जैसे., बीज, उर्वरक और सक्करसाईड को उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी अपना लिया है।

(i) एफसीवी तम्बाकू बीज :

2020-21 फसल मौसम के दौरान, बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों को के तं अ सं, राजमहेन्द्री और आई टी सी अनुसंधान डिविजन, राजमहेन्द्री के द्वारा 2,010.05 कि.ग्रा. अनुमोदित किस्मों के बीजों की आपूर्ति की।

(परिमाण (कि.ग्रा. में))

राज्य	किस्म								कुल
	कंचन (सीटीआरआई)	कंचन (आईडीसी)	सीएच3	जी11	सिरी	एफसीएच 222	वीटी 1158	सीटीआरआई सुलक्षणा	
कर्नाटका	369.00	361.50	658.50	0.00	0.00	11.25	0.00	0.00	1400.25
आन्ध्र प्रदेश	2.00	0.00	220.80	9.00	368.00	0.00	7.00	3.00	609.80
कुल	371.00	361.50	879.30	9.00	368.00	11.25	7.00	3.00	2010.05

(ii) उर्वरक :

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में, तम्बाकू बोर्ड ने किसानों की समिति (सीओएफ) के द्वारा बोर्ड की भागीदारी के बिना उर्वरकों की खरीद और वितरण की सुविधा प्रदान किया। यह नई प्रणाली आन्ध्र प्रदेश में 2017-18 फसल मौसम के दौरान और कर्नाटका में 2018-19 फसल मौसम के दौरान विकसित हुआ था। यह नवीन प्रणाली में पंजीकृत गोयारों को (उर्वरकों को) अपने स्वयं प्राप्त करने और वितरण करने का अधिकार है। यह आन्ध्र



प्रदेश में उत्तरी मिट्टी क्षेत्र में जिला सहकारी विपणन सोसाईटी लिमिटेड (डीसीएमएस), एलुरु और कर्नाटका में कर्नाटका राज्य सहकारी फेडरेशन लिमिटेड मार्केटिंग (केसीएसएमएफ) की सेवाओं को उपयोग करके सफलतापूर्वक लागू किया। तम्बाकू बोर्ड ने, आपूर्ति के सभी पहलुओं में याने., मॉगपत्रों और अग्रिमों के संग्रह से लेकर इनपुट ऋण व्यवस्था, तम्बाकू बोर्ड गोदामों को उपलब्ध कराना आदि., में सहायता सम्पत्ति प्रदान किया था। बाहरी क्षेत्र अभिकरणों ने किसानों की समिति द्वारा दिये सहमति के अनुसार उर्वरकों के मूल्य, भुगतान की शर्तें और आपूर्ति समय सारणी के अनुसार निर्माणकर्ताओं को आपूर्ति करने के लिए आदेश रख दिये थे। बाहरी स्रोत एजेंसियों और किसानों की समिति ने राज्य कृषि विभागों की सहायता से उर्वरकों की गुणवत्ता का मोनिटरिंग किये थे।

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में आपूर्तित उर्वरकों के विवरण नीचे दिये गये थे :

कर्नाटका :

उर्वरक	प्रदायक	परिमाण (एम. टी)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)
अम्मोनियम सल्फेट	फैक्ट	10,957.95	11250.00	1232.77
	उप कुल	10,957.95		1232.77
डै अम्मोनियम फास्फेट	सीआईएल	2,631.90	22647.50	596.06
	जीएसएफसी	280.00	22000.00	61.60
	आईपीएल	740.75	22250.00	164.82
	उप कुल	3,652.55		822.48
सल्फेट आफ पोटाश	आईपीएल	7,188.60	41000.00	2947.33
	टीडब्लू	3,769.35	40000.00	1,507.74
	उप कुल	10,957.95		4,455.07
	महा योग	25,568.55		65,10.32

आन्ध्र प्रदेश :

उर्वरक	प्रदायक	परिमाण (एम.टी)	मूल्य (₹/टन)	मूल्य (₹ लाखों में)
अम्मोनियम सल्फेट	फैक्ट	2,986.75	12,140.00	362.59
	उप कुल	2,986.75		362.59
डै अम्मोनियम फास्फेट	सीआईएल	925.45	24,527.00	226.99
	आईपीएल	256.45	22,900.00	58.73
	उप कुल	1,181.90		285.72
सल्फैट ऑफ पोटाश (प्रधान क्षेत्र)	आईपीएल	2,404.00	42,300.00	1,016.89
	ट्रान्सवरल्ड	457.65	41,200.00	188.55
	फ्लोरिस	220.55	35,000.00	77.19
	उप कुल	3,082.20		1,282.63
सल्फैट ऑफ पोटाश (फर्टिगेशन)	ट्रान्सवरल्ड	397.92	42,000.00	167.13
	फ्लोरिस	4.55	42,000.00	1.91
	उप कुल	402.47		169.04
कालशियम नैट्रेट	ट्रान्सवरल्ड	155.15	27,000.00	41.89
	उप कुल	155.15		41.89
	महा योग	7,808.47		2,141.87

(iii) सक्कर नियंत्रण रसायन :

उर्वरकों की आपूर्ति के लिए गठित किसानों की समिति ने सक्कर नियंत्रण रसायन की आपूर्ति के लिए कोटेशन आमंत्रण और वेंडर मूल्य को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में भाग लिये ।

कर्नाटका वर्जीनिया तम्बाकू बेलिगररा संघ (केवीटीबीएस) के निर्णय के अनुसार 2020-21 कर्नाटका फसल मौसम के दौरान मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड - एबीडी द्वारा प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹ 870/- के हिसाब से 89,845 लीटर परिमाण के सक्करआऊट को योग्य पंजीकृत ग्राहकों को आपूर्ति की है ।

आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 फसल मौसम के दौरान, सीओएफ में लिये गये निर्णयों के अनुसार, मेसर्स. हाईगो प्लोरीस केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड ने प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹900/- के हिसाब से इच्छुक ग्राहकों को 39,822.49 लीटर सक्कर नियंत्रण रसायन (सी-10) और मेसर्स आई टी सी लिमिटेड ने प्रति 2.5 लीटर डिब्बा के लिए ₹ 910/- के हिसाब से 71,859.69 लीटर सक्कर नियंत्रण रसायन की आपूर्ति की हैं ।

II. 2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने (एसटीपी) के लिए तम्बाकू बोर्ड द्वारा अपनाये गये विस्तार & विकासात्मक योजनाएँ :

(i) स्वास्थ्य बीजों का उत्पादन - ट्रे बीज तकनीकी और शेड नेटों की व्यवस्था :

एफसीवी तम्बाकू खेती में ट्रे नर्सरी तकनीकी को मानकीकरण किया गया है, जो मिट्टी जानत बीमारी समस्या और ट्रान्सप्लानटेशन प्रघातों को रोकने से दूर रहने स्वास्थ्य तम्बाकू पौधों को उत्पादन किया जा सकें। ट्रे नर्सरी पौधें, जो पारंपरिक रूप में सीड बेड नर्सरी के अंतर्गत उगाये गये पौधों के लिए फसल में न्यूनतम अंतराल भरने के साथ एक रूपता सुनिश्चितता और इस के परिणाम स्वरूप क्यूरड पत्ता में उपज और गुणवत्ता में वृद्धि को प्रदान करते हैं। 2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों में बोर्ड ने, किसान समितियों को बेहतर गुणता प्रो ट्रे को खरीदने और प्रोत्साहन के रूप में सब्सिडी को बढ़ाने के द्वारा सहायता देती है। 2020-21 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों राज्यों में इच्छुक ग्रोयर्स को ट्रे की आपूर्ति पर सब्सिडी का प्रावधान से संबंधित बोर्ड द्वारा उठाये गये व्यय विवरण निम्नानुसार है :

राज्य	ट्रे की संख्या	ग्रोयर्स की संख्या	सब्सिडी (₹ लाखों में)
कर्नाटका	7,97,677	3,547	39.78
आन्ध्र प्रदेश	6,98,866	1,904	29.17
कुल	14,96,543	5,451	68.95



ट्रे नर्सरियों को प्रतिकूल वातावरण अनियमितताओं जैसे., हवा, ठंड, अत्यधिक बारिश, अत्यधिक तापमान, कीट और बीमारियों की घटनाओं से रक्षा करने के लिए ट्रे में पौधों को नियंत्रण परिस्थितियों में रखना पड़ता है। इस अभ्यास को अपनाने प्रोत्साहन के उद्देश्य से बोर्ड ने दहमि और दकामि क्षेत्रों के 136 ग्रोयर्स को 141 यूनिट शेड नेटों की आपूर्ति से संबंधित ₹ 0.54 लाख की सब्सिडी नढ़ा दी गई।

(ii) मिट्टी स्वास्थ्य की वृद्धि - एफसीवी तम्बाकू बढती मिट्टियों में हरित खाद फसल रैजिंग के लिए प्रोत्साहन :

तम्बाकू की मिट्टियाँ ज्यादातर हल्की संरचना और अल्प सेन्द्रिय कार्बन से होते हैं और निरंतर तम्बाकू की खेती के कारण नैट्रोजन उपलब्ध होती हैं । अतः तम्बाकू बोर्ड ने, हरी खाद के द्वारा मिट्टी की उर्वरता को सुधार करने के लिए आवश्यक कदम अपनायी हैं । आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्य सरकार की कृषि विभाग के समन्वय से तम्बाकू बोर्ड ने किसानों को उनके क्षेत्रों में हरित खाद की प्रथा को अपनाने के लिए मौसम से पहले ही किसानों को हरित खाद बीजों को उपलब्ध कर रही है । 2020-21 फसल मौसम के दौरान, सेन्द्रिय कार्बन के साथ मिट्टियों को समृद्ध करने के लिए आन्ध्र प्रदेश में 7,585.66 हे. के क्षेत्र में और कर्नाटका में 2,232.10 हे. के क्षेत्र में हरी खाद की फसलों को उगाये गये थे ।

राज्य	मिट्टी क्षेत्र	हरित खाद फसल के अन्तर्गत क्षेत्र (हे.)
कर्नाटका	कहमि क्षेत्र	2,232.10
आन्ध्र प्रदेश	उहमि क्षेत्र	2,700.36
	दहमि क्षेत्र	2,140.90
	दकामि क्षेत्र	2,744.40
	उप कुल (आं.प्र)	7,585.66
	महा कुल	9,817.76

(iii) तम्बाकू की उपज व गुणता में वृद्धि :

क. संघटित पेस्ट प्रबंध अभ्यास - फोरोमेन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्राप :

संघटित कीट प्रबंध एक ऐसी अवधारणा है, जहां प्रभावी पेस्ट और रोग नियंत्रण को रासायनिक तरीकों के अतिरिक्त सभी कीट नियंत्रण विधियाँ याने., जैविक, संवर्धन, यांत्रिक और वनस्पतिक आदि., के संयोजन के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। संघटित कीट प्रबंध का उद्देश्य यह है कि कृषि - रसायनों के उपयोग को कम करना, अवशेषों को कम करना और पर्यावरण और मिट्टी की सूक्ष्म पेड-पौधे और जीवों की रक्षा करना है। इस योजना के तहत, बोर्ड ने तम्बाकू क्षेत्रों में कीटों की संख्या पर निगरानी और आईपीएम योजना को प्रभावी रूप से कार्यान्वयन करने में सहायता देने के लिए फेरोमोन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्रापों की आपूर्ति की ।



2020-21 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में फेरोमेन ट्राप और पीला चिपचिपा ट्रापों की आपूर्ति के लिए सब्सिडी बढ़ाने से संबंधित बोर्ड द्वारा उठाये गये व्यय विवरण निम्नानुसार है :

फसल मौसम	गोयरों की संख्या		भौतिक उपलब्धि (ट्रापों की संख्या)		वित्तीय उपलब्धि (₹ लाखों में)	
	फोरोमेन ट्राप	पीला चिपचिपा ट्राप	फोरोमेन ट्राप	पीला चिपचिपा ट्राप	फोरोमेन ट्राप	पीला चिपचिपा ट्राप
2020-21	1,098	1,120	26,896	16,855	3.50	0.67

ख. जैव - कीटनाशक :

एनआईपीएचएम, हैदराबाद के सहयोग से गोयरों को जैव कीटनाशकों की आपूर्ति किये जाते हैं, ताकि मिट्टी जनित रोगों की घटनाओं को रोका जा सके और कीटनाशकों/कवकनाशकों के उपयोग को कम कर सकें। 2020-21 फसल मौसम के दौरान, कहमि क्षेत्र में 1,062 गोयरों को 1,176 लीटर जैव-कीटनाशकों की आपूर्ति किये गये थे और सब्सिडी से संबंधित ₹ 0.86 लाख की राशि बढ़ायी गयी। उहमि क्षेत्र में 1,352 गोयरों को 4,734 लीटर जैव-कीटनाशक आपूर्ति किये गये और सब्सिडी से संबंधित ₹ 3.35 लाख की राशि बढ़ायी गयी।



एनआईपीएचएम, हैदराबाद के विशेषज्ञ कर्नाटका के नीलाम प्लैटफार्मों को विजिट किये और जैव-कीटनाशक की व्यापक गुणन प्रक्रिया और एफसीवी तम्बाकू कृषि में जैव-कीटनाशकों का उपयोग पर गोयरों को प्रशिक्षित किया था।

ग. गेंदा पौधा :

गेंदा को तम्बाकू क्षेत्र के आसपास या क्षेत्र के भीतर, एक जाल फसल के रूप में उगाया जा सकता है, जो गेंदा के फूल हेलियोतिस कीटों को अंडा देने के लिए आकर्षित करते हैं और यदि गेंदा पर अंडे और लार्वा को समय-समय पर कलेक्ट करके और इस नष्ट किये जाने पर होलियोतिस संक्रमण से तम्बाकू फसल को रोकने में सहायता करती है। बोर्ड ने, कन्दुकुरु और जीलुगुमिल्ली में स्थित केतंसं अनुसंधान स्टेशनों से 8,06,500 गेंदा पौधे खरीदी और आपूर्ति की और इसे आन्ध्र प्रदेश के



सभी क्षेत्रों के एफसीवी तम्बाकू गोयरों को वितरित किया था इस के लिए ₹ 6.05 लाख खर्च हुआ था। कर्नाटका में ₹ 1.23 लाख व्यय में केतंसं अनुसंधान क्षेत्र, हुन्सूर से 1,63,500 गेंदा पौधे खरीदे और पंजीकृत गोयरों के बीच वितरित किये गये थे। यह गेंदा पौधा गोयरों को निःशुल्क उपलब्ध करायी गयी।

घ. जवार और बाजरा बीज :

तम्बाकू फसल के चारों ओर 4 पंक्तियों में सीमा फसल के रूप में बोया जाने वाली जवार और बाजरा सफेद मक्खी के हमले से रक्षा कवच के रूप में कार्य करती है और पराजीवी और परभक्षियों की आश्रय के रूप में कार्य करता है। बोर्ड ने कर्नाटका राज्य बीज निगम, कर्नाटका सरकार से 1,899 कि.ग्रा. बाजरा बीज और 198 कि.ग्रा. जवार बीज खरीदी और कहमि क्षेत्र के 925 ग्रोयर्स को रक्षा फसल उगाने के लिए िशुल्क आपूर्ति की और इस बीज की व्यय से संबंधित ₹ 83,133/- (₹ 0.83 लाख) खर्च किया गया था।

(iv) ऊर्जा संरक्षण उपाय :

तम्बाकू किसान परिवार को लाभकारी बनाये रखने और तम्बाकू खेती को पर्यावरण अनुकूल बनाने के लिए क्यूरिंग की लागत को कम करना अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो उत्पादन की कुल लागत में 30% होती है। क्यूरिंग की लागत को कम करने और तम्बाकू क्यूरिंग में लकड़ी ईंधन की उपयोग से बचाने के लिए, कांच की ऊन / धान की स्ट्रा के साथ बखार छत सीलिंग और उचित वायु संचालन के लिए बखार के ऊपर टर्बो वेंटिलेटर को रखना और पारंपरिक भट्टी को वेंदुरी भट्टी से बदलना आदि., ईंधन दक्षता तकनीकों को अपनाने की आवश्यकता है। इस उपाय से क्यूरिंग लागत में 30% की बचत सुनिश्चित होती है। बोर्ड, इस ऊर्जा संरक्षण उपायों को किसानों के लाभ के लिए कार्यान्वित कर रही है। 2020-21 फसल मौसम के दौरान बोर्ड ने इस ऊर्जा संरक्षण उपायों पर ₹106.26 लाखों की राशि खर्च किये।

क. परंपरागत फर्नेस के स्थान में वेंदुरी फर्नेस (फर्नेस का संशोधित अभिकल्प) की प्रतिस्थापना के लिए योजना :

फर्नेस व्यवस्था का संशोधित अभिकल्प है-वेंदुरी फर्नेस, जो ईंधन और गर्मी स्थानांतरण का बेहतर दहन की सुविधा देती है, ताकि प्लू पाईप में सूट जमावट से बचने आक्सिजन की पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति को सुनिश्चित करती है और इससे ईंधन व्यय में 15-20% तक बचत प्राप्त होती है। बोर्ड ने व्यापारी वर्ग के सहयोग से 2020-21 के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 172 लाभभोगियों को कवर करते हुए 139 बखारों में इस योजना को लागू किया था और इन बखारों में पुराने फर्नेस को वेंदुरी फर्नेस से प्रतिस्थापन किया था। प्रत्येक लाभभोगी ग्रोयर्स को बोर्ड और व्यापारी वर्ग द्वारा सब्सिडी से संबंधित प्रति बखार को ₹5,000/- की राशि बढ़ा दी गई। इस योजना के अंतर्गत 2020-21 के दौरान बोर्ड द्वारा ₹ 6.90 लाख राशि खर्च हुई।

ख. बखारों को ग्लास ऊन पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर के साथ फिटिंग :

बखारों के छत के लिए ग्लास ऊन पृथक्करण के द्वारा एफसीवी तम्बाकू क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण को प्रमोट करना और लाभभोगी ग्रोयर्स को सब्सिडी की राशि बढ़ाने के द्वारा बखार में मुक्त वायु संचालन के लिए टर्बो वेंटिलेटर को प्रोवैड करना इस योजना का मुख्य उद्देश्य है। यह योजना से 25 से 27% तक लकड़ी ईंधन की बचत होती है और प्रति हेक्টার के लिए लगभग ₹6,500/- तक कृषि लागत कम होती है। इसके अलावा, बखार में इन इंटरवेंशन के परिणाम स्वरूप पत्ता की कारमलैजेशन और पत्ता सोखने से बचने के द्वारा क्यूरिंग में पत्ता की गुणवत्ता में सुधार हुई। 16X16 से 16X20 परिमाण के प्रति बखार के लिए ग्लास ऊन छत पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर की फिटिंग करने के लिए लगभग ₹23,762.48 से ₹31,034.58 प्रति बखार के लिए कुल लागत होता था।

बोर्ड ने, व्यापारी वर्ग (मेसर्स. आई टी सी लिमिटेड, मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, मेसर्स. डक्कन टोबाको एंटरप्राइजेस) की सहायता से दहमि/दकामि क्षेत्र में 16X20 बखार के लिए ₹7,758.64 और उहमि और उकामि क्षेत्रों में 16X16 और 16X20 परिमाण बखार के लिए ₹5,940.62 और ₹6,514.02 बखार के लिए वित्तीय सहायता बढ़ाने के द्वारा इस योजना को आन्ध्र प्रदेश में फोकसड मोड में कार्यान्वित किया था। व्यापारी वर्ग ने वित्तीय

सहायता के रूप में ₹10,000/- मूल्य का योगदान दिया और बाकी पृथक्करण की लागत को लाभभोगी ग्रोयरों के द्वारा अपना गयी थी। 2020-21 के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 657 पंजीकृत ग्रोयरों के 516 बखार पृथक्करण किये गये थे और बोर्ड ने इस योजना के अंतर्गत सब्सिडी की राशि के रूप में ₹ 38.51 लाख खर्च किया था।

ग्लास ऊन छत पृथक्करण और टर्बो वेंटिलेटर के साथ फिट्टेड क्षेत्र वार बखार विवरण निम्नानुसार है :

क्षेत्र	लाभभोगी ग्रोयर	पृथक्करण किये बखार	वित्तीय सहायता (₹ लाख)
उहमि क्षेत्र	111	104	6.54
दहमि क्षेत्र	336	241	18.70
दकामि क्षेत्र	210	171	13.27
कुल	657	516	38.51

ग. टर्बो वेंटिलेटर के साथ धान तृण छत पृथक्करण :

बखार को धान तृण पृथक्करण के माध्यम से एफसीवी तम्बाकू की क्यूरिंग में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देना और बखार में मुफ्त वायु परिसंचरण के लिए टर्बो वेंटिलेटर को ग्रोयर लाभभोगियों को सब्सिडी प्रदान करने के द्वारा उपलब्ध करना इस योजना का उद्देश्य रहा है। धान तृण की पृथक्करण की कुल लागत ₹15,000/- प्रति बखार होगी।

बोर्ड ने ₹ 5,000/- प्रति बखार को सब्सिडी देकर इस योजना को व्यापारी वर्ग (मेसर्स.आईटीसी) की सहायता से कर्नाटका में कार्यान्वित किया। इस तकनीकी से औसतन 30% ईंधन की बचत प्राप्त हुई।

वर्ष	ग्रोयर लाभभोगियों की संख्या	बखारों की संख्या	सब्सिडी ₹ लाख
2020-21	1,069	1,097.00	54.85

मुक्त पत्ता बखार तकनीकी :

तम्बाकू ग्रोयर के अनुभवों और अन्तर्राष्ट्रीय अनुसंधान के आधार पर, पारंपरिक बखार की अपेक्षा कम ईंधन लकड़ी की उपयोगिता और कम श्रमिक आवश्यकता को देखते हुए, एफसीवी तम्बाकू उत्पादन लगातार को कम करने और पर्यावरण की संरक्षण में सहायता के लिए मुक्त पत्ता तम्बाकू क्यूरिंग की नवाचार तकनीकी पर विचार की गई है। मुक्त पत्ता बखार से साधारण बखार की क्यूरिंग क्षमता दुगुनी होती है और यह दुहरा ऊर्जा स्रोत (लकड़ी और बिजली) का उपयोग करता है।

केतअसं ने इस परीक्षण के कमियों को दूर करने के लिए विभिन्न एफसीवी तम्बाकू उत्पादन क्षेत्रों में विभिन्न स्थानों में डेटा को रिकार्डिंग के साथ इस तकनीकी के परीक्षण के लिए सिफारिश की है। इस संदर्भ में, तम्बाकू बोर्ड ने लागत मितव्ययता को मूल्यांकन करने और शारीरिक श्रम रोजगारी और लकड़ी ईंधन को कम करने में तकनीकी की प्रभावकारिता को मूल्यांकन करने परीक्षण के आधार पर आन्ध्र प्रदेश के विभिन्न मिट्टी क्षेत्रों में चार मुक्त पत्ता बखारों की पृथक्करण/निर्माण करने के लिए प्रस्ताव किया है। तम्बाकू बोर्ड ने, ग्रोयरों को ₹ 3.00 लाख प्रति ग्रोयर के हिसाब से वित्तीय सहायता बढ़ाने के द्वारा व्यापारी वर्ग (मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड) के सहयोग से मुक्त पत्ता बखार पृथक्करण को अपनाया है।

पृथक्करण के लिए प्रस्तावित मुक्त पत्ता बखारों के क्षेत्र वार विवरण नीचे दिये :

मिट्टी क्षेत्र	लाभयोगी ग्राहक	बखारों की संख्या
उहमि क्षेत्र	2	2.00
दकामि क्षेत्र	1	1.00
दहामि क्षेत्र	1	1.00
कुल	4	4.00

2020-21 फसल मौसम के दौरान, दकामि और दहामि क्षेत्रों के 2 ग्राहकों को ₹ 3.00 लाख के हिसाब से कुल ₹ 6.00 लाख की वित्तीय सहायता मिला है। उहमि क्षेत्र में दो बखारों का निर्माण कार्य प्रगताधीन है।



ड. “अपने ईंधन स्वयं तैयार करें” योजना - त्वरित पैदा होने वाले वृक्ष पौधों की आपूर्ति :

सतत तम्बाकू उत्पादन (एसटीपी) के सिद्धांतों में तम्बाकू क्यूरिंग के लिए कोयला और जलाऊ लकड़ी जैसे., गैर-टिकाऊ स्रोतों के उपयोग को समाप्त करने पर विचार (परिकल्पना) की गई है। क्यूरिंग के लिए उपयोग लकड़ी को टिकाऊ लकड़ी स्रोतों से प्राप्त किया जाता है और वैकल्पिक जैव-द्रव्यमान ईंधनों को भविष्य में प्रमोट किया जाना है। इस पहलू के एक हिस्से के रूप में, तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत तम्बाकू ग्राहकों को प्राकृतिक लकड़ी के संसाधनों को प्रभावित किये बिना स्वयं अपने प्लानटेशन को करने के द्वारा तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईंधन की आवश्यकता को सुनिश्चित करने, तेजी से पैदा होने वाले पेड़ों को लगाने के लिए प्रोत्साहित कर रही थी। वास्तव में, तम्बाकू बोर्ड यह अनिवार्य बना दिया था कि तम्बाकू के सभी पंजीकृत ग्राहकों को अपने रजिस्ट्रेशन को नवीकरण करने के लिए प्रति वर्ष कम-से-कम 10 पौधों को लगाना होगा।



तम्बाकू बोर्ड ने पंजीकृत ग्राहकों को त्वरित गति से बढ़ने वाले पेड़ पैथों को, जो न केवल क्यूरिंग समय में ग्राहकों की ईंधन लकड़ी की आवश्यकता को पूरा करता है, बल्कि प्राकृतिक लकड़ी रिजर्व पर निर्भरता को भी कम करता है।

आन्ध्र प्रदेश में, ग्राहकों की पट्टादार पासबुक की प्रस्तुतीकरण पर स्थानीय वन विभाग नर्सरियों से मुफ्त में पैथे प्राप्त किये थे। तम्बाकू बोर्ड ने, वन विभाग से पैथों को परिवहन करने और अन्य विविध व्ययों के लिए ₹ 1.57 लाख रुपये खर्च किया है। कोविड-19 बाधाओं और प्रतिबंधों के कारण आन्ध्र प्रदेश में ग्राहकों ने 2020-21 के दौरान केवल 8,700 पैथों को रोपित किये थे।



(v) पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध - उत्पाद अखंडता के लिए उपाय :

क. गैर - तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) का निष्कासन - कान्वास टार्पलिनों की आपूर्ति :

तम्बाकू उद्योग के लिए गैर-तम्बाकू संबंधित सामग्री (एनटीआरएम) एक संकटपूर्ण चिंता का विषय रहा है। तम्बाकू अखंडता की रक्षा करने के लिए एनटीआरएम स्रोत को निष्कासन और एनटीआरएम का पता लगाना और आपूर्ति श्रृंखला के सभी स्तरों पर हटाने के लिए व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। फार्म स्तर पर एनटीआरएम का निष्कासन करने के लिए किसानों और किसान समुदाय के साथ मजबूत साझेदारी और किसानों को निरंतर शिक्षा प्रदान करना प्रधान तत्व हैं। उत्पाद अखंडता को रखरखाव करने में स्वच्छ हांडलिंग प्रथाओं जैसे, कटाई, परिवहन, क्यूरिंग और भंडारण आदि., में एनटीआरएम से दूर रहने के प्रयास को लागू करने में एक लंबा विधान रहा है। इन दशाओं में उत्पाद की सफाई को सुनिश्चित करने के लिए एनटीआरएम से दूर रहने कटाई, परिवहन, क्यूरिंग, भंडारण और ग्रेडिंग के दौरान हरी तम्बाकू को साफ निपटाने में सहायता देने में मदद करने के लिए कर्नाटका में 1,719 ग्राहकों को 1,719 कान्वास टार्पलिनों और आन्ध्र प्रदेश में 2,054 ग्राहकों को 2,054 कान्वास टार्पलिनों को सब्सिडी लागत पर आपूर्ति की। इस योजना के अंतर्गत कर्नाटका में ₹ 17.19 लाख और आन्ध्र प्रदेश में ₹ 21.17 लाख रुपये राशि खर्च हुआ था। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में अन्य संवर्ग के ग्राहकों को सब्सिडी के रूप में ₹1,000/- प्रति टार्पलीन/ग्राहक और अ.जा./अ ज जा ग्राहकों के लिए ₹ 1,400/- टार्पलीन/ग्राहक के लिए दिया गया था।

ख. बल्किंग शेड / नमूना भंडारण सुविधाएँ का निर्माण :

तम्बाकू को क्यूरिंग, ग्रेडिंग, बेलिंग कार्य समापन से लेकर विपणन के लिए तैयार करने तक अच्छी हालत में तम्बाकू को बनाये रखने के लिए ऑन-फार्म भंडारण को निर्माण करना आवश्यक है। बेहतर कृषि भंडारण सुविधाओं से किसानों को एनटीआरएम को रोकने में और “उत्पाद की सफाई” को सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी। इस को ध्यान में रखते हुए, बोर्ड ने ग्राहकों को बल्किंग शेड भंडारण सुविधाओं को निर्माण करने के लिए 2020-21 फसल मौसम के दौरान, वित्तीय सहायता और वाणिज्यिक बैंकों से आवश्यक ऋण बढ़ाने के द्वारा प्रोत्साहित की थी। 2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में बल्किंग-शेड के परिमाण के अनुसार बल्किंग शेड का निर्माण से संबंधित प्रति यूनिट को ₹6,500/- से ₹16,000/- के हिसाब से प्रति यूनिट को वित्तीय सहायता बढ़ा दी गई। इस योजना के अंतर्गत 12 बल्किंग शेड निर्माण के लिए कुल ₹1.65 लाख रुपये राशि व्यय किये गये।

ग. पत्ता तम्बाकू में सीपीए (फसल संरक्षण एजेंट) अवशेषों की मोनिटरिंग और नियंत्रण :

कीटनाशियों का अव्यवस्थित उपयोग याने., कीटनाशियों को आवश्यकता से अधिक उपयोग, सिफारिश मात्राओं से अधिक मात्रा में उपयोग, कीटनाशियों की मिश्रण (एक से अधिक कीटनाशकों का मिश्रण) का उपयोग, तम्बाकू के लिए प्रतिबंधित कीटनाशियों का उपयोग या तम्बाकू के लिए नहीं सिफारिश कीटनाशियों का



उपयोगिता आदि., जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की समस्या के लिए कारण होते हैं। क्यूरेड तम्बाकू पत्ता में सीपीए अवशेषों की समस्या तम्बाकू की निर्यात संभावनों को प्रभावित करने वाले गंभीर आयाम माना जाता है, क्योंकि तम्बाकू निर्यात देशों, जो पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेष, जो वैधानिक अधिकतम अवशेष स्तर (एमआरएल) से नीचे होने के लिए कड़े शर्तें लगाये थे। हालांकि, भारतीय तम्बाकू कम सीपीए अवशेषों के लिए माना जाता है और सीपीए अवशेषों की भविष्य समस्याओं से निपटाने के लिए कौशल योजना और कार्यवाही योजना को विकसित करने के उद्देश्य से तम्बाकू बोर्ड अनेक उपायों को सक्रिय रूप से कार्यान्वित कर रही हैं।



तम्बाकू बोर्ड समस्यात्मक गाँवों, जो सीपीए हॉटस्पॉट के होते हैं, को पहचान करने के लिए किसान स्तर नमूनाओं में तम्बाकू पत्ते में रहे सीपीए अवशेष परीक्षण को अपनाया है। विश्लेषण परिणामों के आधार पर, जीआरएल से ऊपर इस सीपीए अवशेष की पुनः घटना को प्रतिबंधित करने के लिए विशिष्ट केन्द्रित हॉटस्पॉट मध्यस्ता को अपनाये गये। बोर्ड ने हॉटस्पॉट को पहचान करने पत्ता तम्बाकू में सीपीए अवशेषों की मात्राओं को मोनिटरिंग करना तदनुसार सुधारात्मक कार्यवाही करने के लिए एनआईपीएचएम, हैदराबाद में आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के 176 तम्बाकू पत्ता नमूनाओं को और मेसर्स. यूरोफिन्स अनलिटिकल सर्विसेस इंडिया लिमिटेड, बेंगलूर में उहमि क्षेत्र के 182 नमूनाओं को विश्लेषण करने का कार्य अपनाया था। पत्ते के नमूनाओं के विश्लेषण के लिए ₹33.65 लाख व्यय हुआ था।

फसल मौसम	आं.प्र. / कर्नाटका	विश्लेषित नमूनाओं की संख्या	उठाये गये व्यय (₹)	विश्लेषित केंद्र
19-20	आं.प्र.	76	8,96,800	एनआईपीएचएम
19-20	आं.प्र.	182	12,88,560	यूरोफिन्स
20-21	कर्नाटका	100	11,80,000	एनआईपीएचएम
कुल		358	33,65,360	

घ. निकोटिन, शक्कर और क्लोरेड के लिए तम्बाकू पत्ता का पत्ता रसायन विश्लेषण :

तम्बाकू बोर्ड ने निकोटिन, शक्कर और क्लोरेड को निर्धारण करने के लिए प्रत्येक फसल मौसम में तम्बाकू पत्तों को विश्लेषण भी कराती है, ताकि विशेष मौसम के दौरान उगाये गये पत्ता की गुणवत्ता का निर्धारण और फसल रसायन की स्थापना हो सके। 2020-21 के दौरान, तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ प्रारंभ होने से पहले आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी प्लैटफार्मों से एकत्रित 279 पत्ते नमूनाओं का विश्लेषण, जो पत्ता तम्बाकू में रासायनिक संघटकों को निर्धारण करने के लिए केतंसं, राजमहेन्द्री में विश्लेषण कराया था। इस लेखा के अंतर्गत ₹ 6.42 लाख कुल व्यय किये गये।

फसल मौसम	आं.प्र. / कर्नाटका	विश्लेषित नमूनाओं की संख्या	उठायेगये व्यय (₹)	विश्लेषित केंद्र
19-20	आं.प्र.	179	4,11,879.00	सीटीआरआई
20-21	कर्नाटका	100	2,30,100.00	सीटीआरआई
कुल		279	6,41,979.00	

(vi) 2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन को बनाये रखने बोर्ड द्वारा अपनाये गये पहलू :

(i) तम्बाकू की खेती में प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना :

विश्व भर में, ग्राहकों के निरंतर बढ़ते हुए चिंताओं को दृष्टि में रखते हुए, सुरक्षित तम्बाकू उत्पादन के लिए स्थायी तम्बाकू उत्पादन (एसटीपी) के लिए तम्बाकू ग्राहक आग्रह रहे हैं। स्थायी खेती में एक भाग के रूप में प्राकृतिक खेती के तरीकों को बढ़ावा, जो मिट्टी की सूक्ष्म जैविक गतिविधियों में सुधार करके मिट्टी कार्बनिक सामग्री को समृद्ध करने में मदद कर सकती है। यह खेती की प्रणाली पूरी तरह से पर्यावरण अनुकूल और कम इनपुट प्रभावी है। यह प्रणाली प्राकृतिक संसाधन जैसे, मिट्टी और पानी को रसायनों की संदूषण से रक्षा करती है। इस प्राणाली में रासायनिक उर्वरकों और रासायनिक फसल सुरक्षा एजेंटों की अनुपयोग से कीटनाशी अवशेष मुक्त तम्बाकू को उत्पादन करने में मदद मिलेगी और लागत बचत करने में भी मदद मिलेगी।

तम्बाकू बोर्ड ने 2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी मिट्टी क्षेत्रों में एफसीवी तम्बाकू खेती में तम्बाकू ग्राहकों को प्राकृतिक खेती से लाभों को प्रदर्शित करने के लिए, ग्राहकों के क्षेत्रों में परीक्षणों को अपनाया है। यह परीक्षण आन्ध्र प्रदेश में 186.63 एकड़ (74.65 हे.) और कर्नाटका में 104.00 एकड़ (41.60 हे.) क्षेत्रों में **इच्छुक 60 ग्राहकों** के क्षेत्रों में और कर्नाटका में **104 ग्राहकों** के क्षेत्रों में यह परीक्षण किये थे। फसल

विशेषज्ञों द्वारा विकसित और सूचित प्राकृतिक खेती प्रथाओं को अनुसरण करते हुए, एफसीवी तम्बाकू उगाने के लिए अपनाया था। ग्रोयर्स, जिन्होंने प्राकृतिक खेती को अपनाया था, को प्रति ग्रोयर को ₹ 5,000/- और आर्गनिक इनपुट संबंधित ₹ 10,000/- नकद प्रोत्साहन बढ़ाये गये।

नियंत्रण प्लाटों की वृद्धि, पत्ता विस्तार, कीट प्रतिरोध, चमकीला श्रेणी आऊट टर्न और सुगंध आदि., के संदर्भ में सामान्य (अकार्बनिक) क्षेत्रों के साथ जडबीएनएफ फसल की तुलना करने के लिए मौजूदा समरूप किस्मों के साथ चयन किये गये थे। नियंत्रण प्लाट की तुलना में जडबीएनएफ प्लाट उत्तम वृद्धि दर्ज की। पत्ता विस्तार अकार्बनिक क्षेत्रों की तरह अच्छी रही है। रंग समृद्ध है और क्यूरड पत्ता में सुगंध अच्छी रही और सामान्य फसल से बेहतर रही है। जडबीएनएफ प्लाटों में फसल पर प्राकृतिक रूप से फुहार के साथ कीटों तथा बीमारियों के बिना पूरी नियंत्रण में रहे गये। पैदावार भी सामान्य क्षेत्रों के बराबर रही है और नियंत्रण प्लाटों की तुलना में जडबीएनएफ प्लाटों में चमकीला श्रेणी तम्बाकू की प्रतिशत अधिक है।



(ii) अवशेष मुक्त तम्बाकू उत्पादन :

दुनिया भर में, बढ़ती हुई स्वास्थ्य चिंताओं के सम्बन्ध में, क्यूरड तम्बाकू में हानीकारक पदार्थ जैसे., कीटनाशक अवशेषों और नमनशील टोबाकोस के उत्पादन को कम करना एक उभरती हुई आवश्यकता है। मार्गदर्शन अवशिष्ट स्तर (जीआरएल) के नीचे सीपीए अवशेषों को कम करना ध्यान केन्द्रित किये जाने वाले गंभीर क्षेत्रों में से एक हैं। तम्बाकू बोर्ड सीपीए हॉटस्पॉट क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सीपीए लघुकरण अभियान चला रहा है, जहाँ उच्च फसल संरक्षण एजेंट (सीपीए) अवशेष पाये गये थे, में अवशेष मुक्त तम्बाकू उत्पादन करने और एक प्रभावी मार्ग और खोज को स्थापित किया है।

2020-21 फसल मौसम के दौरान, बोर्ड ने उत्पाद की अखंडता में सुधार लाने, पत्ता की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने और कीटनाशक अवशेषों को नियंत्रण करने बड़े पैमाने पर अभियान चलाये थे। बोर्ड ने, 90 सम्भाव्य गाँवों, जहाँ उहमि में 80% फसल आने वाली है, से पत्ता नमूनाओं को कलेक्ट किये थे और इसे यूरोफिन्स अनलिटिकल सर्विसेस इंडिया प्रा. लिमिटेड, बेंगलूर में विश्लेषण करवाये गये थे।

किसानों द्वारा 100% पेडिमेथालीन अवशेष मुक्त तम्बाकू उत्पादन (कोरेस्टा के जीआरएल के अनुसार) होना इस अभियान का प्रधान उपलब्धि रही है।

III. हरित क्षेत्र की वृद्धि :

तम्बाकू बोर्ड ने, कार्बन पृथक्करण, जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण और जैव-विविधता में सुधार जैसे., प्रधान मुद्दों को पता लगाने के लिए अपनी हरित ड्राईव पहलूओं में एक भाग के रूप में हरित क्षेत्र में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। तम्बाकू बोर्ड ने पूरोगामी उपक्रम जैसे., 'अपने ईंधन स्वयंम रैंज करे कार्यक्रम', और सामूदायिक वृक्षारोपण जैसे., अग्रगामी पहलूओं को अपनाने द्वारा हरित क्षेत्र को सुधार करने के लिए बढ़ावा दे रही है।

IV. प्रौद्योगिकी का स्थानांतरण :

तम्बाकू बोर्ड किसानों को व्यक्तिगत संपर्कों, सामूहिक बैठकों, किसान प्रशिक्षण और एक्सपोजर विजिट-सह-अध्ययन यात्रा, कार्यशाला, ऑन फार्म टूरलों / परिणाम प्रदर्शन और नमूना परियोजना क्षेत्र योजनाओं के द्वारा समय पर फसल सूचनाओं और नवीनतम प्रौद्योगिकी को स्थानांतरण करने द्वारा सफलता पूर्वक तम्बाकू विकसित करने में मदद कर रही है।

(i) किसानों और तकनीकी कर्मचारियों को प्रशिक्षण कार्यक्रम :

किसान समुदाय को ज्ञान और कौशल प्रदान करने के लिए किसानों को प्रशिक्षण देना यह विस्तार अभिकल्पना और योजना के सबसे बड़े महत्वपूर्ण तत्वों में से एक है। इससे नवीनतम तकनीकी का ज्ञान, नेतृत्व का विकास और व्यवहार परिवर्तन आदि., का स्थानांतरण और उपयोग की अपार संभावनाएं प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की प्रशिक्षण मानव संसाधन विकास के लिए एक महत्वपूर्ण और सतत आवश्यक प्रक्रिया है। यह प्रशिक्षण किसानों को तम्बाकू की खेती में अच्छी कृषि पद्धतियों को लागू करने में कुशल बनाती है, जिससे स्थिरता सुनिश्चित होती है। यह प्रशिक्षण विस्तार कर्मचारियों के लिए नवीनतम तकनीकी जानकारी प्रदान करने के साथ-साथ क्षमता, व्यावसायिकता और सेवा भाव को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत जरूरी है।

इसको दृष्टि में रखते हुए, जो पिछले फसल मौसमों में किया गया था, के अनुसार तम्बाकू बोर्ड ने 2020-21 फसल मौसम के दौरान सीड बेड की तैयारी से लेकर पूर्व फसल उत्पाद प्रबंध तक होने वाली विभिन्न फसल चरणों में ग्रोयर्स और क्षेत्र कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया था।



- आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका राज्यों के सभी मिट्टी क्षेत्रों के किसानों को उत्तम कृषि प्रयासों पर जानकारी पैदा करने फसल वृद्धि की विभिन्न चरणों में याने., नर्सरी प्रबंध से फसल पैदावार, क्यूरींग और ऑन-फार्म स्टोरेज आदि., तक 166 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रमों में लगभग 8,494 प्रतिभागियों (ग्रोयर/कर्मचारी) भाग लिये थे। दोनों राज्यों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए ₹ 5.03 लाख की राशि खर्च हुई।

- एनआईपीएचएम, हैदराबाद ने बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों को वर्चुवल मोड के द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया था। इसका विवरण निम्नानुसार है :

	प्रशिक्षण कार्यक्रम के विवरण	प्रशिक्षणार्थियों की संख्या	अवधि
आन्ध्र प्रदेश नीलाम प्लैटफार्म	पेस्ट प्रबंध में एआईएसए और परिस्थितिकी इंजनियरिंग	11 क्षे.अ.	5 दिन 02/11/2020 से 06/11/2020 तक
आन्ध्र प्रदेश नीलाम प्लैटफार्म	तम्बाकू बोर्ड वरिष्ठ श्रेणीकरण अधिकारियों को प्रशिक्षण	22 नी.अ./व.श्रे.अ	3 दिन 17/02/2021 से 19/02/2021 तक
आन्ध्र प्रदेश नीलाम प्लैटफार्म	जैव नियंत्रण एजेंटों और मैक्रोबियल पेस्टिसाइडों की ऑन-फार्म उत्पादन	31 क्षे.अ. (2 बैचों में)	3 दिन 03/03/2021 से 05/03/2021 तक और 08/03/2021 से 10/03/2021 तक

- केतंसं ने अपने अनुसंधान केन्द्र, कन्दुकुरु और राजमहेन्द्री में “एफसीवी तम्बाकू की खेती और उत्पाद पोषण और लाभकारिता के लिए आईपीएस संबंधित उत्तम प्रबंध प्रयासों” पर आन्ध्र प्रदेश में कार्यरत बाहरी स्रोत क्षे.स/क्षेत्र सहायकों/वरिष्ठ क्षेत्र सहायकों व क्षेत्र अधिकारियों/वश्रेअ/नीलाम अधीक्षकों को निम्नलिखित तारिखों में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया :

अनुसंधान केन्द्र का नाम	लक्षित अधिकारी	अवधि
कन्दुकुरु	बाहरी स्रोत क्षे.स / क्षेत्र सहायक / वरिष्ठ क्षेत्र सहायक	07/12/2020 से 10/12/2020 तक 21/12/2020 से 24/12/2020 तक
	क्षेत्र अधिकारी / व.श्रे.अ / नीलाम अधीक्षक	28/12/2020 से 31/12/2020 तक
राजमहेन्द्री	बाहरी स्रोत क्षे.स / क्षेत्र सहायक / वरिष्ठ क्षेत्र सहायक	25/11/2020 से 28/11/2020 तक
	क्षेत्र अधिकारी / व.श्रे.अ / नीलाम अधीक्षक	28/12/2020 से 31/12/2020 तक

इस कार्यक्रम के द्वारा 70 वक्षेस, क्षेस, वक्षेस और 48 क्षे.अ/नीअ/वश्रेअ को प्रशिक्षण प्रदान किये गये थे। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने के लिए रु. 12.55 लाख (18% जीएसटी को मिलाकर) खर्च हुई थी।

उहमि क्षेत्र में सीपीए अवशेष नियंत्रण संबंधित अपनाये गये विस्तार कार्यक्रम-कार्यान्वित कार्यवाही योजना :

- बोर्ड ने तम्बाकू में काटनाशी अवशेषों को पता लगाने नियमित अन्तरालों में उद्योग के सभी पणधारियों याने., व्यापारि वर्ग, ग्रायर और विशेषज्ञ, केतंसं, राजमहेन्द्री के साथ बैठकें आयोजित की।
- व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों, केतंसं के विशेषज्ञ, प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री और उहमि क्षेत्र के सभी नीलाम प्लैटफार्मों के नीलाम अधीक्षकों, उहमि क्षेत्र के सभी ग्रायर प्रतिनिधियों के साथ एक बैठक दि.15/12/2020 को वर्चुवल मोड के द्वारा मुख्य कार्यालय, गुणदूर में संपन्न हुई। यह बैठक कार्यपालक निदेशक की अध्यक्षता में संपन्न हुई सीपीए अवशेष नियंत्रण कार्यक्रम के लिए कार्यवाई योजना तैयार किया गया था।

- उहमि क्षेत्र के गोयरों और व्यापारी प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च प्रभावी बैठक, जो एफसीवी तम्बाकू निर्यातों पर सीपीए अवशेषों का प्रभाव और इस समस्या को पता लगाने के लिए इस फसल मौसम के लिए कार्यवाई योजना से संबंधित गोयरों को जानकारी देने दि.23/12/2020 को कोय्यलगूडेम नीलाम प्लैटफार्म में संपन्न हुई। इस बैठक में उहमि क्षेत्र नीलाम प्लैटफार्मों से 275 गोयर भाग लिये। इस बैठक को आयोजित करने प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री को ₹ 60,970/- खर्च हुई थी।
- प्रादेशिक प्रबंधक, राजमहेन्द्री ने सीपीए अवशेष विश्लेषण के लिए पत्ता नमूना प्रक्रिया की समीक्षा करने के लिए प्रादेशिक प्रबंधक का कार्यालय, राजमहेन्द्री में अपेक्स समिति की बैठक दि.19/02/2021 को संपन्न हुई। इस बैठक के लिए ₹ 2,400/- खर्च हुआ था।
- उहमि क्षेत्र के गोयरों के साथ पत्ता में सीपीए अवशेष नियंत्रण की कार्यवाही योजना से संबंधित एक पारस्परिक बैठक दि.25/02/2021 को मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में संपन्न हुई। इस बैठक की अध्यक्षता कार्यपालक निदेशक ने किया था और मुख्य कार्यालय के सभी प्रबंधकों इस बैठक में भाग लिये थे। बोर्ड सदस्य और उहमि क्षेत्र के सभी नीलाम प्लैटफार्म से तम्बाकू गोयर इस बैठक में भाग लिये।
- नीलाम अधीक्षकों ने सीपीए विषयों पर संकेन्द्रित ग्रामीण स्तर के जानकारी बैठकें आयोजित किये थे।
- तम्बाकू में कीटनाशक अवशेषों के दुष्प्रभावों पर और सिफारिश कीटनाशकों और विभिन्न पेस्ट तथा बीमारियों के नियंत्रण के लिए डोसेजों के साथ नियंत्रण की आवश्यकता के बारे में सूचना देने वाले विज्ञापितियों (हान्ड बिलों) को तैयार किये गये और इसे गोयरों को वितरित किये गये।
- प्रिंट मीडिया के माध्यम से गोयरों को तम्बाकू में सिफारिश नहीं किये गये कीटनाशकों का उपयोग नहीं करने और कार्बेन्डिजम, डाइथियोकार्बोनेट्स और पेंडिमिथालीन को उपयोग करने से दूर रहने के लिए अपील किया गया था।
- प्रत्येक नीलाम प्लोर में और 90 पहचानित गाँवों में कार्बेन्डिजम, डाइथियोकार्बोनेट्स और पेंडिमिथालीन आदि., के उपयोग से दूर रहने प्लेक्सी द्वारा गोयरों को अपील किये गये।
- गोयरों को सीपीए की प्रबंध पर पोस्टर/करपत्रों के रूप में, जिसमें कीट की आर्थिक अवसीमा (थ्रेशोल्ड) स्तर और पूर्वपैदावार अन्तराल की अवधि आदि., पर प्रचार सामग्री आपूर्तित किये गये।
- कीट नियंत्रण उपायों को सूचना पट्ट में प्रदर्शित किये गये और गोयरों की एकत्रित स्थानों में इसे रखे गये।
- तम्बाकू में कीटों को नियंत्रण करने के लिए कीटनाशक की दुकानों को सिफारिश कीटनाशकों के विवरण पर प्लेक्सियों को प्रदान किये गये थे। कीटनाशक दुकानदारों को जानकारी बैठक/प्रशिक्षण आयोजित किये गये।
- वैज्ञानिक नमूना प्रक्रिया को अनुसरण करते हुए, सीपीए अवशेषों को पहचान करने पत्ता तम्बाकू का परीक्षण किया गया था, ताकि उपज की स्थापना को पता लगा सके एतद्वारा उहमि क्षेत्र के एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेष समस्या को कम करने के लिए आगे कदम उठाने के लिए अधिक जोखिम वाले गाँवों को पहचाह किया जा सकें।
- गोयरों को उपयों जैसे., सिफारिश मात्राओं में सिफारिश कीटनाशकों का प्रयोग, झूठी परिपक्वता नियंत्रण के लिए कीटनाशकों की स्प्रे से दूर रहना, सिफारिश परमाणों से अधिकाधिक नैट्रोजेन उर्वरकों के उपयोग को सीमित रखना, अपतृण नियंत्रण के लिए शाकनाशीयों के उपयोग से दूर रहना, कीट नियंत्रण के लिए प्राकृतिक संघटकों के साथ गाढा (कानकोक्शन) का प्रयोग आदि., पर शिक्षित करना।

ii. कार्यशाला :

आन्ध्र प्रदेश :

- प्रादेशिक प्रबंधक, उहमि व उकामि क्षेत्र ने संबंधित क्षेत्रों के गोयरोँ और कर्मचारियों को केतंसं अनुसंधान केन्द्र, कन्दुकुरु में क्रमशः दि.08/01/2021 (दहमि) और 11/01/2021 (दकामि) को “तम्बाकू खेती में उत्तम कृषि अभ्यासों” पर कार्यशालाओं को आयोजित किये थे। इस कार्यशाला में विभिन्न पहलूओं जैसे., समेकित पोषकतत्व प्रबंध (आईएनएम), प्लानटेशन के लिए ट्रे नर्सरी पौधों की उपयोग से लाभ, आरेबान्खे पराजीवी प्रबंध, उर्वरक उपयोग दक्षता (एफयूई) में वृद्धि करने उपाय, नमी के दबाव और सूखे की स्थिति में अपनाये जाने वाली प्रथाओं के लिए विशिष्ट पैकेज, पोस्ट हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध (पीएचपीएम), समेकित पेस्ट प्रबंध (आईपीएम) और एफसीवी तम्बाकू में फसल संरक्षण एजेंट (सीपीए) प्रबंध आदि., से संबंधित केतंसं के विशेषज्ञ, बोर्ड की तकनीकी पदाधिकारियों, व्यापारी वर्ग के आर एण्ड डी विशेषज्ञों द्वारा गोयरोँ को सूचित किये गये थे। दकामि क्षेत्र में इस कार्यशाला आयोजन करने के लिए ₹ 32,150/- और दहमि क्षेत्र में कार्यशाला आयोजन करने के लिए ₹ 47,624/- की राशि खर्च हुई।
- सीपीए और एनटीआरएम को कम करने तम्बाकू में उत्तम खेती प्रयासों पर दि.10/02/2021 को केतंसं अनुसंधान केन्द्र, जीलुगुमिल्ली में एक कार्यशाला आयोजित किया गया था। इस कार्यशाला को आयोजित करने ₹ 40,720/- की राशि खर्च हुई।

कर्नाटका :

- प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर में केतंसं से विशेषज्ञों, व्यापारी वर्ग के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करते हुए दि. 05/08/2020 को नी.प्लै.सं.61, कंपलापुरा में कर्नाटका के कर्मचारियों और क्षेत्र कर्मचारियों को “उत्तम कृषि अभ्यासों” पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित किया था। इस कार्यशाला के दौरान, तम्बाकू खेती में उत्तम कृषि अभ्यासों, सूखा और अत्यधिक नमी स्थितियों के दौरान फसल प्रबंध, उर्वरक प्रयोग और पोस्ट हार्वेस्ट उत्पादन प्रबंध (पीएचपीएम) आदि., से संबंधित गोयरोँ को शिक्षित किया गया। इस कार्यशाला को आयोजित करने प्रादेशिक प्रबंधक, मैसूर को ₹ 48,082/- की राशि खर्च हुई।

ii. आन्ध्र प्रदेश के गोयरोँ को अध्ययन यात्रा :

- दहमि व दकामि क्षेत्रों के नीलाम अधीक्षकों ने तम्बाकू प्रोसेसिंग प्रचालनों और थ्रेशिंग मेशिनरी पर एनटीआरएम का प्रतिकूल प्रभाव के बारे में गोयरोँ को निरूपण करने थ्रेशिंग प्लान्टों को अध्ययन यात्रा आयोजित किये थे। गोयरोँ को उत्तम निर्यात के लिए तम्बाकू में एनटीआरएम की समस्या को पता लगाने की आवश्यकता के बारे में समझाया गया।
- उहमि क्षेत्र के नीलाम अधीक्षकों ने वैकल्पिक फसल उत्पादन, प्राकृतिक खेती के लाभों को प्रदर्शित करने और स्थिरता के लिए कृषि के विविधीकरण करने की तरीका पर गोयरोँ को शिक्षित करने बागवानी विश्वविद्यालय, वेंकटरामन्नगूडेम, ऑयल पॉम अनुसंधान केन्द्र, पेदवेगी, श्री सुब्रह्मण्येश्वर प्रकृति व्यवसाय क्षेत्रम, गुंडुगोलनुकुण्टा और तिरुमलमपालेम गाँव में बहुमंजिल फार्मिंग मोडल प्लॉट को अध्ययन यात्राओं को आयोजित किये।
- 2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 15 अध्ययन यात्रा और इस यात्रा में 464 गोयर भाग लिये थे। इन अध्ययन यात्राओं को आयोजित करने के लिए ₹ 2.44 लाख की राशि खर्च हुई।

क्षेत्र	अध्ययन यात्रा व्यय (₹)
दकामि	71,270.00
दहमि	77,054.00
उहमि	95,483.00
कुल	2,43,807.00



iv) प्रचार सामग्री :

2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने “ओरोबन्खे पराजीवी का प्रबंध” और “नियंत्रण और एफसीवी तम्बाकू पैदा करने में हरित खाद्य फसलों का महत्व” विषयों पर 18,000 बहु रंगीन करपत्र और ‘एफसीवी तम्बाकू से पर तम्बाकू कम्बन्धी सामग्री (एनटीआरएस) उन्मूलन पर 18,000 तेलुगु ब्रोचर बहुरंगीन मुद्रित करके आन्ध्र प्रदेश राज्य के ग्रोयर्स को वितरित की। इस के लिए ₹ 81,144/- (टीडीएस को मिलाकर) राशि खर्च हुई।

एफसीवी तम्बाकू में सीपीए अवशेष समस्या से संबंधित उहमि क्षेत्र में ग्रोयर्स को शिक्षित करने के लिए फसल संरक्षण एजेंट (सीपीए) और उसकी डोसेजों पर 1,000 करपत्र मुद्रित किये गये थे और इसके मुद्रण व्ययों से संबंधित ₹ 1,200/- राशि खर्च हुई थी।



v) क्षेत्र मित्र दल :

तम्बाकू की खेती के विभिन्न पहलूओं पर ग्रोयर्स को समय पर सलाह और सुझाव देने के त.अ.सं., से विशेषज्ञों, मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड और मेसर्स. जीपीआई लिमिटेड एओआई, पीएसएसएम के क्षेत्र कर्मचारी दल और बोर्ड के तकनीकी अधिकारियों के साथ क्षेत्र मित्र दलों को स्थापित किये गये थे। तम्बाकू में संभाव्य विस्तार संभरकों को पहचान किये जायेंगे और इसे क्षेत्र मित्र दल कार्यक्रम में भागीदार बनाया जायेगा। आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 फसल मौसम के दौरान सभी क्षेत्रों में क्षेत्र मित्र दलों को स्थापित किये गये थे और यह दल समयसारणी के अनुसार यात्रा किये थे और इस के लिए ₹ 0.44 लाख खर्च हुई।

vi) ऑन-फार्म परीक्षा एवं प्रयोगात्मक परीक्षण :

किसानों के प्रबंधन के अंतर्गत, जो नियंत्रण के रूप में किसानों की अपनी प्रथाओं की तुलना में किसानों की क्षेत्र में एक नयी तकनीकी नवाचार, या एक नवीन मध्यस्थता का परीक्षण होता है ।

तम्बाकू बोर्ड ने ग्रोयर्स के क्षेत्रों में प्राकृतिक फार्मिंग के प्रभाव पर “आन-फार्म परीक्षा और प्रयोगात्मक परीक्षणों” को कार्यान्वित किया है । इस एफसीवी तम्बाकू की कृषि के प्राकृतिक खेती मोड में रसायनिक उर्वरक और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किये जाते हैं और प्राकृतिक रूप में इनपुटों का ही उपयोग किया जाता हैं ।

2020-21 फसल मौसम के दौरान, कर्नाटक में 104.00 एकड़ों में (41.60 हे.) प्राकृतिक खेती के ऑन-फार्म परीक्षण के लिए 104 ग्रोयर आगे आये और 186.63 एकड़ों में (74.05 हे.) प्राकृतिक फार्मिंग का ट्रयलों को अपनाये गये । बोर्ड ने, इस ट्रयलों को अपने क्षेत्रों में आयोजित कराने के लिए प्रोत्साहन के रूप में ग्रोयर्स को बढ़ाने और क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए भी वित्तीय प्रोत्साहन से संबंधित कर्नाटका में ₹10.33 लाख और आन्ध्र प्रदेश में ₹9.11 लाख व्यय की थी । इस क्षेत्र दिवस कार्यक्रमों में आन्ध्र प्रदेश में कुल 918 ग्रोयर और कर्नाटका राज्यों में कुल 691 ग्रोयर भाग लिये और उन्हें प्राकृतिक फार्मिंग की अवधारणा के लाभों के बारे में शिक्षित किये गये ।

बोर्ड ने तम्बाकू ग्रोयर क्षेत्रों में 365 दिनों की फसल उगाने की अवधारणा को बढ़ावा दी, यह प्रथा, जो ग्रोयर को पूरे वर्ष में क्षेत्र से नियमित आय को प्राप्त करने में मदद करती है और फसल रोटेशन के अभ्यास के द्वारा मिट्टी को संवर्धन करने में भी सहायता कर सकती है । बोर्ड ने, 6 ग्रोयर्स, जो 6.20 हे. क्षेत्र में सभी मौसमों में पूरे वर्ष में (365 दिन) बहु फसलों को उगाने के लिए आगे आये थे, को प्रोत्साहित करने के लिए बोर्ड द्वारा ₹ 0.97 लाख का व्यय किया था ।



vii) नमूना परियोजना क्षेत्र :

बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश के 18 गाँवों में और कर्नाटका के 12 गाँवों में तम्बाकू की उत्पादकता और गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम कृषि प्रथाओं को अपनाने इन गाँवों में रहे किसानों को प्रोत्साहित करने, एक केंद्रित तरीके से नमूना परियोजना क्षेत्र को कार्यान्वित की थी। मेसर्स. आईटीसी लिमिटेड, मेसर्स. गाडफ्रे फिलिप्स इंडिया लिमिटेड, डक्कन टोबाको कंपनी और आलियन्स वन इंडिया लिमिटेड भी इस एमपीए गाँवों में विकासात्मक गतिविधियों को करने में शामिल रहे थे। इस योजना को कार्यान्वित करने ₹ 10.60 लाख खर्च हुई।

2020-21 के दौरान विस्तार & विकासात्मक योजनाओं का कार्यान्वयन पर व्यय :

2020-21 के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के कार्यान्वयन करने के लिए ₹ 328.53 लाख कुल व्यय खर्च किये थे।

(₹ लाखों में)

विस्तार योजनाएँ	2020-21
तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता की वृद्धि	126.05
क्यूरिंग प्रयासों की वृद्धि	107.83
एनटीआरएम का निष्कासन और उत्पाद अखंडता	38.36
पोस्ट-हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध	1.65
किसानों और तकनीकी कमचारियों को प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम	23.63
ऑन-फार्म परीक्षा & प्रयोगात्मक परीक्षण	20.41
नमूना परियोजना क्षेत्र	10.60
कुल	328.53

योजना वार भौतिक / वित्तीय लक्ष्य और उपलब्धियाँ पृष्ठ सं. 46 से 49 में दिये गये।

2020-21 फसल मौसम - विस्तार और विकासात्मक योजनाएँ
भौतिक और वित्तीय उपलब्धियाँ

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों की संख्या			भौतिक उपलब्धि			वित्तीय उपलब्धि (₹ लाख)		
		आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल	आं.प्र	केके	कुल
1	एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता वृद्धि करना									
क	पेस्टिसाईड और रासायनिक अंशभूतों के लिए पत्ता विश्लेषण	0	0	0	437	200	637	25.97	14.10	40.07
ख	संघटित पेस्ट प्रबंध पद्धतियाँ									
ख 1	फोरोमेन ट्राप	1098	0	1098	26896	0	26896	3.50	0.00	3.50
ख 2	पीला चिपचिपा ट्राप	1120	0	1120	16855	0	16855	0.67	0.00	0.67
ख 3	ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति	1904	3547	5451	698866	797677	1496543	29.17	39.78	68.95
ख 4	शेड नेट	136	0	136	141	0	141	0.54	0.00	0.54
ख 5	बयो-पेस्टिसाईडों की आपूर्ति	1352	1062	2414	4734	1176	5910	3.35	0.86	4.21
ख 6	गेंदा (मारीगोल्ड) बीजों की आपूर्ति				806500	163500	970000	6.05	1.23	7.28
ख 7	जवार & बाजरा बीजों की आपूर्ति	0	925	925	0	2097	2097	0.00	0.83	0.83
	उप कुल	5610	5534	11144				69.25	56.80	126.05
2	क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि									
क	ऊर्जा संरक्षण उपाय									
i	ग्लास वूल छत पृथक्करण	657	0	657	516	0	516	38.51	0.00	38.51
ii	वैन्दुरी फर्नेस	172	0	172	139	0	139	6.90	0.00	6.90
iii	पेद्दी स्ट्रॉ इन्सुलेशन	0	1069	1069	0	1097	1097	0.00	54.85	54.85
ख	लूज लीफ बखार	2	0	2	2	0	2	6.00	0.00	6.00
ग	तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईंधन को रैज करना (पौधों की संख्या)	0	0	0	8700	0	8700	1.57	0.00	1.57
	उप कुल	831	1069	1900				52.98	54.85	107.83
3	पी एच पी एम उपाय									
i	बल्किंग शेड का निर्माण	12	0	12	12	0	12	1.65	0.00	1.65
4	एनटीआरएम का निष्कासन और टारपलीनों की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता	2054	1719	3773	2054	1719	3773	21.17	17.19	38.36
5	अन्य विकासात्मक कार्यक्रम									
क	किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण									
i	कार्यशाला	273	75	348	3	1	4	1.21	0.48	1.69
ii	नीलाम अधीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	5202	3292	8494	100	66	166	2.89	2.15	5.04
iii	एनआईपीएचएम/सीटीआरआई में अधिकारियों/कर्मचारी/ग्राहकों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	182	0	182	4	0	4	12.55	0.00	12.55
iv	सीपीए अवशेष समस्याओं पर ग्राहकों/कर्मचारियों को प्रशिक्षण	295	0	295	2	0	2	0.63	0.00	0.63
ख	प्रचार & विस्तार साहित्य	0	0	0	37000	0	37000	0.84	0.00	0.84
ग	अध्ययन यात्रा	464	0	464	15	0	15	2.44	0.00	2.44
घ	क्षेत्र मित्र दल	0	0	0	3	0	3	0.44	0.00	0.44
	उप कुल	6416	3367	9783			0	21.00	2.63	23.63
6	ऑन-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक ट्रयल									
क	प्राकृतिक फार्मिंग पर प्रदर्शन	60	104	164	74.65	41.60	116.25	9.11	10.33	19.44
ख	ओएफटी-365 दिन ग्रीन कवर	6	0	6	6.20	0	6.20	0.97	0.00	0.97
	उप कुल	66	104	170				10.08	10.33	20.41
7	नमूना परियोजना क्षेत्र (हे.)	0	0	0	18	12	30	5.96	4.64	10.60
	महा योग	14989	11793	26782				182.09	146.44	328.53

**2020-21 के दौरान विस्तार एवं विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत
अ.जा/अ.ज.जा/महिला & अन्य गेयरों को कवरेज**

क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों						भौतिक (यूनिट)						वित्तीय (सब्सिडी ₹ में)					
		एस सी एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस टी	महिला	अन्य	कुल		
1	एफसीवी तम्बाकू की पैदावार & गुणवत्ता की वृद्धि करना																		
क	पेरिटसाईड और रसायनिक अंशभूतों के लिए पत्ता विश्लेषण	637	4007339.00		
ख	संगठित पेट्ट प्रबंध पद्धति																		
ख 1	फोरेमेन ट्राप	45	27	249	777	1098	859	834	6127	19076	26896	11167.00	10842.00	79651.00	247988.00	349648.00			
ख 2	पीला चिपचिपा ट्राप	48	27	264	781	1120	518	451	4032	11854	16855	2072.00	1804.00	16128.00	47416.00	67420.00			
ग	ट्रे और कोकोपिट की आपूर्ति	285	179	1358	3629	5451	68820	47153	396128	984442	1496543	452127.00	300151.00	1758333.00	4384374.00	6894985.00			
घ	बयो-पेरिटसाईडों की आपूर्ति	106	139	577	1592	2414	180	299.98	1611	3819.4	5910.38	20213.00	33735.00	108774.00	257837.00	420559.00			
ङ	ग्रीन हाऊस/पॉली हाऊस के निर्माण	...	26	110	136	27	114	141	10342.00	43661.00	54003.00		
च	गेंदा (मारीगोल्ड) बीजों की आपूर्ति	970000	727500.00		
छ	बाजरा & जेवर बीजों की आपूर्ति	925	2097	83133.00		
	उप कुल				11144												12604587.00		

क्र. सं.	योजना का नाम	उपलब्धियाँ										वित्तीय (सब्सिडी ₹ में)				
		लाभभोगियों					भौतिक (यूनिट)									
		एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल
2	क्यूरिंग पद्धतियों की वृद्धि															
क	ऊर्जा संरक्षण उपाय															
क1	ग्लास वूल छत पृथक्करण / पेडुली स्ट्रॉ छत पृथक्करण	47	48	366	1265	1726	41.5	45	349.1	1177.4	1613	228184.00	237909.00	2073365.00	6796347.00	9335805.00
क2	लूज लीफ बखार का पृथक्करण	1	1	2	1	1	2	300000.00	300000.00	600000.00
क3	वैन्डुरी फर्नेस का पृथक्करण	6	...	39	127	172	6	...	31	101.75	138.75	30000.00	...	151436.00	508750.00	690186.00
ख	तम्बाकू क्यूरिंग के लिए ईंधन को रैज करना	8700	157140.00
	उप कुल					1900										10783131.00
3	एनटीआरएम का निष्कासन और टापलीनों की आपूर्ति द्वारा उत्पाद अखंडता	278	118	747	2630	3773	278	118	747	2630	3773	328400.00	130400.00	747000.00	2630000.00	3835800.00
4	पीएचपीएम उपाय बल्किंग शेड मोडल स्टोरेज सुविधाओं का निर्माण	0	0	1	11	12	0	0	1	11	12	0.00	0.00	150000.00	150000.00	165000.00
5	अन्य विकासालमक कार्यक्रम															
क	किसानों & कर्मचारियों को प्रशिक्षण															
i	कार्यशाला	348	4	168576.00
ii	ग्रोयर्स को नीलाम अधीक्षकों द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम	8494	166	503516.00

उपलब्धियाँ																		
क्र. सं.	योजना का नाम	लाभभोगियों						भौतिक (यूनिट)						वित्तीय (सब्सिडी ₹ में)				
		एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल	एस सी	एस टी	महिला	अन्य	कुल		
iii	एनआईपीएचएम/सीटीआरआई में अधिकारियों/कर्मचारी/गोयरों को प्रशिक्षण कार्यक्रम	182	4	1255048.00		
iv	गोयर/कर्मचारियों को वर्गीकरण, पैकेज प्रथाओं, सीपीए अवशेष समस्याओं को रोकने पर प्रशिक्षण	275	1	60970.00		
v	अपेक्स समिति बैठक	20	1	2400.00		
ख	प्रचार & विस्तार साहित्य	37000	83967.00		
ग	अध्ययन यात्रा	464	15	243807.00		
घ	क्षेत्र मित्र दल	3	44233.00		
	उप कुल					9783										2362517.00		
6	ऑन-फार्म परीक्षण & प्रयोगात्मक ट्रयल	170	122.45	2041344.00		
7	नमूना परियोजना क्षेत्र (हे.)	30	1060335.00		
	महा योग					26782										32852714.00		

ग़ोय़र कल्याण पहलू (सूत्रपात)

I) तम्बाकू बोर्ड ग़ोय़र कल्याण निधि :

तम्बाकू बोर्ड ने, आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटका, तेलंगाना & ओडिशा राज्यों में लगभग 81,500 एफसीवी तम्बाकू ग़ोय़रों और उनके परिवार के सदस्यों के समग्र कल्याण को निश्चित करने के उद्देश्य से वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, भारत सरकार का अनुमोदन के साथ 2009-10 में “तम्बाकू बोर्ड ग़ोय़र कल्याण योजनाएँ” प्रारंभ करने के द्वारा विभिन्न कल्याणकारी उपायों को अपनाया है ।

यह कल्याण योजना द्वारा मृत्यु अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता और बालिका विवाह, आश्रित बच्चों की शिक्षा, प्रधान बीमारियों/दुर्घटना मामलों का इलाज, जो शल्य चिकित्सा की आवश्यकता है को और प्राकृतिक आपत्तियों/अग्नि दुर्घटनाओं के कारण बखारों को मरम्मत आदि., के लिए ब्याज मुक्त ऋण के रूप में प्रावधान करती है । तम्बाकू बोर्ड इस योजना के प्रारंभ होने से लेकर अब तक अनुदान और ऋणों के शब्दों के रूप में 17,234 ग़ोय़रों को वित्तीय सहायता का प्रावधान किया । ₹ 48.51 करोड मूल्य के अनुदान 12,801 लाभभोगियों को मंजूर किये गये तथा 4,433 ग़ोय़रों को ₹ 11.27 करोड मूल्य के ब्याज मुक्त ऋण मंजूर किये गये ।

इस योजना के प्रारंभ से 2020-21 के अंत तक, तम्बाकू बोर्ड ग़ोय़र कल्याण निधि में ₹ 64.45 करोड की राशि उपलब्ध रही ।

2020-21 के दौरान, अनुदानों के रूप में ₹ 6.45 करोड और ब्याज मुक्त ऋणों के रूप में ₹ 1.17 करोड रुपये, कुल मिलकर ₹ 7.62 करोड ऋण वितरित किये गये। 2020-21 के दौरान योजना वार दिये अनुदान / ब्याज मुक्त ऋण विवरण पृष्ठ सं. 52 में दिये गये।

II) किसानों को उत्पादन से संबंधित सेवाएँ :

(क) मिट्टी व जल परीक्षण :

पंजीकृत तम्बाकू ग़ोय़रों के मिट्टी और जल नमूनाओं को संग्रहित एवं विश्लेषण नियमित के आधार पर मुफ्त में कराती है । बोर्ड ने, विश्लेषित परिमाणों के आधार पर, एफसीवी तम्बाकू खेती के लिए बोर्ड द्वारा मिट्टी उपयुक्तता और जल सिंचाई और गुणता व उपज वृद्धि के लिए उर्वरकों को सही मात्राओं में उपयोग करने के लिए ग़ोय़रों को सलाह देती है । 2020-21 फसल मौसम के दौरान, आन्ध्र प्रदेश में 2,301 मिट्टी नमूनाओं को केवीके, दर्शी में और 557 जल नमूनाओं को केवीके, दर्शी की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा विश्लेषित करवाये गये । कर्नाटका राज्य में आरसीएफ लिमिटेड, गौडहल्ली, कोलार जिला की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा 4,200 मिट्टी नमूनाओं को विश्लेषित करके परिणाम संबंधित ग़ोय़रों को सूचित किये गये । उक्त के अलावा 2020-21 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश में 1,000 मिट्टी नमूनाओं को और कर्नाटका में 180 मिट्टी नमूनाओं को - एफई, जडएन, एमएन और सीयू आदि., की सूक्ष्म पोषकतत्वों के लिए विश्लेषण को अपनाये गये ।

राज्य	माक्रो पोषकतत्व		सूक्ष्म पोषकतत्व
	मिट्टी नमूने	जल नमूने	मिट्टी नमूने
आन्ध्र प्रदेश	2,301	557	1,000
कर्नाटका	4,200	--	180
कुल	6,501	557	1,180

ख) एफसीवी तम्बाकू ग्राहकों के लिए बखार और माल (स्टॉक) बीमा :

वर्ष 2003 से आन्ध्र प्रदेश में और 2019-20 से कर्नाटका में स्टैंडर्ड फायर तथा एलाइड पेरिल्स पॉलसी (स्थाई अग्नि तथा संबद्ध जोखिम पॉलसी) के जरिये क्यूरिंग और स्टोरेज के दौरान बखार तथा तम्बाकू स्टॉकों को आच्छेद बीमा की सुविधा, बोर्ड दे रही है। पंजीकृत ग्राहक भी हर साल सामूहिक वैयक्तिक दर्घटना पालसी (जीपीए) के अंतर्गत कवर होते हैं। 2020-21 फसल मौसम के दौरान, ओरियंटल इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड ने आन्ध्र प्रदेश में 33,179 ग्राहकों को तथा उनके 32,187.94 बखारों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 1.83 करोड़ राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को अदा की गयी थी। यूनाइटेड इंडिया इन्सुरेन्स कंपनी लिमिटेड ने कर्नाटका में 34,851 ग्राहकों को तथा उनके 43,082.50 बखारों के लिए बीमा कवरेज का प्रावधान किया और इस के लिए ₹ 2.15 करोड़ राशि प्रीमियम के रूप में बीमा कंपनी को अदा की गयी।

A vertical photograph showing a dense field of green tobacco plants. The plants are arranged in neat rows, and their leaves are a vibrant green color. The perspective is from a slightly elevated angle, looking down the length of the field.

A vertical photograph showing a dense field of tobacco plants. The plants are characterized by large, vibrant green, oval-shaped leaves that are arranged in rows. The perspective is from a slightly elevated angle, looking down the length of the field, which creates a strong sense of depth and repetition. The lighting is bright, highlighting the texture and color of the foliage.

प्लॉटफार्मों में नीलामकार की सेवाएँ

तम्बाकू बोर्ड ने, क्रेताओं के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने, ग्राहकों को सही भुगतान तथा तम्बाकू के लिए ठीक तौलन को सुनिश्चित करने के द्वारा तम्बाकू ग्राहकों को न्यायसंगत एवं लाभप्रद मूल्य सुनिश्चित करने कर्नाटका में सन् 1984 में तथा आन्ध्र प्रदेश में 1985 को एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम प्रणाली को शुरू की है। तब से लेकर बोर्ड एफसीवी तम्बाकू बिक्री के लिए, नीलामी प्रणाली को सफलतापूर्वक कार्यान्वयन करता आ रहा है।



एफसीवी तम्बाकू का ई-नीलाम

1. आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलाम :

क) परिमाण एवं मूल्य :

आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 2019-20 वित्तीय वर्ष में 17/02/2020 को प्रारंभ हुए और समापन 2020-21 वित्तीय वर्ष में दि.21/10/2020 को समाप्त हुए। नीलाम मौसम के अंत तक ₹ 123.95 प्रति किलो औसतन मूल्य में कुल 128.65 मि.कि.ग्रा. विपणन हुआ था, जिसमें दि.01/04/2020 से 21/10/2020 तक याने., 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान ₹ 122.84 प्रति कि.ग्रा औसत मूल्य में 124.18 मि.कि.ग्रा. तम्बाकू परिमाण का विपणन हुआ था। 01/04/2020 से 21/10/2020 तक नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य पृष्ठ सं 65 में दिये गये।

ख) न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी) :

बोर्ड की संगठित प्रयासों से, अनेक वर्षों के अन्तराल के बाद भारतीय तम्बाकू संघ ने आन्ध्र प्रदेश में 2016-17 फसल मौसम से एफसीवी तम्बाकू फसल के लिए न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी) देने के लिए सहमत हुई तथा घोषित की। भा तं सं द्वारा 2019-20 से 2021-22 तक घोषित न्यूनतम गारंटी निर्देशात्मक मूल्य (एमजीआईपी) नीचे दिये गये :

श्रेणी	एफसीवी तम्बाकू के लिए एमजीआईपी			
	पारंपरिक मिट्टियों में (दहमि, दकामि & उकामि) (₹/कि.)		उत्तर हल्की मिट्टी (उहमि) / कर्नाटका हल्की मिट्टी (केएलएस) (₹/कि.)	
	से	तक	से	तक
चमकील	122.50	132.50	142.50	152.50
मध्यम	107.50	117.50	122.50	132.50
निम्न*	62.50	72.50	62.50	72.50

* 'एनओजी' श्रेणी को अलग कर दिया गया है।

ग) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

तम्बाकू बोर्ड ने 2019-20 फसल मौसम के दौरान आन्ध्र प्रदेश के लिए 136 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया था। इस के लिए अनुमानित उत्पादन 135.84 मि.कि.ग्रा. रहा था।

फसल पैदावार के चरण (जनवरी के पहले सप्ताह) के दौरान अकाल बारिश स्थायी फसल को हानी पहुँचाया, जिसके परिणामस्वरूप कम श्रेणी आऊटटर्न याने., निम्न श्रेणी के अधिक अनुपात में उत्पादन हुआ था। दहमि & दकामि क्षेत्रों में इस अकाल बारिश का प्रभाव अधिक था। इस के साथ-साथ श्रमिक की तीव्र कमी ने उत्पादन की लागत को बढ़ा दिया था।

घ) श्रेणी आऊटटर्न :

पिछले वर्ष के दौरान रहे 27% : 29% : 44% श्रेणी आऊटटर्न की तुलना में चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणियों के लिए प्रतिशतता के शब्दों में क्रमशः 33% : 30% : 37% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज किये गये।

मिट्टी क्षेत्र वार चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणी प्रतिशत पिछले वर्ष की तुलना 2019-20 में नीचे दिये गये :

क्षेत्र	2019-20 मौसम			2018-19 मौसम		
	चमकीला %	मध्य %	निम्न %	चमकीला %	मध्य %	निम्न %
उकामि	48	32	20	43	45	12
दकामि	31	19	50	18	23	59
दहमि	25	34	41	20	29	51
उहमि	42	37	21	42	36	22
समग्र	33	30	37	27	29	44

ड) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

आन्ध्र प्रदेश में 2019-20 मौसम के लिए एकसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ 5 दशाओं में नीचे दिये सारणी के अनुसार प्रारंभ हुए :

क्र. सं.	दशा	नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ की तारीख	क्षेत्र	नीलाम प्लैटफार्म
1	पहली दशा	17/02/2020 (सोमवार)	दहमि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. 22, पोदिली-I, नी.प्लै.सं. 29, डी.सी. पल्ली, नी.प्लै.सं. 35, कनिगिरी
			दकामि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. 20, ओंगोल-I, नी.प्लै.सं. 25, कोंडेपी, नी.प्लै.सं. 31, वेल्मपल्ली-II
2	दूसरी दशा	26/02/2020 (बुधवार)	दहमि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. 26, कन्दुकुरु-I, नी.प्लै.सं. 27, कन्दुकुरु-II, नी.प्लै.सं. 28, कलिगिरी
3	तीसरी दशा	11/03/2020 (बुधवार)	दकामि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. 23, ओंगोल-II, नी.प्लै.सं. 24, टंगुदूर-I, नी.प्लै.सं. 34, टंगुदूर-II
4	चौथी दशा	19/03/2020 (शुक्रवार)	उहमि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. 17, देवरपल्ली, नी.प्लै.सं.18, जे.आर.गूडेम-I, नी.प्लै.सं. 30, कोय्यलगूडेम, नी.प्लै.सं.32, जे.आर. गूडेम-II, नी.प्लै.सं.33, गोपालपुरम
5	पाँचवी दशा	13/05/2020 (बुधवार)	उकामि क्षेत्र	नी.प्लै.सं. 15, तोर्रेडू

च) बाजार प्रवृत्तियाँ :

2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ दि.17/02/2020 से चरणबद्ध तरीके से प्रारंभ हुए । 4.47 मि.किग्रा की बिक्री के बाद, कोविड-19 महमारी और बाद में लॉकडाऊन के कारण दि.22/03/2020 से नीलामियाँ अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया गया था । प्रारंभ में दि.27/04/2020 से 5 नीलाम प्लैटफार्मों में पुनः प्रारंभ हुए और दि.13/05/2020 तक अन्य सभी 13 नीलामी प्लैटफार्मों में फेजेड तरीके से पुनः प्रारंभ हो गयी ।

कोविड-19 महमारी के प्रसार/संस्पर्श से बचने के लिए एफसीवी तम्बाकू की नीलामी के लिए विशिष्ट एसओपी को अपनाने के द्वारा नीलामियों को आयोजित किये गये थे ।

अप्रैल की अंतिम सप्ताह में आन्ध्र प्रदेश में नीलामियाँ पुनः प्रारंभ होने के बाद चमकीला श्रेणियों के लिए बेहतर मूल्य प्राप्त होने पर भी दकामि और दहमि क्षेत्रों में मध्यम श्रेणी के लिए मूल्य में गिरावट आयी थी । विशेष रूप से निम्न श्रेणी के लिए कोई क्रेता नहीं है और अधिकांश निम्न श्रेणी बेल नीलामियों में तिरस्कृत हो गये थे । निम्न श्रेणी बेलों की अधिक तिरस्कृति प्रतिशतता की कारण ग्रायर आंदोलन शुरू कर दिये ।

छ) एपीमार्कफेड द्वारा तम्बाकू की बिक्री :

निम्न श्रेणियों के विपणन में समस्याओं को ध्यान में रखते हुए, चालू नीलामियों पर दि.18/06/2020 को तम्बाकू ग्रायर्स & व्यापारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक में माननीय आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बाजार में हस्तक्षेप करने और नीलामियों में तम्बाकू को आन्ध्रप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघलिमिटेड(एपीमार्कफेड) के द्वारा खरीदने का निर्णय लिया । तदनुसार एपीमार्कफेड ने खरीददार के रूप में बाजार में प्रवेश किया और 1 जुलाई, 2020

से नीलामियों में तम्बाकू की खरीद को शुरू कर दी है। एपीमार्कफेड द्वारा मध्यम और निम्न श्रेणियों की खरीदों के साथ, अस्वीकृत की प्रतिशतता कम हुए और नीलामियाँ सुचारु रूप से चल रहे हैं। मौसम के दौरान एपी मार्कफेड ने ₹ 81.00 प्रति किग्रा. के औसत मूल्य में कुल 12.93 मि.किग्रा. तम्बाकू खरीद लिया है।

मिट्टी क्षेत्र वार और श्रेणी वार एपीमार्कफेड की बिक्रियाँ नीचे दिये थे :

मिट्टी क्षेत्र	श्रेणी	2020-21	
		विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
उकामि	चमकीला	119.20	145.00
	मध्यम	7161.20	102.21
	निम्न	105338.60	75.84
	कुल	112619.00	77.59
उहमि	चमकीला	132.20	156.00
	मध्यम	87399.60	118.41
	निम्न	866011.90	100.23
	कुल	953543.70	101.90
दकामि	चमकीला	257.30	140.00
	मध्यम	79059.90	129.84
	निम्न	7286846.90	78.89
	कुल	7366164.10	79.44
दहमि	चमकीला	0.00	0.00
	मध्यम	116759.20	106.49
	निम्न	4382503.70	78.48
	कुल	4499262.90	79.21
कुल	चमकीला	508.70	145.33
	मध्यम	290379.90	116.33
	निम्न	12640701.10	80.19
	कुल	12931589.70	81.00

एपीमार्कफेड द्वारा मिट्टी क्षेत्र वार और विशेष श्रेणी वार क्रय विवरण पुष्ट सं. 71 & 72 में दिये गये :

नीलाम बिक्रियाँ दि.21/10/2020 को समाप्त हुए। 128.65 मि.किग्रा परिमाण को ₹ 123.95 प्रति कि.ग्रा., औसत मूल्य में विपणन हुआ था। 2019-20 मौसम के दौरान प्राप्त ₹ 123.95 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य जो पिछले वर्ष के लिए प्राप्त औसत मूल्य से ₹ 2.42 प्रति कि.ग्रा. अधिक रहा था। गुणवत्ता वाली तम्बाकू के लिए ₹ 217/- प्रति कि.ग्रा. का उच्चतम कीमत दर्ज प्राप्त हुआ था।

2019-20 नीलामियों के दौरान प्राप्त मिट्टी क्षेत्र वार औसत मूल्य पूर्व वर्ष की तुलना में नीचे दिये हैं :


मिट्टी क्षेत्र	श्रेणी	2020 नीलाम (अंतिम)		2019 नीलाम (अंतिम)		2019 नीलाम की तुलना में 2020 के औसत मूल्य में अन्तर
		विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	
उकामि (उत्तरी काली मिट्टियाँ)	चमकीला	1.31	158.68	1.06	160.15	-1.47
	मध्यम	0.87	123.57	1.12	102.64	20.93
	निम्न	0.56	73.77	0.31	71.01	2.76
	कुल	2.74	130.17	2.49	123.24	6.93
दकामि (दक्षिण काली मिट्टियाँ)	चमकीला	13.35	173.02	7.93	168.65	4.37
	मध्यम	8.49	130.97	9.73	125.10	5.87
	निम्न	21.88	75.57	25.58	84.78	-9.21
	कुल	43.73	116.09	43.24	109.24	6.85
दहमि (दक्षिण हल्की मिट्टियाँ)	चमकीला	10.00	167.46	7.84	168.87	-1.41
	मध्यम	13.78	130.24	11.46	136.49	-6.25
	निम्न	16.40	71.73	20.59	83.07	-11.34
	कुल	40.19	115.62	39.89	115.28	0.34
उहमि (उत्तरी हल्की मिट्टियाँ)	चमकीला	17.84	170.72	16.15	172.10	-1.38
	मध्यम	15.36	142.58	13.87	140.86	1.72
	निम्न	8.80	71.87	8.44	85.10	-13.23
	कुल	41.99	139.71	38.46	141.74	-2.03
सभी मिट्टी क्षेत्र	चमकीला	42.50	170.31	32.98	170.12	0.19
	मध्यम	38.50	135.17	36.19	134.05	1.12
	निम्न	47.65	73.54	54.92	84.11	-10.57
	कुल	128.65	123.95	124.09	121.53	2.42

ज) क्रेता निष्पादन :

2020 आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में कुल 60 क्रेता भाग लिये। निर्माणकर्ता, निर्यातकों तथा डीलरों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और औसत मूल्य पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये :

क्र. सं.	क्रेता संवर्ग	2020 नीलामियाँ			2019 नीलामियाँ		
		परिमाण (मि. कि.ग्रा.)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
1	निर्माणकर्ता	67.21	52.25	140.02	67.37	54.29	129.53
2	निर्यातक	40.18	31.22	118.01	45.73	36.85	112.93
3	डीलर	21.26	16.53	84.38	10.99	8.86	108.33
	कुल	128.65	100.00	123.95	124.09	100.00	121.53

2019-20 आन्ध्र प्रदेश एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं की खरीदें निम्नानुसार रहे हैं :



कुल मिलाकर पिछले वर्ष में रहे 135 दिनों के लिए 175 नीलाम दिनों में नीलामियाँ समाप्त हुए ।

झ) कुल विपणित मूल्य :

क्रेताओं द्वारा 2019-20 आन्ध्र प्रदेश फसल के दौरान क्रयित तम्बाकू के कुल मूल्य ₹ 1,594.57 करोड था ।

ड) आधिक्य एवं अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री के लिए ग्राहकों को अनुमति :

भारत सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 2121 (ई) & 2122 (ई), दि.26 जून, 2020 द्वारा आन्ध्र प्रदेश राज्य में पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य परिमाण तम्बाकू की बिक्री के लिए, बशर्ते कि 5% सेवा प्रभार (1% सामान्य सेवा प्रभार मिलाकर) तथा प्राधिकृत कोटा की 10% की सीमा तक ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर अनुमति और पंजीकृत ग्राहकों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक से अधिक 10% सीमा तक उत्पादित तम्बाकू की बिक्री के लिए अनुमति तथा प्लू क्यूर्ड वर्जीनिया तम्बाकू का प्रति अप्राधिकृत ग्राहक, जो 2019-20 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादित किया था, को भी 10% सेवा प्रभार (1% सामान्य सेवा प्रभार मिलाकर) और ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर बिक्री के लिए अनुमति दी ।

आन्ध्र प्रदेश में पंजीकृत ग्राहकों द्वारा बिक्रित आधिक्य तम्बाकू और अप्राधिकृत ग्राहकों द्वारा बिक्रित अप्राधिकृत तम्बाकू परिमाण विवरण निम्नानुसार रहे हैं :

क्र सं.	ग्राहकों का संवर्ग	ग्राहकों की संख्या	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल (₹/किलो)
1.	पंजीकृत ग्राहक	19,012	93,96,097.6	76.40
2.	अपंजीकृत ग्राहक	6	4,478.0	66.56

II. कर्नाटका में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

कर्नाटका में 2019-20 एफसीवी तम्बाकू फसल की बिक्री के लिए नीलामियाँ दो वित्तीय वर्षों में समय का विस्तार हुआ था। 2019-20 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ वित्तीय वर्ष 2019-20 को याने., 16/09/2019 को प्रारंभ हुआ था और वित्तीय वर्ष में याने., 2020-21 को समाप्त हुआ था। 2020-21 वित्तीय वर्ष को याने., 01/04/2020 से 09/06/2020 तक अवधि के दौरान ₹ 87.79 प्रति कि.ग्रा. औसत मूल्य में कुल 4.07 मि.कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था। 01/04/2020 से 09/06/2020 के दौरान नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित परिमाण और औसत मूल्य पृष्ठ सं. 66 में दिये गये :

कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू नीलाम बिक्रियाँ अधिकतर एक ही वित्तीय वर्ष में समापन होंगे। लेकिन कोविड-19 महामारी के कारण नीलामियाँ 22/03/2020 से 20/05/2020 तक स्थगित कर दिये गये थे के कारण 09/06/2020 तक नीलाम बिक्रियाँ बढ़ाये गये।

III. कर्नाटका में 2020-21 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

बोर्ड ने, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय माँग और आपूर्ति की स्थिति को देखते हुए कर्नाटका में 2020-21 फसल मौसम के लिए 88 मिलियन कि.ग्रा. एफसीवी तम्बाकू के लिए फसल परिमाण को तय किया है। इस मौसम में 88 मि.कि.ग्रा. लक्षित फसल परिमाण के लिए केवल 100.41 मि.कि.ग्रा. का उत्पादन अनुमानित था। प्रारंभ में 99 मि.कि.ग्रा. फसल परिमाण निर्धारित किया था और विश्व में कोविड-19 महामारी के परिमाण स्वरूप पूर्वानुमानित कमी आभा माँग को दृष्टि में रखते हुए 88 मि.कि.ग्रा. तक कम किया गया था।

ख) श्रेणी आऊट-टर्न :

चमकीला, मध्य और निम्न श्रेणी प्रतिशत के संदर्भ में पिछले वर्ष रहे 14% : 44% : 42% की तुलना में 2020-21 फसल के लिए 15% : 41% : 44% श्रेणी आऊट टर्न दर्ज हुए थे।

ग) नीलाम बिक्रियों का प्रारंभ :

नीलामियाँ दो दशाओं में प्रारंभ हुए थे। 2020-21 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए प्रथम दशा में नीलामियाँ दो नीलाम प्लैटफार्मों में याने., चिलकुन्दा और पेरियपट्टना-II में दि.30/09/2020 को प्रारंभ हुआ था और दूसरी दशा में नीलामियाँ कर्नाटका के बाकी 09 नीलाम प्लैटफार्मों में दि. 07/10/2020 को प्रारंभ हुए थे।

घ) बाजार प्रवृत्तियाँ :


कुल 88.42 मि.कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था और औसत मूल्य ₹119.87 प्रति कि.ग्रा. प्राप्त हुई। वर्तमान मौसम के लिए प्राप्त औसत मूल्य ₹119.87, जो पिछले वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य की तुलना में ₹4.19 प्रति कि.ग्रा. कम रहा था। गुणवत्ता वाली तम्बाकू के लिए उच्चतम मूल्य ₹ 264/- प्रति कि.ग्रा. दर्ज हुआ था और यह मूल्य भारत में एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के इतिहास में रिकार्ड उच्चतम मूल्य रहा था।

चालू फसल मौसम के दौरान चमकीला, मध्यम & निम्न श्रेणी तम्बाकू के विपणित तम्बाकू परिमाण और प्राप्त औसत मूल्य विवरण पिछले वर्ष की तुलना में नीचे दिये थे :


क्र. सं.	श्रेणी	2020 नीलाम		2019 नीलाम		2019 नीलाम की तुलना में 2020 के औसत मूल्य में अन्तर
		विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	
1	चमकीला	13.49	182.77	14.60	175.22	+ 7.55
2	मध्य	35.81	138.76	46.44	139.82	- 1.06
3	निम्न	39.12	80.88	45.14	91.29	- 10.41
	कुल	88.42	119.87	106.18	124.06	- 4.19

- पैदावार समय के दौरान अनियमित वर्षा के कारण मध्यम और निम्न श्रेणी तम्बाकू का अधिक अनुपात में उत्पादन हुआ था ।
- इस मौसम के दौरान, चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणी तम्बाकू का उत्पादन क्रमशः 15%, 41%, 44% रहा था ।
- निम्न श्रेणी उत्पादन की अधिक प्रतिशत की स्थिति किसानों को औसत मूल्य प्राप्त पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा था ।
- आधिक्य प्राधिकृत और अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री के लिए नवंबर महीने में ही अनुमति दिये गये । इससे अप्राधिकृत ग्राहक अपने तम्बाकू को लंबे समय स्टोरेज के दौरान होने वाली गुणवत्ता के नुकसान से बचने में सक्षम बनाया ।

2020-21 कर्नाटका एफसीवी तम्बाकू नीलामियों के दौरान प्रधान क्रेताओं की खरीदी नीचे दिये गये हैं ।



ड) पिछले 10 वर्षों के लिए कर्नाटका नीलामियों में ग्राहकों द्वारा प्राप्त औसत मूल्य :



नीलाम बिक्रियाँ पिछले वर्ष की 160 नीलाम दिनों की तुलना में 135 नीलाम दिनों में 22/03/2021 को समाप्त हुई ।

च) खरीददार का निष्पादन :

चालू नीलाम मौसम के दौरान निर्माणकर्ताओं, निर्यातकों तथा डीलरों द्वारा किये क्रय विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	संवर्ग	क्रयित परिमाण (कि.ग्रा)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1.	निर्माणकर्ता	48.73	55.12	126.79
2.	निर्यातक	34.93	39.50	111.02
3.	डीलर	4.76	5.38	113.89
	कुल	88.42	100.00	119.87

2020-21 कर्नाटका नीलामियों के दौरान नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और उच्चतम बिड़ दर्शाने वाले विवरण पुष्ट सं. 68 में दिये गये ।

छ) आधिक्य फसल एवं अप्राधिकृत फसल बिक्री के लिए ग्राहकों को अनुमति :

भारत सरकार ने अधिसूचना सं. एस.ओ. 4209 (ई) & 4210 (ई), दि. 25 नवंबर, 2020 द्वारा कर्नाटका राज्य में पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य परिमाण तम्बाकू की बिक्री के लिए, बशर्ते कि 5% सेवा प्रभार (1% सामान्य सेवा प्रभार मिलाकर) तथा प्राधिकृत कोटा की 10% की सीमा तक ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क भुगतान करने पर अनुमति और पंजीकृत ग्राहकों द्वारा प्राधिकृत कोटा से अधिक से अधिक 10% सीमा तक उत्पादित तम्बाकू की बिक्री तथा प्लू क्यूर्ड वर्जीनिया तम्बाकू का प्रत्येक अप्राधिकृत ग्राहक, जो 2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू उत्पादन किया था, को भी 10% सेवा प्रभार (1% सामान्य सेवा प्रभार मिलाकर) और ₹ 2.00 प्रति किलो अतिरिक्त शुल्क को भुगतान करने पर बिक्री के लिए अनुमति दी ।

कर्नाटका मे पंजीकृत गोयरोँ द्वारा विक्रित आधिक्य तम्बाकू परिमाण और अपंजीकृत गोयरोँ द्वारा विक्रित अप्राधिकृत तम्बाकू विवरण निम्नानुसार है :

क्र. सं.	गोयरोँ का संवर्ग	गोयरोँ की संख्या	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल (₹/किलो)
1.	पंजीकृत गोयर	17,795	8.36	92.88
2.	अपंजीकृत गोयर	12,537	11.87	101.08

IV. आन्ध्र प्रदेश में 2020-21 एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए नीलामियाँ :

क) निर्धारित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन :

2020-21 फसल मौसम के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने आन्ध्र प्रदेश के लिए 115 मिलियन कि.ग्रा. का फसल परिमाण निर्धारित किया है। इस के लिए 109.63 मिलियन कि.ग्रा. का उत्पादन होने का अनुमान है ।

इस वर्ष आन्ध्र प्रदेश के किसानों ने पिछले वर्ष की तुलना में 14,291 हे. (18%) में प्लानटेशन को कम किया। रोपण के समय में चक्रवातों के कारण पूरे राज्य में ट्रान्सप्लानटेशन में देरी हुई । 10,000 हेक्टर क्षेत्र 'निवार' चक्रवात के कारण डामेज हुई । देरी से रोपित फसल के कारण दहमि & दकामि क्षेत्रों में पैदावार में भारी कमी आई। फिर भी, फसल की गुणवत्ता अच्छी रही और अधिक चमकीला श्रेणी तम्बाकू का उत्पादन हुआ था ।

फसल उत्पादन में छोटे परिमाण और कर्मचारियों की तीव्र कमी के कारण अनिवार्य सेवाओं को प्रभावपूर्ण ढंग से वितरित करने में आने वाली कठिनाईयों को ध्यान में रखते हुए, इस मौसम के लिए थोरेडू & टंगुटूर-II नीलाम प्लैटफार्मों में प्रचालन अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया था । थोरेडू नीलाम प्लैटफार्म को देवरपल्ली नीलाम प्लैटफार्म के साथ मिला दिया गया और टंगुटूर-II नीलाम प्लैटफार्म के अधिकार क्षेत्र को दकामि क्षेत्र के अंतर्गत अन्य नीलाम प्लैटफार्मों को समायोजित किया गया था । पिछले वर्ष में संचालित 18 नीलाम प्लैटफार्मों में से 2020-21 नीलाम मौसम के दौरान 16 नीलाम प्लैटफार्म संचालन में हैं ।

इस वर्ष के दौरान मिट्टी क्षेत्र वार लक्षित फसल परिमाण और अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

क्र. सं.	मिट्टी क्षेत्र	लक्षित फसल (मि.कि.ग्रा.)	अनुमानित उत्पादन (मि.कि.ग्रा.)
1	दकामि क्षेत्र	37.20	36.98
2	दहमि क्षेत्र	34.14	32.25
4	उहमि क्षेत्र	43.66	40.40
	महा योग	115.00	109.63

नोट : उकामि क्षेत्र में 3 मि.कि.ग्रा. लक्षित फसल और 2.5 मि.कि.ग्रा. आकालित उत्पादन उहमि क्षेत्र में शामिल है।

2019-20 फसल की तुलना में 2020-21 फसल में चमकीला, मध्यम और निम्न श्रेणी की प्रतिशतता का मिट्टी क्षेत्र वार अनुमानित उत्पादन नीचे दिये गये :

क्षेत्र	2020-21 मौसम			2019-20 मौसम		
	चमकीला %	मध्यम %	निम्न %	चमकीला %	मध्यम %	निम्न %
द का मि	53	27	20	31	19	50
द ह मि	59	23	18	25	34	41
उ ह मि	54	32	14	42	37	21
कुल	55	28	17	33	30	37

ख) नीलामी बिक्रियों का प्रारंभ :


गोयरो, भातंसं & व्यापार प्रतिनिधियों की सर्वसम्मति के अनुसार नीलामियाँ 2 दशाओं में प्रारंभ हुए । पहली दशा में नीलामियाँ दहमि & दकामि क्षेत्रों में सभी 11 नीलामी प्लैटफार्मों में दि.15/03/2021 को और 2वीं दशा में नीलामियाँ उहमि क्षेत्र के सभी 5 नीलाम प्लैटफार्मों में दि.24/03/2021 को प्रारंभ हुए । नीलामियों को कोविड-19 महमारी के प्रसार/संस्पर्श से बचने के लिए एसओपी को अपनाने के द्वारा नीलामियों को आयोजित किये गये थे।

ग) परिमाण और मूल्य :

नीलामियाँ सभी नीलाम प्लैटफार्मों में दकामि क्षेत्र में गुणवत्ता तम्बाकू के लिए ₹ 183/- प्रति किलो, दहमि क्षेत्र में ₹ 180/- प्रति कि.ग्रा. और उहमि क्षेत्र में ₹ 185/- प्रति कि.ग्रा. के उच्चतम मूल्य के सकारात्मक नोट के साथ प्रारंभ हुए । दि.31/03/2021 तक ₹ 173.98 प्रति कि.ग्रा. के औसत मूल्य में 5.35 मि.कि.ग्रा. परिमाण का विपणन हुआ था । 2020-21 नीलामियों के दौरान प्राप्त औसत मूल्य ₹ 173.98 प्रति किलो, जो अनुरूप मात्रा विपणन के लिए पिछले वर्ष में प्राप्त औसत मूल्य से ₹ 19.53 प्रति कि.ग्रा. अधिक रहा था ।

मिट्टी क्षेत्र	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	प्राप्त औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)		पिछले वर्ष की तुलना में औसत मूल्य में अंतर (₹/कि.ग्रा.)
		2020-21	2019-20	
दकामि	2.41	173.06	154.64	+ 18.42
दहमि	2.55	175.05	152.38	+ 22.67
उहमि	0.39	172.68	166.38	+ 6.30
कुल	5.35	173.98	154.45	+ 19.53

2011 से आन्ध्र प्रदेश नीलामियों में गोयरो को प्राप्त औसत मूल्य



(दि. 31/03/2021 तक)

घ) दि. 31/03/2021 तक चमकीला, माध्यम और निम्न श्रेणियों के लिए प्राप्त औसत मूल्य निम्नानुसार है :

श्रेणी	विपणित परिमाण (मि.कि.ग्रा.)	% शेयर	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
चमकीला	4.71	87.93	175.57
माध्यम	0.64	12.03	162.50
निम्न	0.002	0.04	135.16
कुल	5.35	100.00	173.98

दि. 31/03/2021 तक नीलाम प्लेटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण, प्राप्त औसत मूल्य और दर्ज उच्चतम बिड पृष्ठ सं. 67 में दिये गये ।

V) 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण :

आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों नीलाम प्लेटफार्मों में दि. 01/04/2020 से 31/03/2021 तक की अवधि के दौरान विपणित तम्बाकू का कुल परिमाण 222.02 मि.कि.ग्रा. था तथा उपार्जित औसत मूल्य ₹ 122.25 प्रति कि.ग्राम रहा था । विवरण पृष्ठ सं. 65 & 66 में दिये गये ।

आन्ध्र प्रदेश एवं कर्नाटका दोनों में दि.01/04/2020 से 31/03/2021 तक की अवधि के दौरान निर्माणकर्ता, निर्यातक और डीलरों द्वारा क्रयित तम्बाकू परिमाण और प्रदत्त औसत मूल्य के विवरण पृष्ठ सं. 69 & 70 में दिये गये ।

**01/04/2020 से 31/03/2021 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका
में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	2020 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ 01/04/2020 से 21/10/2020 अवधि के दौरान विपणित परिमाण		2021 आन्ध्र प्रदेश नीलामियाँ 15/03/2021 से 31/03/2021 अवधि के दौरान विपणित परिमाण		कुल विपणित परिमाण 01/04/2020 से 31/03/2021 अवधि के दौरान	
		विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
I. आन्ध्र प्रदेश							
1	तोर्रेडू	2733178.8	130.17	0.0	0.00	2733178.8	130.17
कुल (उकामि)		2733178.8	130.17	0.0	0.0	2733178.8	130.17
2	वेल्लमपल्ली-II	7634127.1	115.43	291355.5	171.37	7925482.6	117.49
3	ऑंगोल-I	7888930.8	119.24	648844.4	173.16	8537775.2	123.34
4	ऑंगोल-II	7614055.5	119.39	353560.1	174.29	7967615.6	121.83
5	टंगुदूर-I	5655707.3	116.26	544654.9	172.73	6200362.2	121.22
6	टंगुदूर-II	5144702.9	109.32	0.0	0.00	5144702.9	109.32
7	कोंडेपी	7797336.0	104.27	574887.5	173.37	8372223.5	109.01
कुल (दकामि)		41734859.6	114.15	2413302.4	173.06	44148162.0	117.37
8	पोदिली-I	8800123.9	101.49	523835.4	172.20	9323959.3	105.46
9	कन्दुकुरु-I	8598416.8	120.35	645318.1	175.81	9243734.9	124.22
10	कन्दुकुरु-II	7051403.2	120.35	397586.4	176.37	7448989.6	123.34
11	कनिगिरी	4099798.3	105.46	354120.5	175.16	4453918.8	111.00
12	कलिगिरी	4031154.3	118.37	175054.8	175.81	4206209.1	120.76
13	डी.सी. पल्ली	5204906.7	113.99	453758.3	175.70	5658665.0	118.94
कुल (दहमि)		37785803.2	113.25	2549673.5	175.05	40335476.7	117.16
14	देवरपल्ली	6518581.5	144.60	57167.1	172.22	6575748.6	144.84
15	जे.आर. गूडेम-I	9381471.2	133.92	61190.9	171.55	9442662.1	134.16
16	जे.आर. गूडेम-II	9621866.3	139.34	142195.4	174.23	9764061.7	139.85
17	कोय्यलगूडेम	9637011.1	136.33	79865.1	170.46	9716876.2	136.61
18	गोपालपुरम	6764066.6	148.08	51438.7	173.71	6815505.3	148.27
कुल (उहमि)		41922996.7	139.66	391857.2	172.68	42314853.9	139.97
उप कुल		124176838.3	122.84	5354833.1	173.98	129531671.4	124.96

**01/04/2020 से 31/03/2021 तक अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका
में नीलाम प्लैटफार्म वार विपणित तम्बाकू परिमाण**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	2019 कर्नाटका नीलामियाँ 01/04/2020 से 09/06/2020 अवधि के दौरान विपणित परिमाण		2020 कर्नाटका नीलामियाँ 30/09/2020 से 22/03/2021 अवधि के दौरान विपणित परिमाण		कुल विपणित परिमाण 01/04/2020 से 31/03/2021 अवधि के दौरान	
		विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
II. कर्नाटका							
1	एच.डी. कोटे-I	0	0	6652041.7	115.30	6652041.7	115.30
2	हुन्सूर-I	0	0	7333517.0	122.70	7333517.0	122.70
3	हुन्सूर-II	0	0	6480308.4	119.20	6480308.4	119.20
4	हुन्सूर-III	0	0	6361710.0	122.17	6361710.0	122.17
5	कंपलापुरा	0	0	8278541.8	118.96	8278541.8	118.96
6	चिलकुंदा	851973.5	90.21	9660923.4	121.33	10512896.9	118.81
7	पेरियपट्ना-I	1047812.8	87.53	8367075.5	119.74	9414888.3	116.16
8	पेरियपट्ना-II	1020416.8	87.83	10707546.6	123.75	11727963.4	120.62
9	पेरियपट्ना-III	1147193.3	86.18	8748920.4	120.29	9896113.7	116.34
10	रामनाथपुरा-I	0	0	8340251.6	117.27	8340251.6	117.27
11	रामनाथपुरा-II	0	0	7494022.9	115.92	7494022.9	115.92
उप कुल		4067396.4	87.79	88424859.3	119.87	92492255.7	118.46
महा योग (आं.प्र. & क.)		128244234.7	121.73	93779692.4	122.96	222023927.1	122.25

**2021 आन्ध्र प्रदेश नीलाम - दि.31/03/2021 तक नीलाम किये
एफसीवी तम्बाकू का नीलाम प्लैटफार्म वार विवरण**

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	नी. प्लै. सं.	लक्षित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	अनुमानित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	प्रारंभ की तारीख	बिक्रित बेलों की संख्या	दर्ज किये उत्तम बोली (₹/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	विपणित तम्बाकू मूल्य (₹)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा)
1	वेल्लमपल्ली-II	31	6.90	6.70	15.03.2021	2151	183.00	291355.5	49929592.04	171.37
2	ओंगोल-I	20	7.67	8.64	15.03.2021	4908	183.00	648844.4	112353896.30	173.16
3	ओंगोल-II	23	6.61	5.74	15.03.2021	2695	183.00	353560.1	61621989.83	174.29
4	टंगुटूर-I	24	8.07	8.40	15.03.2021	4213	183.00	544654.9	94078240.88	172.73
5	कोंडेपी	25	7.95	7.50	15.03.2021	4475	181.00	574887.5	99668245.88	173.37
	कुल (दकामि)		37.20	36.98		18442	183.00	2413302.4	417646113.34	173.06
6	पोदिली-I	22	8.08	7.10	15.03.2021	3943	181.00	523835.4	90204455.88	172.20
7	कन्दुकुरु-I	26	7.04	7.80	15.03.2021	5059	183.00	645318.1	113453375.16	175.81
8	कन्दुकुरु-II	27	6.04	6.44	15.03.2021	3041	182.00	397586.4	70122313.37	176.37
9	कनिगिरि	35	3.79	3.01	15.03.2021	2667	181.00	354120.5	62027746.78	175.16
10	कलिगिरि	28	4.01	3.10	15.03.2021	1371	181.00	175054.8	30776384.39	175.81
11	डी.सी. पल्ली	29	5.18	4.80	15.03.2021	3414	181.00	453758.3	79725333.31	175.70
	कुल (दहमि)		34.14	32.25		19495	183.00	2549673.5	446320346.18	175.05
12	देवरपल्ली	17	9.47	8.20	24.03.2021	411	185.00	57167.1	9845317.96	172.22
13	जे.आर.गूडेम-I	18	8.45	8.10	24.03.2021	466	185.00	61190.9	10497298.90	171.55
14	जे.आर.गूडेम-II	32	8.74	7.50	24.03.2021	1098	185.00	142195.4	24774704.54	174.23
15	कोय्यलगूडेम	30	8.48	8.60	24.03.2021	594	185.00	79865.1	13613804.95	170.46
16	गोपालपुरम	33	8.52	8.00	24.03.2021	380	185.00	51438.7	8935416.58	173.71
	कुल (उहमि)		43.66	40.40	24.03.2021	2949	185.00	391857.2	67665901.30	172.68
	महा योग		115.00	109.63		40886	185.00	5354833.1	931633862.74	173.98

2020 कर्नाटका नीलाम - दि.31/03/2021 तक नीलाम प्लैटफार्म वार नीलाम किये एफसीवी तम्बाकू विवरण

क्र. सं.	नीलाम प्लैटफार्म का नाम	नी. प्लै. सं.	लक्षित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	अनुमानित परिमाण (मि.कि.ग्रा)	प्रारंभ की तारीख	बिक्रित बेलों की संख्या	दर्ज किये उत्तम बोली (र/कि.ग्रा)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा)	विपणित तम्बाकू मूल्य (र)	औसत मूल्य (र/कि.ग्रा)
1	एच.डी. कोटे-I	1	7.85	8.15	07.10.2020	70211	260.00	6652041.7	766980408.01	115.30
2	हुन्सूर-I	2	6.31	8.33	07.10.2020	76884	262.00	7333517.0	899822535.90	122.70
3	हुन्सूर-II	3	6.20	7.85	07.10.2020	68459	259.00	6480308.4	772452761.28	119.20
4	हुन्सूर-III	64	5.35	6.40	07.10.2020	67894	261.00	6361710.0	777210110.70	122.17
5	कंपलापुरा	61	6.64	8.49	07.10.2020	87807	263.00	8278541.8	984815332.53	118.96
6	चिलकुंदा	62	9.35	10.80	30.09.2020	103295	262.00	9660923.4	1172159836.12	121.33
7	पेरियपट्ना-I	4	10.55	10.57	07.10.2020	85988	262.00	8367075.5	1001873620.37	119.74
8	पेरियपट्ना-II	5	9.85	11.80	30.09.2020	108142	261.00	10707546.6	1325058891.75	123.75
9	पेरियपट्ना-III	6	9.13	10.11	07.10.2020	88048	264.00	8748920.4	1052407634.91	120.29
10	रामनाथपुरा-I	7	9.25	9.87	07.10.2020	87487	262.00	8340251.6	978061305.13	117.27
11	रामनाथपुरा-II	63	7.52	8.04	07.10.2020	79006	261.00	7494022.9	868707134.57	115.92
	महा योग		88.00	100.41		923221	264.00	88424859.3	10599549571.28	119.87

दि. 01/04/2020 से 31/03/2021 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्रेता वार क्रय विवरण

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2019-20 आं.प्र. फसल				2020-21 आं.प्र. फसल				2019-20 कर्नाटका फसल				2020-21 कर्नाटका फसल				कुल (दि. 01/04/2020 से 31/03/2021 तक)	
		दि. 01/04/2020 से 21/10/2020 तक		दि. 15/03/2021 से 31/03/2021 तक		दि. 01/04/2020 से 09/06/2020 तक		दि. 30/09/2020 से 22/03/2021 तक		दि. 01/04/2020 से 09/06/2020 तक		दि. 30/09/2020 से 22/03/2021 तक							
		परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि.कि.ग्रा)	औसत दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा			
निर्माणकर्ता																			
1	आईटीसी लिमिटेड	55366475.8	137.93	44.59	2743678.8	172.28	51.24	713565.5	95.99	17.54	41231861.4	126.58	46.63	100055581.5	133.90	43.56			
2	जीपीआई लिमिटेड	8531953.7	149.03	6.87	542072.9	175.88	10.12	277588	82.06	6.82	7503675.7	127.96	8.49	16855290.3	139.41	7.34			
	उप-कुल	63898429.5	139.41	51.46	3285751.7	172.87	61.36	991153.5	92.09	24.36	48735537.1	126.79	55.12	116910871.8	134.69	50.89			
निर्यातक																			
3	पोलिशेट्टि सोमसुंदरम	15454860.8	130.37	12.45	320877.4	179.23	5.99	811874.8	95.65	19.96	8665410.10	121.56	9.80	25253023.10	126.85	10.99			
4	दक्कन तम्बाकू कं. ग्रूप	6027635.4	99.74	4.85	301920.3	173.94	5.64	520814.8	74.75	12.80	11241700.20	131.01	12.71	18092070.70	119.69	7.88			
5	एलिएन्स वन इं. लि.	3521865.2	92.63	2.84	123448.0	179.32	2.31	199129.4	60.90	4.90	3349570.80	104.05	3.79	7194013.40	98.56	3.13			
6	प्रीमियर टुबोको	4640361.7	155.18	3.74	909271.9	174.10	16.98	74222.5	70.97	1.82	1813662.00	130.66	2.05	7437518.10	150.67	3.24			
7	मिट्टपल्ली एगो प्रोडक्ट्स प्रा. लिमिटेड (आर)	1206200.1	53.32	0.97	3249.3	158.42	0.06	571199.0	73.58	14.04	3943934.40	63.04	4.46	5724582.80	62.10	2.49			
8	मोहम्मद एं.प्रा.लिमिटेड	1420933.1	147.41	1.14	62895.3	179.94	1.17	276433.4	109.32	6.80	2346572.90	100.49	2.65	4106834.70	118.54	1.79			
9	प्रगति टोबेको ट्रेडर्स इं.	2304855.1	118.52	1.86	9496.5	175.20	0.18				4258.60	119.73	0.00	2318610.20	118.75	1.01			
10	मिट्टपल्ली आदिनारायण एं.प्र.लिमिटेड	725076.1	79.57	0.58				118054.5	113.53	2.90	276334.90	93.57	0.31	1119465.50	86.61	0.49			
11	षेक मस्तान साहेब टोबेको	687462.0	60.69	0.55							283409.90	42.85	0.32	970871.90	55.48	0.42			

दि. 01/04/2020 से 31/03/2021 अवधि के दौरान आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में क्रेता वार क्रय विवरण

क्र. सं.	क्रेता का नाम	2019-20 आं.प्र. फसल				2020-21 आं.प्र. फसल				2019-20 कर्नाटका फसल				2020-21 कर्नाटका फसल				कुल (दि. 01/04/2020 से 31/03/2021 तक)	
		दि. 01/04/2020 से 21/10/2020 तक		दि. 15/03/2021 से 31/03/2021 तक		दि. 01/04/2020 से 09/06/2020 तक		दि. 01/04/2020 से 22/03/2021 तक		दि. 30/09/2020 से 22/03/2021 तक									
		परिमाण (मि. कि.ग्रा)	औसत.दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि. कि.ग्रा)	औसत.दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि. कि.ग्रा)	औसत.दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि. कि.ग्रा)	औसत.दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा	परिमाण (मि. कि.ग्रा)	औसत.दर (₹/कि.ग्रा)	% हिस्सा			
12	एम.एल. & कं. ग्रूप	742388.3	83.06	0.60									804106.90	76.14	0.91	1546495.20	79.46	0.67	
13	यार्लगड्डा एक्सपोर्ट्स	1132287.2	100.53	0.91	951.3	154.91	0.02	67829.9	74.10	1.67			184646.90	152.38	0.21	1385715.30	106.18	0.60	
14	वाणी टोबाकोस							62563.5	49.63	1.54			73189.90	137.78	0.08	135753.40	97.17	0.06	
15	तेजा टोबाको ट्रेडर्स	402679.6	80.00	0.32									239758.40	55.01	0.27	642438.00	70.67	0.28	
16	अविनाश टोबेकोस	393027.1	139.29	0.32									84988.80	143.50	0.10	478015.90	140.04	0.21	
17	कार्टेल टोबाको												419488.60	34.34	0.47	419488.60	34.34	0.18	
18	पांचजन्या टोबेकोस	6131.1	186.80	0.00									14540.90	129.51	0.02	20672.00	146.50	0.01	
19	प्रपल्था आगोस लिमिटेड	53839.1	80.90	0.04									67740.80	58.30	0.08	121579.90	68.31	0.05	
20	हमिद एक्सपोर्ट्स												224736.50	39.13	0.25	224736.50	39.13	0.10	
21	मोडल राज एक्सपोर्ट्स												67874.80	144.02	0.08	67874.80	144.02	0.03	
22	प्रकाशम एंटरप्राइजेस				91305.7	177.08	1.71						509646.10	127.51	0.58	600951.80	135.04	0.26	
23	एम.के. ट्रेडिंग												315978.50	47.57	0.36	315978.50	47.57	0.14	
24	के.के. मोहन				17804.0	165.41	0.33									17804.00	165.41	0.01	
25	के.आर. & कं.	197236.3	41.14	0.16												197236.30	41.14	0.09	
26	वेंकट साई टोबाको कं.	377479.6	34.20	0.30												377479.60	34.20	0.16	
	उप कुल	39294317.8	117.01	31.63	1841219.7	175.55	34.39	2702121.8	84.29	66.43			34931550.9	111.02	39.50	78769210.20	114.60	34.29	
	अन्य (डीलर)	20984091.0	83.31	16.91	227861.7	177.25	4.25	374121.1	101.63	9.21			4757771.3	113.89	5.38	26343845.10	89.91	14.82	
	कुल योग	124176838.3	122.84	100	5354833.1	173.98	100	4067396.4	87.79	100			88424859.3	119.87	100	222023927.10	122.25	100.00	

2019-20 आ.प्र. नीलाम - एपीमार्कफेड द्वारा श्रेणीवार & मिट्टी क्षेत्र वार क्रय विवरण

श्रेणी	दहमि		दकामि		उहमि		उकामि		सभी क्षेत्र	
	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
बीजीएस	44.7	85.00							44.7	85.00
बीएमजी	32282.3	85.22							32282.3	85.22
बीएमजीएस	80.8	85.00							80.8	85.00
बीपीएल	604.5	75.00	430.1	75.00					1034.6	75.00
एफ02			145.2	140.00					145.2	140.00
एफ02एम			112.1	140.00					112.1	140.00
एफ02पी							119.2	145.00	119.2	145.00
एफ03	31895.7	131.41	68807.0	134.50			752.9	141.97	101455.6	134.53
एफ03एम	906.9	111.66	127.7	130.00			473.7	129.89	1508.3	118.94
एफ03पी							516.7	119.39	516.7	119.39
एफ04	18208.3	93.54	10125.2	98.12			4945.9	93.05	33279.4	94.86
एफ04एस	268.3	76.46							268.3	76.46
एफ05	997456.7	81.91	2773044.5	83.58			37479.1	77.00	3807980.3	83.07
एफ05एस	116.8	86.00	525.5	85.00					642.3	85.18
एफ07	3154.1	83.09					472	88.24	3626.1	83.76
एफ07एम			119.7	86.00					119.7	86.00
एफ07एस	134.6	85.00							134.6	85.00
एफ08	131794.0	83.90	135938	85.00			734.8	84.34	268467	84.46
एफ09	12409.5	78.16	6331.1	75.94					18740.6	77.41
एफ10			210.5	80.39					210.5	80.39
एल2ओ					132.2	156.00			132.2	156.00
एल3जे	75.6	130.00							75.6	130.00
एल3एल	102.7	140.00							102.7	140.00
एल3ओ					5903.9	152.71			5903.9	152.71
एल4एल					297.0	114.05			297	114.05
एल4ओ					3292.6	115.40			3292.6	115.40
एल5जे	350.0	82.07							350	82.07

2019-20 आ.प्र. नीलाम - एपी मार्कफेड द्वारा श्रेणीवार & मिट्टी क्षेत्र वार क्रय विवरण

श्रेणी	दहमि		दकामि		उहमि		उकामि		सभी क्षेत्र	
	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)	विपणित परिमाण (कि.ग्रा.)	औसत मूल्य (₹/कि.ग्रा.)
एल5एल	448.8	80.41			2137.4	101.09			2586.2	97.59
एल5ओ					22726.9	104.59			22726.9	104.59
एनडीजी	4546.8	80.97							4546.8	80.97
एनओजी	2669912.5	75.55	4370247.3	75.74			67124.7	75.10	7107284.5	75.66
पी3जे	218.2	135.37							218.2	135.37
पी3एल	1575.0	139.74							1575	139.74
पी4जे	96.1	100.00							96.1	100.00
पी4एल	757.8	94.26							757.8	94.26
पी5जे	24512.8	84.96			97.4	100.00			24610.2	84.96
पी5एल	42208.4	85.06							42208.4	85.10
टी3जे	530.6	139.64							530.6	139.64
टी3एल	1195.0	135.49							1195	135.49
टी4जे	1744.8	106.16							1744.8	106.16
टी4ओ					82.5	100.00			82.5	100.00
टी5जे	114172.9	84.91							114172.9	84.91
टी5ओ					65.8	100.00			65.8	100.00
टीएमजी	9025.2	85.54							9025.2	85.54
एक्स3जे	571.8	137.97							571.8	137.97
एक्स3एल	7116.2	135.19			55.6	101.00			7171.8	134.92
एक्स4जे	1703.8	97.85							1703.8	97.85
एक्स4एल	5195.6	104.23			61254.3	116.17			66449.9	115.23
एक्स4ओ					16513.7	115.29			16513.7	115.29
एक्स4एस	90.5	85.00							90.5	85.00
एक्स5जे	79812.7	84.86			517.1	100.00			80329.8	84.96
एक्स5एल	303843.4	85.08			762695.2	100.11			1066538.6	95.83
एक्स5ओ	98.5	85.00			77772.1	100.19			77870.6	100.17
कुल	4499263	79.19	7366164	79.44	953543.7	101.91	112619.0	77.59	12931589.7	81.00

व्यापार स्कंध

भारत सरकार ने अपने प्रचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ रुपयों की मार्जिन रशि के साथ 1984 में व्यापार स्कंध को सृजन किया। 31/03/2021 तक ₹ 26.01 करोड़ की मार्जिन राशि बोर्ड के साथ उपलब्ध रही है। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 20-क के अनुसार, यदि ऐसा करना उचित है, तो सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों में नीलाम प्लैटफार्मों में ग्राहकों से वर्जीनिया तम्बाकू खरीदना या भारत में अथवा विदेशों में उसे बेचना व्यापार स्कंध का उद्देश्य है। 2020-21 के दौरान तम्बाकू बोर्ड के व्यापार स्कंध द्वारा कोई समर्थन मूल्य प्रचालन नहीं किये थे, जो कि बाजार उल्लासी और ग्राहकों उत्तम मूल्य प्राप्त किये थे।

प्रोसेसर / निर्माणकर्ता / वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक ग्रेडरों / तम्बाकू एवं तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक / पैकरों / तम्बाकू के डीलरों के रूप में पंजीकरण :

कोई भी व्यक्ति, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 11 क, 11 ख (i) एवं 12 के अंतर्गत वर्जीनिया तम्बाकू की प्रोसेसर, वर्जीनिया तम्बाकू उत्पादों का निर्माण, वाणिज्य प्रयोजनों के लिए वर्जीनिया तम्बाकू से संबंधित ग्रेडिंग कार्य अपनाना, तम्बाकू अथवा अन्य किसी तम्बाकू उत्पाद का निर्यात, तम्बाकू के पैकर, नीलामकार अथवा तम्बाकू डीलर के रूप में कार्य, जो इस अधिनियम के तहत बने नियमों के अनुसार बोर्ड में अपने - आप को पंजीकृत कर लिये बिना, नहीं कर सकता। व्यक्तिगत रूप से, फर्म अथवा कम्पनियों के द्वारा, प्रत्येक संवर्ग के लिए अलग तौर पर तम्बाकू बोर्ड से पंजीकरण / पंजीकरण के नवीकरण प्राप्त करने के पश्चात् ही उपर्युक्त प्रचालन करना होगा। तम्बाकू बोर्ड द्वारा प्रदत्त पंजीकरण या पंजीकरण के नवीकरण, एक कैलेंडर वर्ष के लिए मान्य है।

वर्ष 2020 के लिए तथा वर्ष 2021 के लिए (दि. 31/03/2021 तक) व्यापारियों के विभिन्न संवर्गों को मंजूर किये गये पंजीकरण/पंजीकरण नवीकरण के विवरण निम्नलिखित प्रकार हैं :

क्रम सं.	संवर्ग	पंजीकृत कंपनियों की संख्या	
		2020	2021*
1	वर्जीनिया तम्बाकू प्रोसेसर	11	03
2	वर्जीनिया तम्बाकू निर्माणकर्ता	33	05
3	तम्बाकू निर्यातक	164	141
4	तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक	376	303
5	तम्बाकू डीलर	405	353
6	तम्बाकू पैकर	23	07
7	वर्जीनिया तम्बाकू के वाणिज्यिक श्रेणीकरणकर्ता	24	13
	कुल	1036	825


*दि. 31/03/2021 तक

‘डिजिटल इंडिया’ पर भारत सरकार की प्रेरणा की दिशा में तम्बाकू बोर्ड ने तम्बाकू व्यापारी को पारदर्शी एवं समकालीनात्मक इलेक्ट्रानिक सेवाओं को उपलब्ध कराने के लिए आवेदनों को ई-फैलिंग करने के लिए ऑनलाईन प्रणाली को प्रारंभ किया। सभी संवर्गों के व्यापारियों द्वारा राजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्राप्त करने पोर्टल www.tobaccoboard.in द्वारा आवेदनों को ई-फैलिंग करना अनिवार्य कर दिया गया था।

भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात

भारतीय अनिर्मित तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात 2020-21 के दौरान ₹ 6,305.94 का उच्चतम रिकार्ड दर्ज किये। 2020-21 के दौरान निर्यात एक बार ₹ 6,000 करोड़ मार्क पार किया, जो पहली बार 2013-14 के दौरान (₹ 6,092.86 करोड़), दूसरी बार (₹ 6,058.13 करोड़) 2015-16 के दौरान और तीसरी बार (₹ 6,001.02 करोड़) 2018-19 के दौरान प्राप्त हुए।

भारत अनिर्मित तम्बाकू में विश्व में दूसरा बड़ा उत्पादक और तीसरा बड़ा निर्यातक है। भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यातों में अनिर्मित तम्बाकू (एचएस कोड : 2401 - कुल निर्यातों के मूल्य में 61.14%) में फ्लू क्यूरेड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू और नॉन-एफसीवी तम्बाकू याने., बर्ली, एचडीबीआरजी, सूर्य अभिसाधित देशी (एससीसी), लाल चोपाडिया, रास्टिका, डार्क फायर क्यूरेड तम्बाकू, ओरियंटल आदि., सिगरेट और सिगरिल्लोस (एचएस कोड : 2402 - कुल निर्यातों के मूल्य में 9.03%), अन्य तम्बाकू उत्पादों (एचएस कोड : 2403 - कुल निर्यातों के मूल्य में 29.8%) याने., चर्वण तम्बाकू, कट तम्बाकू, हुक्का तम्बाकू पेस्ट, स्नफ और बीडी आदि., होते हैं। भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों का निर्यात पिछले छः वर्षों के दौरान सामान्य परिवर्तन के साथ ₹ 5,500 करोड़ से ₹ 6,000 करोड़ हो गया था।




1. भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्यापार विश्लेषण :

1.1 भारत से तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के समग्र निर्यात निष्पादन :

2020-21 के दौरान भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के निर्यात क्रमशः : मूल्य के शब्दों में ₹ 6,305.94 करोड़ (851.10 मिलियन यूएस डॉलरों) के साथ 2,11,631 मि.टन के क्रम में रहे थे। वर्ष 2020-21 के दौरान निर्यात, जो 2019-20 के दौरान किये गये निर्यात की तुलना में परिमाण के शब्दों में 3% गिर गये। फिर भी, मूल्य रुपये और डॉलरों के शब्दों में क्रमशः 6% और 1% की सकारात्मक वृद्धि दर्ज किये गये।


क्रम संख्या	संवर्ग	अप्रैल 2020 - मार्च 2021			अप्रैल 2019 - मार्च 2020			मूल्य में परिवर्तन % (मि.यूएस \$)
		परिमाण मे.टनों में	मूल्य ₹ करोड में	मूल्य.मि. यू एस \$. में	परिमाण मे.टनों में	मूल्य ₹ करोड में	मूल्य.मि. यू एस \$. में	
I	अनिर्मित तम्बाकू (एचएस कोड 2401)							
क	एफसीवी तम्बाकू	1,05,406	2,726.91	367.43	1,06,310	2,681.81	378.73	-2.98
ख	नॉन-एफसीवी तम्बाकू	68,775	1,128.38	152.28	74,406	1,134.37	160.20	-4.94
	कुल	1,74,181	3,855.29	519.71	1,80,716	3,816.18	538.93	-3.57
II	तम्बाकू उत्पाद							
क	सिगरेट & सिगरिल्लोस (एचएस कोड 2402)	9,300	569.64	77.03	10,782	571.74	80.74	-4.59
ख	अन्य उत्पाद (एचएस कोड 2403)	28,150	1,881.01	254.36	25,895	1,581.67	223.37	13.87
	कुल उत्पाद	37,450	2,450.65	331.39	36,677	2,153.41	304.11	8.97
	महा योग	2,11,631	6,305.94	851.10	2,17,393	5,969.59	843.04	0.96
	2019-20 की तुलना में % परिवर्तन (+/-)	-3	6	1	-1	-1	-2	

स्रोत : तम्बाकू बोर्ड सांख्यिकी-निर्यातकों द्वारा प्रस्तुत रिटर्नों के आधार पर



I.2 अनिर्मित तम्बाकू निर्यात :

वर्ष 2020-21 के दौरान, अनिर्मित तम्बाकू के निर्यात, जो परिमाण के शब्दों में 1,74,181 मेट्रिक टनों से 4% तथा मूल्य डालरों के शब्दों में \$ 519.71 मिलियन यूएसडी से निर्यात 4% तक गिर गये। रूपये के शब्दों में ₹ 3,855.29 करोड से 1% की वृद्धि प्राप्त किये। यह 2019-20 के दौरान ₹3,816.18 करोड या यूएस \$ 538.93 मिलियन मूल्य में निर्यातित 1,80,716 मेट्रिक टन के अनिर्मित तम्बाकू के विपरीत रहा है।




1.2.1 अनिर्मित तम्बाकू के किस्म वार निर्यात :

2020-21 के दौरान भारतीय अनिर्मित तम्बाकू के कुल निर्यातों में से 60.52% शेयर के साथ परिमाण के शब्दों में एफसीवी तम्बाकू प्रधान निर्यात किस्म प्रकार रहा है, साथ बर्ली 15.31% का रहा है। अन्य निर्यातित तम्बाकू प्रकारों में से एचडीबीआरजी (6.84%), सन क्यूर्ड देशी (3.01%), लाल चोपाडिया (4.56%) और रस्टिका (1.38%) है। मूल्य के शब्दों में, कुल अनिर्मित तम्बाकू निर्यातों में से एफसीवी तम्बाकू निर्यात 70.73% और शेष 29.27% के लिए नॉन-एफसीवी तम्बाकू निर्यातों का हिसाब रहा है।

(परिमाण में.टनों में, मूल्य : ₹ करोड़)

तम्बाकू प्रकार	2020-21				2019-20	
	परिमाण	% परिवर्तन व-द-व	मूल्य	% परिवर्तन व-द-व	परिमाण	मूल्य
प्लू क्यूर्ड वर्जीनिया (एफसीवी) तम्बाकू	1,05,406	-0.85	2,726.91	1.68	1,06,310	2,681.81
नॉन-एफसीवी तम्बाकू						
बर्ली	26,666	-12.07	465.27	-7.11	30,326	500.89
एचडीबीआरजी	11,908	50.22	188.63	61.24	7,927	116.99
सन क्यूर्ड देशी	5,242	-15.84	81.65	-11.95	6,229	92.74
लाल चोपाडिया	7,941	-11.54	103.04	5.63	8,976	97.55
रस्टिका	2,403	-19.77	45.42	6.59	2,995	42.61
अन्य	14,614	-18.60	244.37	-13.83	17,953	283.59
उप-कुल (नॉन-एफसीवी प्रकार)	68,774	-7.57	1,128.38	-0.53	74,406	1,134.37
कुल	1,74,181	-3.62	3,855.29	1.02	1,80,716	3,816.18



एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2019-20 के दौरान किये 1,06,310 मेट्रिक टन का निर्यात मूल्य ₹ 2,681.81 करोड (यूएस \$ 378.73 मिलियन) के लिए 2020-21 के दौरान 1,05,406 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था, जिसका मूल्य ₹ 2,726.91 करोड (यूएस \$ 367.43 मिलियन) था। 2020-21 के दौरान एफसीवी तम्बाकू के निर्यात पिछले वर्ष की तुलना में परिमाण के शब्दों में और मूल्य डालरों के शब्दों में क्रमशः 1% और 3% अवनति आई है। फिर भी, मूल्य रुपये के शब्दों में 2% बढ़ गये हैं।

वर्ष	एफसीवी तम्बाकू के निर्यात		व-द-व मूल्य (यूएस\$) में परिवर्तन %
	मूल्य ₹ करोड में	मूल्य मिलियन यूएस \$ में	
2015-16	3,495.81	534.0	9
2016-17	3,428.45	512.0	-2
2017-18	3,059.60	474.6	-11
2018-19	2,863.87	409.7	-6
2019-20	2,681.81	378.7	-6
2020-21	2,726.91	367.4	2

एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 2015-16 से 2020-21 तक परिमाण के शब्दों में 22% तक बहुत बड़ा गिरावट रहा है। गिरावट की ट्रेन्ड पिछले पाँच सालों में जारी रही है। फिर भी, 2020-21 के दौरान, मूल्य रूपयों के शब्दों में 2% की धनात्मक वृद्धि, जो मूल्य डालरों के शब्दों में यह 3% घट गयी।


2020-21 के दौरान, नॉन-एफसीवी तम्बाकू का निर्यात 68,775 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था, जिसका मूल्य ₹ 1,128.38 करोड (152.28 मिलियन यूएस \$) था। 2020-21 के दौरान, नॉन-एफसीवी तम्बाकू के निर्यात, पिछले वर्ष की तुलना में परिमाण के शब्दों में 8% की अवनति दर्ज की है और मूल्य के शब्दों में, पिछले वर्ष के निर्यातों की तुलना में रुपये और यूएस डालरों के शब्दों में क्रमशः 1% और 5% की अवनति दर्ज की है।

1.2.2 अनिर्मित तम्बाकू के क्षेत्र वार निर्यात :

पश्चिम यूरोप, जो कुल निर्यातों में मूल्य के शब्दों में लगभग 38.42% हिस्सा के साथ भारतीय तम्बाकू के लिए प्रधान गन्तव्य स्थान बना हुआ है। पिछले वर्ष की तुलना में इस क्षेत्र को निर्यात में 2.03% वृद्धि हुई है। 2020-21 के दौरान मध्य पूर्व, पूर्व यूरोप और आफ्रिका को क्रमशः 38.75%, 10.36% और 1.91% वृद्धि दर्ज किये हैं। फिर भी, दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया (22.50%), उत्तर & दक्षिण अमेरिका (10.15%) क्षेत्रों में गिरावट की स्थिति देखी गयी। आस्ट्रेलेशिया को निर्यात यद्यपि महत्वपूर्ण नहीं है।

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोड़ों में)

क्षेत्र	2020-21			2019-20			% परिवर्तन (मूल्य)
	परिमाण	कुल में % शेयर	मूल्य	परिमाण	कुल में % शेयर	मूल्य	
पश्चिम यूरोप	59,092	33.93	1,481.40	60,502	33.48	1,451.95	2.03
पूर्व यूरोप	25,785	14.80	673.67	24,163	13.37	610.42	10.36
मध्य पूर्व	30,333	17.41	528.12	24,002	13.29	380.62	38.75
दक्षिण और दक्षिण पूर्व एशिया	26,499	15.21	622.68	36,471	20.18	803.44	-22.50
अफ्रीका	22,149	12.72	389.96	23,265	12.86	382.64	1.91
उत्तर और दक्षिण अमेरिका	10,318	5.92	159.30	12,056	6.67	177.30	-10.15
आस्ट्रेलेशिया	5	0.003	0.15	257	0.14	9.82	-98.43
कुल	1,74,181	100.00	3,855.29	1,80,716	100.00	3,816.18	1.02



1.2.3 अनिर्मित तम्बाकू का देश वार निर्यात (शीर्ष 10 बाजार) :

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोड में)

क्र. सं.	देश का नाम	2020-21		2019-20		₹ करोडों के शब्दों में % मूल्य परिवर्तन
		परिमाण	मूल्य	परिमाण	मूल्य	
1	बेलजियम	43,599.24	1,148.86	43,052.03	1,086.36	5.75
2	ईजिप्ट	16,173.18	233.82	15,881.41	207.08	12.91
3	यूएई	14,797.95	249.78	9,036.76	161.73	54.45
4	येमन	7,748.05	105.40	7,964.60	87.06	21.07
5	बेलारस	7,070.03	132.90	3,460.56	65.01	104.43
6	कोरिया आरपी	6,503.18	167.68	7,653.96	200.91	-16.54
7	फिलिपैन्स	6,301.40	102.54	11,290.58	169.28	-39.43
8	इंडोनेशिया	6,007.98	157.91	6,378.55	148.37	6.43
9	पोलान्ड	5,346.00	154.23	4,068.90	105.90	45.65
10	नेपाल	5,161.46	132.66	7,149.20	189.15	-29.87

बेलजियम, जो शीर्ष आयात देश है, को 2020-21 के दौरान मूल्य रुपये के शब्दों में निर्यात में 5.75% की वृद्धि दिखाई गई है। अन्य प्रमुख बाजारों में बेलारस (104.43%), यूएआई (54.45%), पोलान्ड (45.65%), येमन (21.07%), ईजिप्ट (12.91%) और इंडोनेशिया (6.43%) जो उल्लेखनीय वृद्धि दिखाई गई।

अन्य प्रधान निर्यात बाजारों में से फिलिपैन्स (-39.43%), नेपाल (-29.87%) और कोरिया आरपी (-16.54%), जो गिरावट दिखाई गई।

1.3 तम्बाकू उत्पादों के निर्यात :


वर्ष 2020-21 के दौरान, सिगरेट और सिगरिल्लोस (एचएस कोड 2402) के निर्यात परिमाण, मूल्य रुपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 13.75%, 0.37% और 4.59% नकारात्मक वृद्धि के साथ 9,300 मेट्रिक टनों के क्रम में रहा था, जब कि 2019-20 के दौरान निर्यातित 10,782 मेट्रिक टन का मूल्य ₹ 571.74 करोड (यूएस \$ 80.74 मिलियन) रहा था।

अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड 2403), जो 2019-20 के दौरान निर्यातित ₹ 1,581.67 करोड (यू एस \$ 223.37 मिलियन) मूल्य में निर्यातित 25,895 मेट्रिक टनों की तुलना में ₹ 1,881.01 करोड (यू एस \$ 254.36 मिलियन) के 28,150 मेट्रिक टन के क्रम में रहा था। अन्य तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड 2403) परिमाण, मूल्य रुपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 8.71%, 18.93% और 13.87% के साथ धनात्मक वृद्धि दिखाई गई।

कुल तम्बाकू उत्पादों के निर्यात (एचएस कोड 2402 & 2403) 2019-20 की तुलना में परिमाण, मूल्य रुपये और डालरों के शब्दों में क्रमशः 2%, 14% और 9% वृद्धि दिखायी गयी।

(परिमाण मेट्रिक टनों में, मूल्य ₹ करोड में)

क्र. सं.	उत्पाद संवर्ग	2020-21			2019-20		
		परिमाण	व-द-व %परिवर्तन	मूल्य	परिमाण	व-द-व %परिवर्तन	मूल्य
	सिगरेट & सिगारिल्लोस (एचएस कोड 2402)						
1	सिगरेट	9,235	-13.83	561.05	-0.61	10,717	564.47
2	सिगार	65	0.88	8.59	18.16	64	7.27
	उप कुल	9,300	-13.74	569.64	-0.37	10,782	571.74
	अन्य उत्पाद (एचएस कोड 2403)						
1	चर्वण तम्बाकू	23,071	31.14	1,718.24	24.10	17,592	1,384.53
2	कट तम्बाकू	3,712	-22.11	85.10	-14.91	4,766	100.02
3	हुक्का तम्बाकू पेस्ट	1,080	-66.87	3,4.84	-41.00	3,261	59.05
4	बीडी	219	1.05	32.29	-1.36	216	32.74
5	स्नफ	55	-5.85	3.60	-32.53	59	5.33
6	अन्य	13		6.94		0	0.00
	उप कुल	28,150	8.71	1,881.01	18.93	25,895	1,581.67
	महा योग	37,450	2.11	2,450.65	13.80	36,677	2,153.41



2. निर्यात उन्नयन गतिविधियाँ :

2.1. तम्बाकू व्यापार मेलों और प्रदर्शनियों में भाग लेना :

कोविड-19 महामारी के कारण विश्व में कोई मेले और प्रदर्शनियाँ आयोजित नहीं किये गये अतः तम्बाकू बोर्ड कोई मेले और प्रदर्शनियों में भाग नहीं लिये ।

2.2 तम्बाकू व्यापारी प्रतिनिधि-मण्डली का विजिट :

कोविड-19 महामारी के कारण तम्बाकू बोर्ड द्वारा व्यापारी प्रतिनिधि मण्डलियों को नहीं अपनाये गये ।

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा कार्यान्वयन

रिपोर्टाधीन अवधि के दौरान, राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन को तेज करने के लिए हर प्रकार के कदम उठाये गये।

राजभाषा अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उठाये गये कदम

- हिन्दी में प्राप्त पत्रों के उत्तर हिन्दी में दिये गये।
- सामान्य आदेश द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- 'क' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों के साथ पत्र - व्यावहार हिन्दी में किया गया। 'ख' & 'ग' क्षेत्र में स्थित कार्यालयों को कुछ पत्र द्विभाषिक रूप में जारी किये गये।
- बोर्ड की प्रशासनिक एवं अन्य रिपोर्टों, जिनको संसद के सामने रखना है, को हिन्दी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में तैयार करके प्रस्तुत किया गया।
- बोर्ड के विभिन्न अनुभागों के, फार्मों एवं आवेदन पत्रों को द्विभाषिक रूप में जारी किया गया।
- मानक मुद्रण लेखन-सामग्री याने., - लिफाफें, मिसिल फोल्डरों, पत्र शीर्षों आदि., को द्विभाषिक रूप में मुद्रित किया गया।
- सारे रबड मोहरें, द्विभाषिक रूप में बनायी गयी तथा सभी नाम-पट्ट त्रिभाषिक/ द्विभाषिक रूप में बनाये गये।
- 'क' क्षेत्र में स्थित मंत्रालय एवं अन्य कार्यालयों को भेजे गये लिफाफों पर पते हिन्दी में मुद्रित किये गये तथा 'ग' क्षेत्र के लिए द्विभाषिक रूप में मुद्रित किये गये।

हिन्दी शिक्षण योजना के कार्यक्रम

बोर्ड के अर्हता प्राप्त कर्मचारियों को हिन्दी शिक्षण योजना के ऑन-लाईन हिन्दी कक्षाओं के लिए नामित किया गया। जनवरी, 2021 सत्र के दौरान क्रमशः पारंगत (06), प्रबोध (03) और प्रवीण (01) कर्मचारियों को ऑन-लाईन कक्षाओं के लिए नामित किये गये।

“हर दिन एक शब्द सीखो” हिन्दी योजना का प्रचार

प्रति दिन एक हिन्दी शब्द, उसके अंग्रेजी अर्थ के साथ प्रेस्टोसाइन बोर्ड पर कार्यालय के प्रवेश - द्वारा पर प्रदर्शित किया गया। हिन्दी प्रचार से संबंधित प्रसिद्ध नेताओं एवं चिन्तकों के उद्धरणों को कार्यालय की मुख्य जगहों में प्रदर्शित किया गया।

हिन्दी सप्ताह :

तम्बाकू बोर्ड में 14 से 18 सितम्बर, 2020 तक हिन्दी सप्ताह मनाया गया। इस समारोह में दि. 14 से 17 सितम्बर, 2020 तक चार मेज कार्यशालाएँ (चार अनुभाग), जो हिन्दी में प्रशिक्षित कर्मचारियों में कार्य क्षमता को बढ़ाने के लिए आयोजित किये गये।

हिन्दी पत्र-पत्रिकाएँ एवं पुस्तकालय :

सम्प्रति, बोर्ड में कुछ हिन्दी पत्रिकाओं के साथ एक हिन्दी दैनिक “हिन्दी मिलाप” अखबार उपलब्ध किया गया। कुछ हिन्दी पुस्तकें, उपन्यास और रामायण, महाभारत आदि., जैसे महाकाव्य, लघु - कथा पुस्तकें विभिन्न शब्द कोष, शब्दावलियाँ आदि, ग्रन्थालय में उपलब्ध किये गये।

कम्प्यूटरों में हिन्दी :

सभी कम्प्यूटरों में हिन्दी साफ्टवेयर लोड किया गया तथा उनका उपयोग किया जा रहे हैं।

हिन्दी कार्यशाला :

इस अवधि के दौरान चार (04 दिन - प्रतिदिन 01 अनुभाग) मेज हिन्दी कार्यशालाएँ, जो हिन्दी सप्ताह के दौरान याने., दि. 14 से 17 सितम्बर, 2020 तक आयोजित की गई। यह मेज कार्यशाला तम्बाकू बोर्ड के हिन्दी विभाग द्वारा प्रारूपित एक नवीनतम कल्पना है, जहाँ हिन्दी स्टाफ (प्रत्येक) कर्मचारी के मेज के पास (व्यक्तिगत रूप से) जाकर उनकी शंकाओं का समाधान करता है, जिससे हिन्दी कार्य प्रभावी रूप से कार्यान्वित किया जा सकता है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने राजभाषा नीति के कार्यान्वयन में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त किया।

वित्त एवं लेखा

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अनुसार केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किये जाने के लिए अनुदानों और उधारों के तौर पर तम्बाकू बोर्ड को निधियों का संदाय कर सकेगी। 1991-92 से तम्बाकू बोर्ड, केन्द्र सरकार से बजट व्यय और योजनाओं के लिए किसी प्रकार की अनुदान या ऋण नहीं लिया। तम्बाकू बोर्ड द्वारा जेनरेट आंतरिक साधन, अधिनियम के अनुसार अपने गतिविधियों को जारी करने इसके व्यय को पूरा करने और वेतन, भत्ता और बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के अन्य मेहनताना उठाने के लिए पर्याप्त है।

I) आंतरिक स्रोत :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 14-क के प्रावधानों के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड अपने नीलाम प्लेटफार्मों पर विपणित तम्बाकू के मूल्य पर, प्रदत्त सेवाओं के लिए 'सेवा प्रभार' के रूप में 2% के हिसाब से शुल्क लगाता है। इस प्रकार लगाये गये सेवा प्रभार को ग्राहकों के द्वारा बेचे गये तथा क्रेताओं के द्वारा खरीदे गये तम्बाकू के मूल्य पर उत्पादक एवं क्रेता-प्रत्येक से @1% के दर पर, समान्य रूप से, वसूल किया जाता है। साथ-साथ तम्बाकू बोर्ड (सामान्य) विनियम, 1984 के नियम 13(2) के अनुसार, नीलामियों में भाग लेने वाले क्रेताओं से बोर्ड, "प्राधिकार शुल्क" को वसूल करता है। इसके अतिरिक्त ग्राहकों, बखार प्रचालकों, नर्सरीमेन, डीलरों, निर्यातकों, पैकरों, प्रोसेसरों एवं निर्माताओं से बोर्ड पंजीकरण शुल्क वसूल करता है।

बोर्ड पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू और अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित तम्बाकू पर सरकार प्रति वर्ष अपने राजपत्र अधिसूचना द्वारा जुर्मानाएँ लगायेगी। 2020 नीलामियों के दौरान, प्राधिकृत 10% कोटा से अधिक सीमा तक पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू की बिक्री के लिए ₹ 2/- प्रति किलो के हिसाब से और बिक्री प्रोसीडों से 5% (1% साधारण सेवा प्रभार को मिलाकर) अतिरिक्त प्रभार लगाये हैं। आगे, आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राजपत्र सूचना के आदेशों के अनुसार, पंजीकृत ग्राहकों और अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित अप्राधिकृत तम्बाकू से प्राधिकृत कोटा के अतिरिक्त 10% तम्बाकू की बिक्री पर ₹ 2/- प्रति किलो अंशदान और बिक्री प्रोसीडों से 10% (1% साधारण सेवा प्रभार को मिलाकर) अतिरिक्त शुल्क लगाये गये हैं।

II) बजट प्राक्कलन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 21 के प्रावधानों के अनुसार, बोर्ड, प्रत्येक वर्ष में, आगामी वर्ष के लिए बजट प्राक्कलन और चालू वर्ष के लिए पुनरीक्षित प्राक्कलन तैयार करता है और सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले तारीखों में अथवा उसके पहले केन्द्र सरकार की स्वीकृति के लिए उन्हें प्रस्तुत करेगा।

बजट प्राप्तियाँ याने., सेवा प्रभार, क्रेता प्राधिकरण शुल्क, व्यापारियों & ग्राहकों से रजिस्ट्रेशन शुल्क, मियादी जमाओं पर ब्याज और डेमोरेज प्रभारों के विविध रसीदें और विलंबित भुगतानों पर ब्याज आदि., बोर्ड के आन्तरिक स्रोत शामिल हैं।

बजट व्यय को आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में नीलाम प्लैटफार्मों में इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ प्रदान करने पूँजीगत व्यय के रूप में और नीलामियों और विस्तार एवं विकास योजनाओं के कल्याण योजनाओं, उत्पादन योजनाओं और व्यापार स्कंध योजनाओं आदि., को आयोजित करने के लिए स्थापना और प्रशासनिक के राजस्व व्यय के रूप में व्यय किया जाता है ।

तदनुसार 2020-21 के लिए बजट प्रस्तावों को तैयार करके सरकार के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किये गये। बजट आकलन और संशोधित आकलन क्रमशः प्राप्तियों के लिए ₹ 9,462.70 लाख और ₹ 10,500 लाख और व्यय के लिए ₹ 20,566.50 लाख और ₹ 18,330.00 लाख है ।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान बजट प्रावधान के लिए आन्तरिक संसाधनों के रूप में ₹ 12,777.00 लाख राशि की वसूली और बजट आऊटले के ₹ 18,330.00 के लिए व्यय के रूप में ₹ 13,631.81 लाख राशि खर्च किये गये हैं ।

2009-10 से 2020-21 तक योजना तथा गैर - योजना के अंतर्गत वास्तविक निधियों की गति को दर्शानेवाली तालिका **पृष्ठ सं. 119** में दी गई है ।

वर्ष 2020-21 के तम्बाकू बोर्ड के तम्बाकू निधि के लेखाओं के लिये तुलन पत्र, आय-व्यय लेखा और तम्बाकू निधि के लेखा की प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण, जिसमें वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध को सहायता अनुदान), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना (टैयर-1), तम्बाकू ग्रायर कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि की एरमार्क निधि लेखाओं के वित्तीय विवरणियों के लेखाओं पर नोट के साथ वर्ष 2020-21 के लिए बोर्ड के वार्षिक प्रतिवेदन में सम्मिलित करके रिपोर्ट में संलग्न की गई है ।

दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के लेखाओं पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखाकार की पृथक लेखापरीक्षा रिपोर्ट

हमने, दि. 31 मार्च, 2021 को तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के साथ संलग्न तुलन पत्र, उसी दिन को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा तथा प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा की, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 19(2) के साथ पढ़े जाने पर, नियंत्रक एवं महालेखाकर (कर्तव्य अधिकार एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 की धारा 19(2) के तहत, लेखा-परीक्षा की है। इन वित्तीय विवरणियों में सभी नीलाम प्लैटफार्म, संपर्क एवं प्रादेशिक कार्यालयों तथा नीलाम निदेशालय, बेंगलूर के लेखें शामिल हैं। इन वित्तीय विवरणियाँ, तम्बाकू बोर्ड प्रबंध की जिम्मेदारी है। इन वित्तीय विवरणियों पर हमारी लेखा-परीक्षा के आधार पर एक राय प्रकट करना हमारा दायित्व है।

2. इस अलग लेखा परीक्षा रिपोर्ट में, वर्गीकरण, उत्तम लेखाकरण पद्धतियों के अनुसरण, लेखाकरण मानकों तथा उद्घोषण नार्म आदि., के संबंध में, लेखाकरण उपचार पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी ए जी) की टिप्पणियाँ शामिल हैं। न्याय, नियम एवं विनियम (सम्पति एवं नियमितता) के अनुपालन के संबंध में वित्तीय लेन-देनों की लेखापरीक्षा मन्तव्यों, यदि कोई हो तो, निरीक्षण रिपोर्ट/सीएजी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के द्वारा अलग तौर पर रिपोर्ट की जाती है।
3. हमने, भारत में आम तौर पर माने गये लेखाकरण मानकों के अनुसार अपनी लेखा परीक्षा चलाई है। इन मानक के अनुसार, हमें इस प्रकार योजना बनाकर लेखापरीक्षा चलाई है, ताकि वित्तीय अश्वासन प्राप्त हो सके। लेखा-परीक्षा के तहत परीक्षण पद्धति पर जाँच, रकमों के समर्थन में प्रमाण तथा वित्तीय विवरणियों में उद्घोषणाएँ शामिल हैं। लेखा-परीक्षा में प्रबंधन के द्वारा अपनाये गये लेखाकरण सिद्धांत तथा प्रबंधन के द्वारा किये गये उल्लेखनीय आकलन और वित्तीय विवरणियों की समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है। हम विश्वास करते हैं कि हमारी राय के लिए हमारी लेखा-परीक्षा रिपोर्ट उचित आधार का प्रावधान करती है।
4. लेखा परीक्षा के आधार पर, हम निवेदन करते हैं कि :
 - (i) हमने, अपने सर्वोत्तम एवं विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के प्रयोजन के लिए आवश्यक सभी जानकारी एवं विवरणियों को प्राप्त किया है।
 - (ii) इस रिपोर्ट में (चर्चित) तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा / प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा को वित्त मंत्रालय द्वारा निर्धारित (एक-रूप) लेखा फार्मेट में तैयार किया है।
 - (iii) हमारी राय में जहाँ तक ऐसी बहियों की हमारी जाँच से पता चलता है कि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के साथ पढ़े जाने पर, तम्बाकू बोर्ड नियम, 1975 की धारा 19(1) के तहत अपेक्षितानुसार तम्बाकू बोर्ड द्वारा समुचित लेखा बहियों और अन्य संबंधित अभिलेखों का रखरखाव किया है।
 - (iv) हम आगे यह निवेदन करते हैं कि :

क. लेखाओं पर टिप्पणियाँ

टिप्पणी क. 1

तुलन पत्र

अनुसूची 8, अचर परिसंपत्तियाँ

प्रगताधीन कैपिटल कार्य ₹ शून्य।

क.1 उक्त में, आन्ध्र प्रदेश के गोपालपुरम नीलाम प्लैटफार्म से संबंधित प्रगताधीन पूँजी कार्य से संबंधित ₹ 2.99 करोड़ राशि शामिल नहीं है। इस राशि को चालू परिसंपत्तियों (बिन्दु सं.5 में अनुसूची 11(ख) अन्य) के अंतर्गत प्रगताधीन पूँजी कार्य के रूप में, जिसके फलस्वरूप प्रगताधीन पूँजी कार्य की न्यूनोक्ति और चालू परिसंपत्तियों, ऋण और अग्रिमों की ₹ 2.99 करोड़ राशि की अत्युक्ति हुई है।

टिप्पणी क. 2**तुलन पत्र****चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम (अनुसूची-11)****विविध देनदार****अन्य देयताएँ (प्राप्य) ₹ 87.29 करोड**

उक्त राशि में, 22/03/2021 से 31/03/2021 तक की अवधि के लिए तम्बाकू ग्राहकों को तम्बाकू क्रेताओं से देय नीलाम राशि चित्रित है। फिर भी, तम्बाकू बोर्ड केवल इन बिक्रियाँ और क्रयों को फेसिलिटेट करती है, इस राशि को प्राप्य और देय राशि के रूप में दिखाना भ्रमजनक होती है और इसके फलस्वरूप चालू परिसंपत्तियों और चालू देयताओं में ₹ 87.29 करोड राशि की अत्युक्ति हुई है।

ख. प्रबंध पत्र

कमियों, जो लेखा-परीक्षा रिपोर्ट में उल्लिखित नहीं किया गया है, को उपचार/सुधारात्मक कार्रवाई के लिए, अलग रूप से जारी किये गये प्रबंध पत्र के द्वारा अध्यक्ष, तम्बाकू बोर्ड, गुण्टूर के ध्यान में लाया गया।

- v पूर्वगामी अनुच्छेदों में हमारे मन्तव्यों को, बशर्ते कि हम यह निवेदन करते हैं कि इस रिपोर्ट में चर्चित तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा/प्राप्तियों एवं भुगतान लेखा बहियों के साथ मेल खाते हैं।
- vi हमारी राय में तथा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और हमें दिये गये स्पष्टीकरणों के अनुसार, उपर्युक्त वित्तीय विवरणियों, लेखीकरण नीतियों और लेखों पर टिप्पणियों के साथ पढ़े जाने पर, तथा ऊपर बताये गये उल्लेखनीय शर्तें और इस पृथक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के संलग्नक में उल्लिखित बातों को, बशर्ते कि, भारत में आम तौर पर माने जाने वाली लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में एक सच्चा और तटस्थ दृश्य देते हैं :

क. जहाँ तक तुलन-पत्र के संबंध है, दि 31 मार्च, 2021 के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड के मामलों की स्थिति का; तथा

ख. जहाँ तक आय & व्यय लेखे का संबंध है उसी तारीख को समाप्त वर्ष की कमी का है।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
की तरफ से

ह/- xx xx xx

02/12/2021

(एम.एस. सुब्रह्मण्यम्)

महा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

स्थान : हैदराबाद

दिनांक : 02 दिसंबर, 2021.

अनुलग्नक

1. आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली की पर्याप्तता :

तम्बाकू बोर्ड में कोई अलग लेखा-परीक्षा विंग नहीं है। तम्बाकू बोर्ड को मुख्य कार्यालय के अलावा 35 कार्यालय (आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थित 29 नीलाम प्लैटफार्म, आँगोल, राजनहेन्द्री, मैसूर और पेरियपट्टना में 4 प्रादेशिक कार्यालय, नई दिल्ली में एक संपर्क कार्यालय और बेंगलूर में एक नीलाम निदेशालय कार्यालय) आदि, हैं। वित्तीय वर्ष 2019-20 तक आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी नीलाम प्लैटफार्म/प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालयों के लेखाओं की आन्तरिक लेखा-परीक्षा पूरी हो गयी थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए कर्नाटका के सभी नीलाम प्लैटफार्म/प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालयों के आन्तरिक लेखा-परीक्षा पूरा किया गया था और आन्ध्र प्रदेश में नीलाम प्लैटफार्म के लिए नवंबर, 2021 महीने में पूरा करने का योजना बनायी गयी थी। फिर भी, मौजूदा आन्तरिक लेखा-परीक्षा प्रणाली बोर्ड के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति से पर्याप्त और अनुरूप नहीं है।

2. आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता :

उक्त बिन्दु सं. 1 के अंतर्गत घोषित आन्तरिक लेखापरीक्षा प्रणाली में कमियों पर अवलोकन के विषय में तम्बाकू बोर्ड के आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली, जो संस्था के परिमाण तथा प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप हैं।

3. अचर परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

संपत्तियों की भौतिक सत्यापन प्रति वर्ष कार्यालय के प्रमुख की पर्यवेक्षण में किया जाता है और रिपोर्ट मुख्य कार्यालय को प्रस्तुत की जाती है। अचर परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन रिपोर्टों की जाँच के अनुसार, तम्बाकू बोर्ड नियमित अन्तरालों में सत्यापन आयोजित करती है और नीलाम प्लैटफार्मों/प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत कुछ भौतिक सत्यापन रिपोर्टों में नहीं उल्लिखित भूमि और भवनों के विवरण के अलावा कोई भौतिक विसंगतियाँ नहीं पाये गये। इस विषय को वित्तीय वर्ष 2019-20 के लेखाओं की प्रबंध पत्र में सूचित किया गया था। मुख्य कार्यालय और नीलाम निदेशालय कार्यालय, बेंगलूर सहित आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी कार्यालयों के रिपोर्ट और रजिस्ट्रों के संबंध में प्रबंध ने स्पष्ट किया गया कि कोविड महामारी स्थिति के कारण बोर्ड के सभी परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था और इसका 2020-21 में किया जायेगा। प्रबंध ने भौतिक सत्यापन समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्तीय विवरणियों की टिप्पणी में आवश्यक प्रकटीकरण करने का भी आश्वासन दिया। इस प्रकार, अचर परिसंपत्तियों की भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त और अनुरूप है।

4. वस्तुसूची की भौतिक सत्यापन की प्रणाली :

तम्बाकू बोर्ड के पास कोई वस्तुसूची (इनवेंटरी) नहीं है लेकिन लेखन-सामग्री और उपभोग्य वस्तुओं को वस्तुसूची (इनवेंटरी) के रूप में माना जाता है। बोर्ड ने प्रत्येक तुलन पत्र की तारीख के अंत में लागत के आधार पर लेखन- सामग्री की अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन किया। इस प्रकार, तम्बाकू बोर्ड की वस्तुसूची (इनवेंटरी) के भौतिक सत्यापन की प्रणाली संस्था के परिमाण तथा उनके प्रकार्यों की प्रकृति के संबंध में पर्याप्त तथा अनुरूप है।

5. सांविधिक देय राशियों की अदायगी में नियमितता :

बोर्ड ने, सांविधिक देय राशियों जैसे., संपत्ति कर और सेवा कर आदि., को निर्धारित तारीख के अंदर प्रेषित (भुगतान) किया।

स्थान : हैदराबाद
दिनांक : 02 दिसंबर, 2021.

ह/- xx xx xx
(एम.एस. सुब्रह्मण्यम्)
महा निदेशक वाणिज्यिक लेखापरीक्षा

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्डूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि. 31 मार्च, 2021 तक तुलन पत्र

(₹ लाखों में)

विवरण	अनु-सूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
कार्पस / पूंजी निधि और देयताएँ			
1. कार्पस / पूंजी निधि	1	65702	63097
2. आरक्षण और उपरी	2	0	0
3. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ	3	0	0
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)		2676	2522
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		1913	2271
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		16530	14963
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		30	37
ङ) तम्बाकू ग्रायर कल्याण निधि योजना		6445	6268
4. सुरक्षित ऋण और उधार	4	0	0
5. असुरक्षित ऋण और उधार	5	0	0
6. अस्थायित ऋण देयताएँ	6	0	0
7. वर्तमान देयताएँ और प्रावधान	7	19771	14884
कुल		113067	104042
संपत्तियाँ			
1. स्थिर संपत्तियाँ	8	10168	10429
2. उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियाँ से निवेश	9	0	0
क) वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता)		2676	2522
ख) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारियों की सामान्य भविष्य निधि		1913	2271
ग) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि		16530	14963
घ) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना		30	37
ङ) तम्बाकू ग्रायर कल्याण निधि योजना		6445	6268
3. निवेश : अन्य	10	0	0
4. वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण और अग्रिम आदि,	11	75305	67552
5. विविध व्यय		0	0
कुल		113067	104042
उल्लेखनीय लेखांकन नीतियाँ	24	अनुसूचियों में रखा गया	
आकस्मिक देयताएँ और लेखाओं पर नोट्स (टिप्पण)	25	अनुसूचियों में रखा गया	

ह/- XX XX XX
 (के. मधुसूदन राव)
 सचिव (प्रभारी)

ह/- XX XX XX
 (अहंकि श्रीधर बाबू)
 कार्यपालक निदेशक

तम्बाकू बोर्ड
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग,
भारत सरकार, गुण्टूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ
दि 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए आय तथा व्यय लेखा

(₹ लाखों में)

विवरण		अनु-सूची	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
1.	आय			
I	विक्रियों / सेवाओं से आय	12	5444	5895
II	अनुदान / आर्थिक सहायता	13	0	0
III	शुल्क / चन्दे	14	258	329
IV	निवेशों से आय (उद्दिष्ट / धर्मस्व निधियों से निधियों को अन्तरित)	15	10	12
V	रॉयल्टी, प्रकाशनों आदि, से आय	16	4	10
VI	अर्जित ब्याज	17	3364	4094
VII	अन्य आय	18	3253	5185
VIII	संपूर्ण वस्तुओं के स्टकों में बढ़ती/(घटती) एवं कार्यों में प्रगति	19	0	0
	कुल		12334	15525
2.	व्यय			
I	स्थापना खर्च	20	7204	7646
II	अन्य प्रशासनिक व्यय आदि	21	2185	4156
III	अनुदान, सब्सिडी आदि., पर व्यय	22	0	0
IV	ब्याज	23	0	0
V	मूल्हास (वर्षान्त में निवल योग - अनुसूची - 8 के समरूप)	8	339	408
	कुल		9728	12210
3.	व्ययोपरि आय के अतिरेक के रूप में शेष (1-2)		2605	3315
I	विशेष राजस्व का स्थानांतरण (प्रत्येक का उल्लेख करें)		0	0
II	सामान्य रिजर्व का अन्तरण		0	0
III	पूर्व वर्षों के भुगतान		0	0
4.	कार्पस / पूंजी निधि को ले गये उपरि / घाटे के रूप में शेष		2605	3315
5.	उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ	24	अनुसूचियों में रखा गया	
6.	चालू देयताएँ और लेखों पर टिप्पण	25	अनुसूचियों में रखा गया	

ह/- XX XX XX
 (के. मधुसूदन राव)
 सचिव (प्रभारी)

ह/- XX XX XX
 (अदंकि श्रीधर बाबू)
 कार्यपालक निदेशक

उद्दिष्ट निधियों की निधि शेष - तुलन पत्र

अनुलग्नक-1

1. वाणिज्यिक प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार रकंध को अनुदान सहायता) लेखा (₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	2521.98	2355.92
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्बैं खाता पर व्याज)	154.32	166.06
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	घ) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	घटाये :		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	2676.30	2521.98
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क+ख-ग)	2676.30	2521.98

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा (₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	2271.44	2478.20
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्बैं खाता पर व्याज)	113.02	151.76
	ख) अंशदान	538.66	655.39
	ग) साभनि आग्रम की वसूली	0.00	0.25
	घटाये :		
	क) निकासी	-1109.66	-1014.16
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	0.00
	कुल (क+ख)	1913.46	2271.44
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	1913.46	2271.44

3 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	14963.06	15581.56
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (एलआईसी & बचत खाता के साथ जमा पर व्याज)	1184.58	967.86
	ख) पेंशन निधि अंशदान	4000.00	3000.00
	घटाये :		
	क) भा जी नि द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी	-3618.02	-4586.36
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	16529.62	14963.06
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	16529.62	14963.06

4 तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पूर्व वर्ष
क	अथशेष	36.65	29.85
ख	निधि लेखा को जोड़ :		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बचत खाता पर व्याज)	1.48	1.96
	ख) पेंशन निधि अंशदान	153.29	144.26
	घटाये :		
	क) एनएसडीएल, मुंबई को प्रेषित पेंशन अंशदान (पेंशन अंशदान)	-161.31	-139.42
	ख) अन्य भुगतान (बैंक प्रभार)	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	30.11	36.65
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोगी / व्यय		
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	30.11	36.65

5 तम्बाकू गोयर कल्याण निधि योजना लेखा :

(₹ लाखों में)

क्र. सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष			पूर्व वर्ष		
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल
क	अथशेष	3721.33	2546.21	6267.54	3472.96	2439.21	5912.17
ख	निधि लेखा को जोड़ :						
	क) निवेशों से आय	213.84	116.63	330.47	232.74	134.94	367.68
	(मीआदी जमा & बँचें खाता पर व्याज)						
	ख) गोयर अंशदान	13.02	22.15	35.17	19.77	13.70	33.47
	ग) तम्बाकू बोर्ड का अंशदान	29.11	44.30	73.41	45.56	30.63	76.19
	घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण	187.45	194.84	382.29	189.01	229.56	418.57
	ङ) स्विपिंगों का गोयर का शेयर	0.00	7.74	7.74	26.58	8.46	35.04
	च) जुर्मानाएँ	0.27	0.03	0.30	0.20	0.00	0.20
	छ) ऋणों पर व्याज	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ज) विविध भुगतान	0.00	2.02	2.02	0.00	2.91	2.91
	ज. गोयर अंशदान	5.90	3.14	9.04	0.00	0.00	0.00
	(ब्रेक इन रजिस्ट्रेशन)						
	घटायें :						
	क) गोयरों को मृत्यु राहत	-302.20	-360.90	-663.10	-265.50	-313.20	-578.70
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (क + ख)	3868.72	2576.16	6444.88	3721.32	2546.21	6267.53
ग	निधि उद्देश्य के लिए उपयोग/व्यय						
	i) पूँजी व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ii) राजस्व व्यय	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	कुल (ग)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्षान्त में शेष राशि (क + ख - ग)	3868.72	2576.16	6444.88	3721.32	2546.21	6267.53

अनुसूची - 24 : 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए उल्लेखनीय लेखाकरण नीतियाँ

1. लेखाकरण प्रथा :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 22 के अनुसार बोर्ड के लेखे निम्नलिखित प्रकार हैं :

1. बोर्ड, प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित प्राप्तियों एवं व्यय के सभी लेखाओं का रखरखाव करेगा ।
2. खास वर्ष में लगे व्यय को अलग शीर्षों एवं उप-शीर्षों के तहत दिखाया जाएगा ।
3. अथशेष, अगर कोई हो तो, अलग रूप से दिखाया जाएगा ।
4. वर्ष के इतिशेष को व्यय पक्ष में प्राप्तियाँ और भुगतान लेखाओं को अलग से दिखाया जाएगा । (प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण को व्यय पक्ष में दिखाया गया।)
5. रिजर्व एवं निवेशों के विवरणों के साथ संपत्तियों एवं देयताओं के विवरण लाने के लिए उपार्जन पद्धति पर तैयार किये गये वार्षिक प्रोफार्मा लेखा ।

2. वस्तुसूची मूल्यांकन :

चालू वर्ष में उपलब्ध लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन वस्तुओं के वास्तविक खरीद दाम पर मूल्यांकित किया गया है और इसे तुलन-पत्र के अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया । लेखन सामाग्री और उपभोक्त वस्तुओं का मूल्य आगामी वर्ष के लिए अथशेष के रूप में दिखाया जाता है ।

3. निवेश :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 की नियम 23 के प्रावधानों के अनुसार -

1. बोर्ड के चालू व्यय के लिये अपेक्षित धन को, खुदरा रोकड़ के सिवाय, और अधिशेष धन जिला खजाने या उप-खजाने में वैयक्तिक खाता लेखा में अथवा भारतीय स्टेट बैंक* (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक) या उसके समनुषंगी बैंकों में से किसी में चालू खाते में रखा जाएगा।
2. चालू व्यय के लिये अपेक्षित न की गई किन्हीं निधियों को केन्द्रीय सरकार के पास लोक लेखा खाते में या भारतीय स्टेट बैंक अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक अथवा उसकी समनुषंगियों में से किसी में नियतकालिक निक्षेपों में रखा जा सकेगा ।

परन्तु बोर्ड की पेंशन निधियाँ भविष्य निधि में की उन निधियों को, जो चालू व्यय के लिये अपेक्षित न हों, न्यासी प्रतिभूतियों या दस वर्षीय खजाना बचत निक्षेप पत्रों या राष्ट्रीय रक्षा पत्रों में अनुज्ञेय विस्तार तक, अथवा भारतीय स्टेट बैंक में + (अथवा किसी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक या उसके समनुषंगी बैंकों में) आवधिक निक्षेप में, अथवा यदि केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुमोदित किया जाए तो किसी अन्य अनुसूचित बैंक में विनिहित किया जा सकेगा ।

स्पष्टीकरण : उप नियम (1) तथा इस उप नियम के उद्देश्य में 'राष्ट्रीयकृत बैंक', जो बैंकिंग कंपनियाँ (अधिग्रहण तथा उद्योग स्थानांतरण) नियम, 1970 (1970 के 5) में उल्लिखितानुसार सदृश्य नया बैंक से अभिप्रेत है) ।

3. बोर्ड द्वारा या उसकी ओर से संदाय नकद या बोर्ड के चालू खाते के प्रति काटे गये चेक द्वारा किया जाएगा ।

4. उत्पाद शुल्क : शून्य

5. स्थिर संपत्तियाँ :

तम्बाकू बोर्ड भूमि & भवनों की उपार्जन तथा अन्य संपत्तियाँ जैसे., फर्निचर & उपकरण, कार्यालय उपकरण, बिजली उपकरण, मोटार वाहन, वेयिंग स्केल, ट्रालियाँ, कंप्यूटर और साईकिल आदि., को केन्द्रीय सरकार के सामान्य वित्तीय नियमों के प्रावधानों के अनुसार लागत के आधार पर लिये जाते हैं। इस अप्रयोज्य परिसंपत्तियों को उनके डिस्पोजल / बिक्री पर परिसंपत्तियों से हटाया गया है।

तम्बाकू बोर्ड के सिविल एवं बिजली कार्य सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स जैसे., सरकारी अभिकरणों के द्वारा अपनाया जाता है। निर्माण कार्य से संबंधित हमारे प्रस्ताव के लिए अभिकरणों से आकलन प्राप्ति के बाद, नियमों के अनुसार विभिन्न दशाओं में कार्य समापन होने तक निधि (राशि) रीलीज बोर्ड द्वारा किया जाता है। फार्म-65 में समापन कार्यों के लिए या प्रगताधीन कार्यों से संबंधित व्यय विवरण प्राप्त होने के बाद इसे पूँजी व्यय के रूप में कैपटलैज किया गया है।

6. मूल्यह्रास :

मूल्यह्रास की पद्धति, जो एसएलएम पद्धति के अंतर्गत और कंपनी अधिनियम, 2013 में निर्धारित दरों के अनुसार संपत्तियों पर अपनाया जाता है। यह मूल्यह्रास परिसंपत्ति की कुल मूल्य में, जो संपत्ति पर 95% तक मूल्यह्रास का प्रावधान के साथ-साथ इस (संपत्ति) की डिस्पोजल/बिक्री की अवशेष (रिसिड्युल) मूल्य के रूप में परिसंपत्ति मूल्य 5% को रखने के द्वारा मूल्यह्रास को, जिसमें पट्टे पर लिये भूमि और भवन, ट्रालियाँ, अग्नि शामक और कॉपियर मशीन आदि., को छोड़कर परिकलित किया जाता है। पट्टे पर भूमि और भवनों को लीज अवधि के आधार पर और ट्रालियों, अग्निशामकों तथा कॉपियर मशीन के लिए परिसंपत्ति का उपयोग और अवधि के आधार पर मूल्यह्रास परिकलित किया जाता है। निर्माण कार्यों के संबंध में, पिछले वर्ष के मूल्यह्रास को भी परिगणना किया जाता है। प्रत्येक परिसंपत्तियों के लिए मूल्यह्रास दरों को नियत परिसंपत्ति तालिका की अनुसूची - 8 के अंतर्गत उल्लिखित किया गया।

7. विविध व्यय :

तम्बाकू बोर्ड में कोई आस्थगित राजस्व व्यय नहीं हैं, जो 5 वर्ष की अवधि से अधिक लिपिबद्ध किया जाना है। आवृत्ति प्रकृति वाले (वस्तु) पर उठाये गये व्यय को जेनरेटर्स का रखरखाव, पानी की खरीदी, विद्युत मरम्मत & ट्वलाईट & लाईट आदि., विभिन्न लेखाशीर्षों के अंतर्गत और स्वीपिंग के अंतर्गत और उपभोज्य वस्तु जैसे., ट्वैन, निशान स्याई, टवल और बकेट आदि., व्यय, जो नियत लेखा शीर्षों के अंतर्गत नहीं कवर होता है, को विविध व्यय के अंतर्गत रखा जाता है।

8. बिक्री के लिए लेखा :

क) बिक्रियाँ :

तम्बाकू बोर्ड में कोई सीधा बिक्री प्रचालन का विधान नहीं हैं। तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार तम्बाकू ग्राहकों द्वारा लाया गया और व्यापारियों द्वारा क्रयित एफसीवी तम्बाकू की बिक्री के लिए आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लैटफार्मों में तम्बाकू बोर्ड द्वारा आयोजित किया जाता है।

ख) सेवाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के प्रावधानों के अनुसार शुल्क लगाने की शक्तियाँ निम्नानुसार हैं :

क) धारा 14 - क (1) के अंतर्गत - इस अधिनियम के अधीन बोर्ड द्वारा संस्थापित किसी नीलाम मंच पर वर्जीनिया तम्बाकू की बिक्री किया जाता है, यह बोर्ड के लिए सक्षम होगा अथवा इस बिक्री से संबंधित बोर्ड के द्वारा की गयी सेवाओं के लिए शुल्क लगाने के लिए बोर्ड द्वारा किसी अधिकारी को प्राधिकृत, ऐसी बिक्री संबंधित बोर्ड द्वारा की सेवाओं के लिए ऐसी बिक्री के लिए दो प्रतिशत से ज्यादा ऐसी दर नहीं, ऐसे केन्द्र सरकार समय-समय पर शासकीय राजपत्र में अधिसूना द्वारा, विनिर्धारित;

ख) धारा 14 (2) के अंतर्गत - उप-धारा (1) के अधीन लगाये शुल्क को बोर्ड या ऐसे अधिकारी वर्जीनिया तम्बाकू के बेचनेवाले के समान और यथानिर्धारित ऐसे मामले में ऐसे तम्बाकू के क्रयकर्ता द्वारा संग्रह किया जाएगा।

14-क के अंतर्गत क्रेता पर आरोप्य शुल्क

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 42 के अनुसार, अधिनियम की धारा 14क के अधीन विक्रेता पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म के पास विक्रित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत तक शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

विक्रेता से शुल्क वसूली विधान

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 43 के अनुसार धारा 14 - क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, विक्रेता, जिसके द्वारा सुपुर्दगी किये गये तम्बाकू की बिक्री प्रोसीडों से इसे कटौती करने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।

धारा 14-क के अधीन खरीददार पर शुल्क आरोप्य

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 44 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, खरीददार पर, उनके द्वारा नीलाम प्लैटफार्म पर क्रयित तम्बाकू के मूल्य में एक प्रतिशत शुल्क बोर्ड द्वारा आरोप्य होगा।

खरीददार से शुल्क वसूली विधान

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 45 के अनुसार, धारा 14-क के अधीन, बोर्ड या बोर्ड के कोई अधिकारी, जो बोर्ड द्वारा प्राधिकृत है, बोर्ड के तरफ से, उनके द्वारा क्रयित तम्बाकू के मूल्य में इसे जोड़ने के द्वारा शुल्क की वसूली की जाती है।

उक्त को ध्यान रखते हुए, बोर्ड ने ग्राहक द्वारा विक्रित और क्रेता द्वारा खरीद किये तम्बाकू के मूल्य पर ग्राहक और क्रेता से प्रत्येक से @ 1% से समान रूप से सेवा प्रभार वसूल करता है। यह सेवा प्रभार आय और व्यय लेखा की अनुसूची-11 के अंतर्गत लिये गये कार्रवाई के अनुसार वसूल किया जाता है।

आगे, बोर्ड ने तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के नियम/विनियम के प्रावधानों के अनुसार ग्राहक, बखार प्रचालक, नर्सरीमेन के रूप में रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन नवीकरण को प्रदान करने और व्यापारियों से तम्बाकू के निर्यातक, तम्बाकू या तम्बाकू उत्पादों के निर्यातक, तम्बाकू डीलर, तम्बाकू पैकर, तम्बाकू प्रोसेसर, तम्बाकू निर्माणकर्ता और तम्बाकू वाणिज्यिक श्रेणीकरण कर्ता के रूप में रजिस्ट्रेशन को प्रदान करने और नीलामियों में भाग लेने के तत्वाधिकार शुल्क वसूल करता है। इसे आय और व्यय लेखा की अनुसूची 14 के अंतर्गत शुल्क/अंशदान के रूप में प्रोजेक्ट किया जाता है।

सावधिक जमाओं पर, जो तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के अनुसार निवेश किया जाता है, से आर्जित ब्याज को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 17 के अंतर्गत आर्जित ब्याज के आय के रूप में दिखाया गया है।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत/अपंजीकृत ग्राहकों से अधिव्यय/अप्राधिकृत तम्बाकू बिक्री के लिए बिक्री प्रोसीडों की अंशदानों को अन्य आय के रूप में लिया जाता है। विविध रसीदें, डेमरेज प्रभार आदि., को भी बोर्ड के अन्य आय के रूप में लिया जाता है। यह विवरणों को आय और व्यय खाते की अनुसूची 18 के अंतर्गत अन्य आय के रूप में लिये गते हैं।

2020 नीलामियों के दौरान, पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित अधिव्यय तम्बाकू के लिए ₹ 2/- प्रति किलो अंशदान और बिक्री प्रोसीडों से 5% (जिसमें 1% साधारण सेवा प्रभार शामिल है) के हिसाब से 10% प्राधिकृत परिमाण सीमा तक अनुमति दी गयी थी। आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में पंजीकृत ग्राहकों द्वारा प्राधिकृत 10% परिमाण की सीमा से परे उत्पादित तम्बाकू और अपंजीकृत द्वारा उत्पादित तम्बाकू को ₹ 2/- प्रति किलो और 10% (जिसमें 1% सामान्य सेवा प्रभार शामिल है) के हिसाब से बिक्री प्रोसीडों में अंशदान लगाने के द्वारा बिक्री के लिए अनुमति दिया गया था।

तम्बाकू बोर्ड का प्रधान व्यय, जो तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की 8 के अंतर्गत अनुसार स्थापना और प्रशासनिक प्रकृति वाले प्रकार्यों को मीट करने के लिए है, जिसमें आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका में स्थापित नीलाम प्लेटफार्मों पर नीलामियों के द्वारा एफसीवी तम्बाकू की बिक्री भी शामिल हैं। यह व्यय को आय और व्यय लेखा की अनुसूची 20 और 21 के अंतर्गत स्थापना और अन्य प्रशासनिक व्ययों के रूप में लिये जाते हैं।

पूँजी व्यय के बोर्ड को मौजूदा परिसरों में नीलामियों को निर्विघ्न आयोजित करने इनफ्रास्ट्रक्चर सुविधाएँ प्रदान करने के लिए किया जाता है। विस्तार एवं विकास योजनाओं के अंतर्गत तम्बाकू की गुणता & उपज की वृद्धि, ईंधन, क्यूरिंग लागत & समय का बचत और तम्बाकू की खेती में विभिन्न तकनीकी उपकरणों को अपनाना आदि., विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन पर होने वाले व्यय को राजस्व व्यय के रूप में लिया जाता है।

आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों के लिए विस्तार & विकासात्मक योजनाओं के अंतर्गत किये गये व्यय को, जो यह व्यय मुख्य कार्यालय, गुण्टूर में किया गया हो, को भी अलग से दिखाये गये हैं।

9. सरकारी अनुदान / सब्सिडी :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 16 के अंतर्गत रहे प्रावधानों के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान और उधार प्राप्त करेगा - केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात् बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी, जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

10. विदेशी मुद्रा लेन-देन :

तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(4) के अनुसार बोर्ड भारत के बाहर किसी एक मद पर पन्द्रह हजार रुपये से अधिक व्यय, केन्द्रीय सरकार की पूर्व मंजूरी के बिना उपगत नहीं करेगी।

भारतीय तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के ब्राण्ड प्रचार के अंतर्गत विदेशी पत्रिकाओं में विज्ञापन प्रभार और विदेशी और भारत में मेले एवं प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए यात्रा व आवास व्यय, निर्यातों को बढ़ावा देने विदेशों को व्यापारी प्रतिनिधि मंडलियों को भेजने से संबंधित आवेष्टित विदेशी मुद्रा लेन-देन पर उठाये गये व्यय को भारत सरकार की पूर्व मंजूरी से खर्च करेगी।

11. लीज :

बोर्ड ने, तम्बाकू बोर्ड अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार क्षेत्र स्तर क्रियाकलापों और एफ सी वी तम्बाकू की विक्रियों को आयोजित करने आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका दोनों में जीएफआर के साधारण प्रावधानों को अनुसरण करते हुए परिसर / कार्यालय भवनों को लीज पर लेती है।

12. सेवा निवृत्ति सुविधाएँ :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 5 के अनुसार अध्यक्ष ऐसे वेतन और भत्ते का तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि तथा अन्य मामलों के सम्बन्ध में सेवा की ऐसी शर्तों का हकदार होगा जैसी समय-समय पर केन्द्रीय सरकार द्वारा नियत की जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(3) के अनुसार कार्यपालक निदेशक तथा सचिव ऐसे वेतन और भत्तों के तथा छुट्टी, पेंशन, भविष्य-निधि और अन्य मामलों के बारे में सेवा की ऐसी शर्तों के हकदार होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, नियत किया जाए।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 के धारा 6(4) के अनुसार ऐसे नियन्त्रण निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए (जिनके अन्तर्गत तम्बाकू निर्यात संवर्धन परिषद के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति के लिए शर्तें भी उस दशा में हैं, जिसमें कि उक्त परिषद का परिसमापन किया जाए), जिन्हें विहित किया जाए, बोर्ड ऐसे अन्य अधिकारी और कर्मचारी नियुक्त कर सकेगा, जो उसके कृत्यों के दक्ष पालन के लिए आवश्यक हों।

तम्बाकू बोर्ड के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए सेवा की शर्तें :

तम्बाकू बोर्ड (साधारण) विनियम, 1984 के विनियम 13 (1) के अनुसार बोर्ड के नियोजित या उसके द्वारा नियुक्त अधिकारियों की बाबत वेतन और भत्ता, छुट्टी, पेंशन और सेवा निवृत्ति प्रसुविधा, भविष्य निधि, अनुशासिक कार्यवाहियों और शासित का अधिरोपण, सेवा की अन्य शर्तें, जिसके अंतर्गत अधिवार्षिता की आयु और अन्य सुविधाएँ जैसे वेतन का अग्रिम, सवारी क्रय करने का अग्रिम, मकान का सन्निर्माण और अन्य बातें हैं, यदि इस विनियम में कोई उपबंध अलग से नहीं किया गया है, तो ऐसा नियमों और विनियमों के अनुसार विनियमित होगा, जो तत्समय उन स्थानों पर कार्य कर रहे तत्समान श्रेणी या प्रारिथित के केन्द्रीय सरकार के अधिकारियों और कर्मचारियों को लागू होते हैं।

अनुसूची 25 :

31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए लेखाओं पर आकस्मिक देयताएँ और टिप्पणी ।

1. **आकस्मिक देयताएँ :** आकस्मिक देयताओं के विवरण को 2020-21 वर्ष के वार्षिक लेखाओं के लेखाओं की टिप्पणी में बिन्दु सं. 3 में दिये गये ।
2. **पूँजी प्रतिबद्धताएँ :** शून्य ।
3. **पट्टे (लीज) बढ़ाताएँ :**
तम्बाकू बोर्ड ने निम्नलिखित परिसरों जैसे., आन्ध्र प्रदेश में ओंगोल-II, कोंडेपी तथा प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय, राजमहेन्द्रवरम और कर्नाटका में कंपलापुरा-I, नीलाम निदेशालय, बेंगलूर कार्यालय & प्रादेशिक प्रबंधक कार्यालय, पेरियपट्टना आदि., को लीज पर लिये गये ।
4. **वर्तमान संपत्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम :**
बोर्ड द्वारा अपनाये चालू संपत्तियों, ऋणों एवं अग्रिमों के विवरण तुलन पत्र की अनुसूची सं. 11 के अंतर्गत दिये गये।
5. **कराधान :**
आयकर अधिनियम, 1961 के धारा 10 (29) (क) (घ) के अनुसार तम्बाकू बोर्ड आयकर के भुगतान से छूट दी गई ।

लेखाओं पर टिप्पणी

क) गठन :

तम्बाकू बोर्ड का गठन, आन्ध्र प्रदेश, गुण्टूर में मुख्यालय के साथ, सन् 1975 में संसदीय अधिनियम के तहत किया गया।

ख) उद्देश्य :

यह एतद्द्वारा घोषित किया जाता है कि सार्वजनिक हित के तहत, तम्बाकू उद्योग को, (जो उचित समझता है) संघ अपने नियंत्रण में लेता है।

वर्ष 1984 में भारत सरकार के द्वारा, एमएसपी परिचालनों के लिए ₹ 1.25 करोड़ों की मार्जिन राशि से, व्यापार स्कंध का सृजन किया गया। व्यापार स्कंध का लक्ष्य-सरकार के द्वारा निर्धारित किये जाने वाले न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर नीलाम मंचों पर बचे हुए तम्बाकू का मॉप - अप करना तथा बाजार को स्थिर रखना-एतद्द्वारा उत्पादकों के हितों की रक्षा करना है।

ग) बोर्ड का गठन :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 4 (4) के अंतर्गत बोर्ड का गठन, निम्नलिखित सदस्यों के द्वारा किया जाता है, यथा :

क) एक अध्यक्ष, जो केन्द्र सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाएगा।

ख) संसद के तीन सदस्य, जिनमें से दो का चुनाव लोक सभा द्वारा और एक सदस्य का चुनाव राज्य सभा द्वारा निर्वाचित किया जाएगा।

ग) आठ सदस्यों की नियुक्ति, केन्द्र सरकार के द्वारा प्रतिनिधित्व निम्नानुसार की जाएगी :

- i) कृषि से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- ii) वाणिज्य से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- iii) वित्त से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- iv) औद्योगिक विकास से संबंधित केन्द्र सरकार का मंत्रालय;
- v) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद;
- vi) आन्ध्र प्रदेश सरकार;
- vii) कर्नाटका सरकार;
- viii) गुजरात सरकार;

घ) आन्ध्र प्रदेश, गुजरात और कर्नाटका राज्यों से भिन्न तम्बाकू उगाने वाले राज्यों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा वर्णक्रमानुसार बारी-बारी से नियुक्त किये जाने वाले दो सदस्य;

ङ) केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाने वाले *दस से अनधिक सदस्य, जो तम्बाकू उगाने वालों, तम्बाकू और तम्बाकू उत्पादों के व्योहारियों या निर्यातकर्ताओं (जिनके अन्तर्गत पैकर भी हैं), तम्बाकू उत्पादों के विनिर्माताओं में से तथा ऐसे व्यक्तियों में से होंगे, जो केन्द्रीय सरकार की राज्य में तम्बाकू विपणन या कृषि अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ हैं।

* परंतु प्रस्तुत अनुच्छेद के अधीन तम्बाकू के उत्पादकों के बीच में से नियुक्त किये जाने वाले सदस्यों की संख्या छः से अधिक नहीं होगी।

च) भारत सरकार के कृषि विपणन सलाहकार, ग्रामीण विकास विभाग, पदेन;

ज) कार्यपालक निदेशक, पदेन;

घ) प्रकार्य :

तम्बाकू बोर्ड, अपने कार्यों का निर्वाह तम्बाकू बोर्ड अधिनियम, 1975 की धारा 8 के अनुसार करती है।

ङ) वित्त, लेखे एवं लेखा परीक्षा :

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 16 के अनुसार, केन्द्रीय सरकार संसद द्वारा इस निमित्त विधि द्वारा किए गए सम्यक् विनियोग के पश्चात बोर्ड को अनुदानों और उधारों के तौर पर उतनी धनराशियों, का संदाय कर सकेगी जितनी केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए प्रयुक्त किए जाने के लिए ठीक समझे।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (1) के अनुसार, तम्बाकू निधि कहलाई जाने वाली एक निधि गठित की जाएगी तथा उसमें निम्नलिखित राशियाँ जमा की जाएगी :-

- क) इस अधिनियम या तद्धीन बनाए गए नियमों के अधीन उद्गृहीत और संगृहीत की गई फीसें;
- ख) इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई कोई धनराशि या दिए गए कोई उधार;
- ग) कोई अनुदान या उधार, जो किसी व्यक्ति द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए दिया जाए;
- घ) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों को कार्यान्वित करने में बोर्ड द्वारा वसूल की गई राशियाँ, यदि कोई हों।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 17 (2) के अनुसार, निधि का उपयोग निम्नलिखित केलिए उपयोग किया जायेगा :-

- क) धारा 8 में निर्दिष्ट उपायों में होने वाले खर्च की पूर्ति;
- ख) बोर्ड के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के वेतन, भत्तों और अन्य पारिश्रमिकों की पूर्ति;
- ग) बोर्ड के अन्य प्रशासनिक व्ययों की पूर्ति;
- घ) किन्हीं उधारों का प्रतिसंदाय।

तम्बाकू बोर्ड अधिनियम 1975 की धारा 19 के अनुसार, बोर्ड अभिलेखों को रखरखाव करेगा तथा वार्षिक विवरणियों को तैयार करेगा -

(1) बोर्ड, उचित लेखा और अन्य सुसंगत अभिलेखों के अनुरक्षण करेगा तथा लेखाओं का एक वार्षिक विवरण, जिसके अंतर्गत लाभ और हानि लेखा तथा तुलनपत्र भी हैं, ऐसे प्ररूप में तैयार करेगा, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के परामर्श से विहित किया जाए।

(2) बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा ऐसे अन्तरालों पर, जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट किए जाएं, की जाएंगी और ऐसी लेखापरीक्षा के सम्बन्ध में उपगत कोई व्यय बोर्ड द्वारा नियंत्रक - महालेखापरीक्षक को संदेय होगा।

(3) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक के तथा बोर्ड के लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के ऐसी लेखापरीक्षक के सम्बन्ध में ये ही अधिकार और निर्णयाधिकार तथा प्राधिकार होंगे, जो नियंत्रक

- महालेखापरीक्षक के सरकारी लेखाओं की परीक्षा के सम्बन्ध में होने हैं और विशिष्टतया उसे बहियों, लेखा सम्बद्ध वाऊचरों तथा अन्य दस्तावेज और कागज-पत्र पेश किए जाने की मांग करने और बोर्ड के कार्यालयों में से किसी का निरीक्षण करने का अधिकार होगा।

(4) भारत के नियंत्रक - महालेखापरीक्षक द्वारा या इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा यथाप्रमाणित बोर्ड के लेखे तद्विषयक लेखा-परीक्षा रिपोर्ट सहित, केन्द्रीय सरकार को हर वर्ष भेजे जाएंगे और वह सरकार उन्हें संसद के दोनों सदन के समक्ष रखवाएगी ।

च) वित्तीय लेन-देन आम तौर पर :

तम्बाकू बोर्ड नियम 1976 के नियम 27 के अंतर्गत - इन नियमों में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त, केन्द्रीय खजाना नियमों, वित्तीय शक्तियों का प्रत्यायोजन नियम, 1958 और साधारण वित्तीय नियम, 1962 के उपबन्ध, ऐसे उपान्तों या अनुकूलनों के अधीन रहते हुए, जो बोर्ड द्वारा उनमें, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से किये जाएं, बोर्ड के सभी वित्तीय संव्यवहारों को लागू होंगे ।

छ) देय एवं परिसंपत्तियों पर प्रधान विषय :

1. बोर्ड ने लेखापरीक्षा द्वारा सूचितानुसार अनुसूचियों के अन्तर्गत तुलन पत्र, आय व व्यय लेखा और प्राप्तियाँ और भुगतान विवरण में लेखा आँकड़ों को लाखों रुपये तक पूर्ण करने (रॉऊडेड आफ) को उपनाया था ।
2. लेखाओं के यूनिफार्म फार्मेट के अनुसार ज्ञात देनदारों को चालू संपत्तियों के अंतर्गत और सभी प्रोविजनल परिसंपत्तियों को प्रोविजनल के अनुसार रखा गया । दि. 31/03/2021 को समाप्त वर्ष के लिए कुल देय राशि ₹1,042.77 लाख है ।
3. तम्बाकू बोर्ड की अनिश्चित देयताएँ निम्नानुसार हैं :
अपर महानिदेशक, जी एस टी खुफिया का महा निदेशक (डीजीजीआई), चेन्नई क्षेत्रीय यूनिट, चेन्नई ने पत्र सं. फा.सं. आईएनवी/डीजीजीएसटी/सीजड्यू/एसटी/31/2018, दि.19/04/2019 द्वारा आयकर अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार 2013-14 से 2017-18 तक अवधि के लिए ₹1,83,83,73,622/- राशि के लिए अतिरिक्त सेवा प्रभार/जुर्मानाओं के कर योग्य मूल्य पर ₹24,86,69,972/- सेवा कर के लिए और ₹9,98,83,002/- की राशि के लिए विविध रसीदों के अंतर्गत दर्शाये सतर्कता मामलों पर जुर्मानाओं के कर योग्य मूल्य पर ₹1,29,98,928/- राशि की सेवा कर आदि., को भुगतान नहीं अदा करने के लिए तम्बाकू बोर्ड को शो-कॉज नोटीस सं. 20/2019 जारी किया था ।

इस संबंध में, बोर्ड ने वित्त अधिनियम/सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत रहे प्रावधानों/नियमों के अनुसार उक्त अवधि के लिए समय-समय पर ग्राहकों से सेवा कर की नॉन-क्लेक्शन के लिए कमीशनरेट (अपील), वस्तु & सेवा कर, गुण्डूर को एक अपील करने का प्रस्ताव किया है । इस को आयुक्त, केन्द्रीय शुल्क, गुण्डूर द्वारा डिस्पोज किया गया और शो-कॉज नोटीस में बताये अनुसार कर डिमाण्ड की पुष्टि करते हुए आर्डर-इन-ओरिजनल सं. गुण्डूर-एक्सेस-000-कम-026/19-20 से.कर, दि.13/12/2019 को जारी किया ।

इस संबंध में, बोर्ड ने आर्डर-इन-ओरिजनल के लिए केन्द्रीय कर अपीलैट न्यायाधिकरण, क्षेत्रीय शाखा-हैदराबाद को अपील दायर की है, और सीईएसटीएटी, हैदराबाद में अपील को स्वीकार करने पूर्व-जमा के रूप में ₹1,96,25,168/- राशि को जमा की थी और यह मामला उप-न्यायालय के अधीन है ।

केन्द्रीय सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अधिसूचनाओं के अनुसार पंजीकृत/अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य/अप्राधिकृत तम्बाकू की बिक्री के लिए ग्राहकों द्वारा स्वेच्छा से किये गये बिक्री प्रोसीडों के अंशदानों पर तम्बाकू बोर्ड को कोई देयता नहीं होने के कारण 2018-19 से 2020-21 तक अवधि के लिए लेखा बाहियों में आगे कोई आकस्मिक देयता नहीं किया गया है। अंशदान की किसी भी रसीद पर कोई सेवा कर और तम्बाकू बोर्ड द्वारा सेवा कर वसूल करने के लिए कोई सेवा कर का प्रावधान नहीं है।

4. पूर्णधृति तथा पट्टेधृति भूमियों के विवरण को, बोर्ड के तुलन पत्र का अनुलग्नक-I से III (अनुसूची-8) के अंदर स्थिर संपत्ति विवरणों में सूचित किया गया।
5. दि. 31/03/2021 को समाप्त वर्ष के लिए ₹ 25.63 लाख पर मूल्यांकित लेखन - सामाग्री एवं उपभोक्त वस्तुओं को उन पदार्थों के वास्तविक खरीद दाम पर विचार करते हुए, अन्तिम स्टॉक लेखे के तहत दिखाया गया।
6. 2020-21 को समाप्त वर्ष के लिए आन्ध्र प्रदेश तथा कर्नाटका में राष्ट्रीकृत बैंकों के साथ तम्बाकू निधियों के कुल निवेश ₹60,111.12 लाख हैं। लेखा परीक्षकों के सुझाव के अनुसार, यह सावधिक जमाओं की राशि तुलन पत्र के चालू संपत्ति, ऋण & अग्रिम को अनुसूचित बैंकों के जमा लेखाओं (तुलन पत्र के एफडीआर) के साथ अनुसूची-11 में प्रदर्शित करना होगा। सभी सावधिक जमाओं को प्रत्यक्ष रूप से सात्यापित किया गया।

बोर्ड के साथ उपलब्ध सावधिक जमाओं के विवरण, विवरणिका के रूप में तैयार किया गया तथा विवरण को अनुलग्नक के क्रम में पाया गया।

7. स्थिर संपत्तियों पर मूल्यहास को प्रोरेटा मासिक आधार पर परिकलन किया गया। बोर्ड द्वारा अपनाये संपत्तियों पर मूल्यहास के दर निम्नलिखित प्रकार हैं :

1. भूमि-पट्टेधृति	: 360 महीनों की अवधि
2. भवन : पट्टेधृति भूमि पर	: 276 महीनों की अवधि
3. पूर्णधृति भवन	: 1.58% (आरसीसी छत) & 3.17% गैर - आरसीसी
4. फर्नीचर & फिटिंग्स और विद्युत उपकरण	: 9.50%
साईकिल, ग्रंथालय पुस्तकें, विविध उपकरण, टारपीन,	: 9.50%
ट्राली, वेथिंग स्केल & क्यूबिकल्स	: 9.50%
5. कार्यलय उपकरण, प्रदर्शनी उपकरण	: 19%,
वैज्ञानिक उपकरण, कॉपियर मशीन	: 19%
6. अग्नि शामकों	: 19%
7. कंप्यूटर	: 31.67 %

जहाँ तक ट्रालियों का सम्बन्ध है, कम्पनी के आधिनियम में कोई निश्चित प्रतिशत उपलब्ध नहीं है। ये ट्रालियाँ मुटा लेबर श्रामिकों द्वारा अभद्रता से उपयोग किया जाता है। इन ट्रालियों की टूट-फूट बहुत अधिक होते हैं और ये काम करने के लिए अनुपयुक्त बन जायेगी। अतः ट्रालियों के मूल्यहास - दर @ 9.50% पर निर्धारित किया गया है।

अग्निशामकों पर मूल्यह्रास का दर 19% निर्धारित किया गया, जो अग्निशामकों के संबंध में, सिलिंडरों में उपयोग किये जाने वाला पदार्थ, 5 वर्षों के बाद अनुपयुक्त होंगे, जो सही ढंग से न रखे। आग दुर्घटना के समय उपयोग के लिए एक बार तोड़े जाने पर, उसको प्राधिकृत अभिकरण के द्वारा सामग्री की पुनः भर्ती की जाने की जरूरत है, जोकि लागत - महंगा है।

उसी प्रकार, कॉपियर मशीन के लिए भी प्रति वर्ष 19% का मूल्यह्रास दर अपनाया गया है, क्योंकि कॉपियर मशीन का जीवनकाल 5,00,000 प्रतियों का है। 5,00,000 प्रतियों के जेराक्स की कालावधि के पश्चात मशीन की लागत बहुत खर्चीला है, जिसमें रखरखाव पर भारी खर्च लगता है।

संपत्तियों पर पिछले वर्ष की मूल्यह्रास के साथ दि. 31/10/2021 तक तम्बाकू बोर्ड की स्थिर संपत्तियों पर ₹ 339.40 लाख की कुल रकम का मूल्यह्रास किया गया है।

8. दि.31 मार्च, 2021 को समाप्त वित्तीय वर्ष दौरान परिसंपत्तियों को, जो कि सपीडब्ल्यूडी और राईट्स अभिकरणों को रीलीज अग्रिमों के लिए परिसंपत्तियों के रूप में कैपिटलैज/समायोजित किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 से दौरान, सिविल, विधुत और रखरखाव प्रकृति के अंतर्गत कवर किये गये पूर्ण कार्यों के लिए सीपीडब्ल्यूडी/ राईट्स को अग्रिम के लिए व्यय के रूप में ₹ 422.94 लाख राशि को समायोजित किया गया और ₹ 299.45 लाख राशि को प्रगताधीन पूँजीगत कार्यों के रूप में समायोजित किया गया था।

9. दि.31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर व्यय के लेखों पर ₹ 83.67 लाख की राशि खर्च हुई है, जिसमें जेनरेटरों का रखरखाव, पानी की खरीदी, बिजली मरम्मत & प्रतिस्थापन, स्वीपिंग व्यय और सतर्कता प्रचालनों पर व्यय आदि., शामिल हैं।

दि.31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए फुटकर प्राप्तियों के लेखा की लेखों पर ₹ 263.32 लाख की राशि खर्च हुई है, जिसमें सतर्कता प्रचालनों पर जुर्माना, जीएसपी प्रमाणपत्र की बिक्री, न्यूस पत्रों को अंशदान, समाचार पत्रों की बिक्री, ग्राहकों से बेल पट्टाओं के मूल्य अंतर, इनपुट ऋण खाता के अंतर्गत सरप्लस ब्याज, निविदा फार्म की बिक्री आदि शामिल हैं।

10. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए प्रत्येक क्रेताओं और ग्राहकों से @1% एफसीवी तम्बाकू पर सेवा प्रभार लेखा के अंतर्गत ₹ 5,444.27 लाख राशि प्राप्त हुई।
11. 2020-21 वित्तीय वर्ष के दौरान तम्बाकू बोर्ड ने सरकार से कोई अनुदान सहायता को प्राप्त नहीं किया।
12. दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए विदेशी मेले तथा प्रदर्शनियों और विदेशी को व्यापारी प्रतिनिधि मंडली के सम्बंध में कोई राशि खर्च नहीं की गयी है।
13. वर्ष 2020-21 के दौरान, सेवा निवृत्ति सुविधाएँ जैसे., उपदान (ग्राच्युटी), अवकाश वेतन और पदाधिकारियों को, जो सेवा निवृत्ति / निधन/ वीआर प्राप्त किये हैं, जिसमें सेवानिवृत्ति सुविधाओं को भुगतान करने के लिए देयताएँ भी सम्मिलित हैं, के पेंशन नकदीकरण आदि., लेखाओं के अंतर्गत ₹1,680.97 लाख की राशि रही है।
14. दि. 31/03/2021 तक तुलन पत्र के अनुसूची-11 के अनुसार चालू संपत्तियों, ऋण और अग्रिम लेखाओं के अंतर्गत ₹ 75,305.14 लाख की राशि उपलब्ध रही है।

15. ₹ 16.02 लाख की रकम 1977 तूफान ऋण लेखा से संबंधित प्रधान लेनदारों (किसानों) से बकाया है। सामान्य मुकदमों एवं ईपी, प्लैटफार्म अधिकार क्षेत्र में संबंधित मनानीय न्यायालयों के सामने दायर किये गये और ये मामले न्यायाधीन (सब-जुडिस) रहा है। बोर्ड ने, ब्याज और कानूनी प्रभारों के अधित्याग में 50% जैसी ऋण की रकमों को, एक मुक्त निपटान के तहत देय बकायों को वसूल करने के लिए तीव्र प्रयत्न किये और देय बकाये की वसूली हेतु कमजोरी रही।

अधिकाधिक लेनदार निधन हो गये और कुछ लोग बहुत बूढ़े याने., 85 से 90 उम्र के हो गये हैं और तम्बाकू पैदा नहीं कर रहे और न पता है। बोर्ड के द्वारा किये गये सभी प्रयासों के बावजूद, चूँकि कानूनी तौर पर कार्रवाई करने के लिए कोई बन्धक रखी गई सम्पत्ति नहीं रही। बाकी रकम की वसूली की संभावना कम है। जहाँ पर बोर्ड ने न्यायालयों का दरवाजा खटखटाया, वहाँ कानूनी खर्च व्यक्तिगत मामलों में बकाये रकम से बढ़कर रहा था।

हैदराबाद में दि.28/07/2007 को संपन्न बोर्ड की 122वीं बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा हुई और 1977 तूफान ऋणों के संबंध में हानियों को बट्टे खाते डालने के लिए सरकार को प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया। क्योंकि तम्बाकू बोर्ड नियम, 1976 के नियम 24(2) के अनुसार हानियों को बट्टे-खाते डालने के लिए सरकार सक्षम है। इस संबंध में, बोर्ड ने मंत्रालय को पत्र लिखा और अनुस्मारक भी लिखा था। इस संबंध में सरकार की स्वीकृति प्रतिक्षित है।

16. निधि लेखाओं, जो वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान सहायता), तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि, तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि (टाइर-1) तथा तम्बाकू ग्रायर्स कल्याण निधि आदि., के लिए मार्जिन राशि के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित लेखाओं को, लेखापरीक्षा द्वारा सुझाये गये के अनुसार नियत/धर्मस्व निधियों की अनुसूची-3 के अंतर्गत दर्शाया गया है। बैंक शेष, निवेशों और निवेशों पर आय के अथशेष, सभी तम्बाकू बोर्ड के सभी उर्दिष्ट निधियों के लिए निवेश, बैंक शेष और निवेशों पर आय के साथ अन्य प्राप्तियों को 2020-21 के तुलन पत्र और प्राप्तियाँ & भुगतान विवरण के संबंधित अनुसूचियों में प्रोजेक्ट किया गया था।

17. वाणिज्यिक प्रचालनों (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान) लेखा के अंतर्गत मार्जिन राशि के अंतर्गत निधि लेखा बहियों के अनुसार ₹ 2,676.29 लाख राशि उपलब्ध रहा था। व्यापार स्कंध, जो एमएसपी प्रचालनों के लिए ₹ 1.25 लाख मार्जिन राशि के साथ 1984 में भारत सरकार द्वारा सृजन किया गया। 1987 & 2000 के दौरान एम एस पी प्रचालनों के लिए ₹ 91.40 लाख लाभ प्राप्त किया और दि. 31/03/2021 तक नियत जमाओं पर ब्याज के रूप में ₹ 2,459.89 लाख प्राप्त हुए।

18. तम्बाकू बोर्ड सामान्य भविष्य निधि खाता के अंतर्गत लेखा बहियों के अनुसार ₹ 1,913.45 लाख की राशि उपलब्ध रहा था। स.भ.नि. ब्राड शीट के अनुसार (जिसमें अंशदान के ब्याज को मिलाकर) पदाधिकारियों को देय रकम ₹ 1,853.79 लाख राशि था। वित्तीय वर्ष के अंत तक सा.भ.नि खाता में ₹ 59.66 अधिशेष राशि उपलब्ध रहा है। सावधिक जमाओं पर उपार्जित ब्याज की अधिशेष राशि, जो सा भ नि के लिए पदाधिकारियों के अंशदान के रूप में देय ब्याज से अधिक रहा है।

19. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा के अंतर्गत, लेखा बहियों में ₹ 16,529.63 लाख उपलब्ध रहा है। भा.जी.नि. के साथ ₹ 16,524.73 लाख राशि और रोकड बही के अनुसार बैंक में नकद के रूप में ₹ 4.90 लाख की राशि उपलब्ध रहा है। तम्बाकू बोर्ड ने मौजूदा कर्मचारियों की डेटा जीवीनि को प्रस्तुत किया और भा.जी.नि ने दि.31/03/2021 तक ₹ 19,025.00 लाख राशि को एक्च्यूरेड मूल्यांकन द्वारा पेंशन देयता को परिकलित किया है। पेंशन देयता के लिए भा.जी.नि के पास जमा राशि को ध्यान में रखते हुए भारतीय जीवित बीमा निगम को ₹ 2,501.00 लाख की राशि शेष रहा है, इसको दि.31/03/2021 तक लेखा बहियों में देयता के रूप में उपनाया गया है।
20. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना खाता के अंतर्गत खाता बहियों के अनुसार ₹30.11 लाख की राशि निधि में उपलब्ध रहा था। इस एनपीएस के अंतर्गत कवर होने वाले पदाधिकारियों को देय कर्मचारी और नियोकता अंशदान को मौजूदा नियमों के अनुसार में एनएसडीएल, मुंबई को रेमिट किया जाता है। उक्त राशि में दि. 31/03/2021 तक तम्बाकू बोर्ड में नये भर्ती/निकासी पदाधिकारियों द्वारा पी आर ए एन (प्रान) को माँगते हुए एनएसडीएल को एनपीएस पदाधिकारियों को वापसी राशियों/शेष भुगतान के साथ निधि लेखा के अन्तर्गत अधिशेष (सरप्लस) की राशि शामिल है।
21. तम्बाकू ग्रायर कल्याण निधि योजना लेखा के अंतर्गत रहे निधि में बही खाताओं के अनुसार ₹ 6,444.88 लाख की राशि (आन्ध्र प्रदेश ₹ 3,868.72 लाख + कर्नाटका ₹ 2,576.16 लाख) उपलब्ध रहा था।

भारत सरकार ने अपने पत्र सं. 06/05/2007 -ईपी (आग्रि. VI) दि. 28/07/2008 द्वारा 2009-10 के दौरान अप्रधिकृत तम्बाकू और आधिक्य तम्बाकू की विक्री पर वसूल किये जाने वाले जुर्मानाओं के लिए ग्रायरों के बीच 1:2 अनुपात में अंशदान के साथ तम्बाकू ग्रायर कल्याण योजना को सृजन करने के लिए अनुमति प्रदान किया।

22. उपदान (ग्राट्युटी) और अवकाश नकद की निधि खाता सृजन करने के लिए मंत्रालय को प्रस्ताव भेज दिया गया था और सरकार से स्वीकृत प्राप्त होनी है। सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के बाद उपदान (ग्राट्युटी), अवकाश वेतन और अर्धवेतन राशि का सही परिकलन वर्कआउट किया जायेगा तथा निधि खाता को वास्तविक भुगतान करने के बाद वास्तविक देयता को प्रावधान किया जायेगा। इस संबंध में 2013-14, 2014-15, 2015-16, 2016-17, 2017-18 और 2018-19 वर्षों के लिए अवकाश वेतन, ग्राट्युटी और अर्ध वेतन भुगतान के संबंध में ₹ 30.00 करोड की कुल देनदारी प्रदान की गई है।

यह लेखा निधि सृजन करने की मामला को बोर्ड के सामने अनुमोदन के लिए रखा गया। बोर्ड इस प्रस्ताव को विस्तृत रूप से अध्ययन करने और निधि लेखा सृजन करने के लिए प्रस्ताव पारित किया। निधि लेखा सृजन प्रस्ताव पर अध्ययन प्रगताधीन है।

आगे, यह प्रस्तुत किया जाता है कि तम्बाकू बोर्ड ने उपदान और अवकाश नकदीकरण लेखाओं के कारण बीमांकित मूल्यांकन द्वारा देयता की गणना के लिए मौजूदा कर्मचारियों की डेटा प्रस्तुत किया है। जी.बी.नि (एलआईसी) ने मृत्यु-दर, निकासी दर, छूट दर और वेतन अंशदान आदि., को ध्यान में रखते हुए दि.31/03/2021 तक ₹ 4,150.69 लाख (उपदान की राशि ₹ 2,506.86 लाख और अवकाश नकदीकरण की राशि ₹ 1,643.83 लाख) राशि की देयता के साथ प्रस्ताव दिया है। इस निधि लेखा के अंतर्गत छूट और जमा राशि पर ब्याज आर्जित करना आदि., के लिए जी.बी.नि के साथ कोई रशि निवेश नहीं किया गया है।

अतः बोर्ड ने 30/03/2021 तक मौजूदा कर्मचारियों के लिए उपदान और अवकाश नकदीकरण की वास्तविक देयता को परिकलित किया और इसे दि.31/03/2021 तक सी.सी.ए. (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार ₹ 4,418.67 लाख राशि (उपदान ₹ 2,612.35 लाख + अवकाश नकदीकरण = ₹ 1,816.32 लाख) के लिए बाहियों में इसे परिकलन किया था। भारतीय जीवित बीमा निगम के साथ निधि लेखाओं को रखरखाव करने के लिए आवश्यक कदम अगले वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान निधि लेखाओं की सामान्य प्रक्रिया अनुसार करने के द्वारा किया जायेगा।

23. नीलामकार की सेवाएँ (क्रेता प्राधिकरण शुल्क, डेमरेज प्रभार & बेल पट्टा), कानूनी परामर्श सेवाएँ (लीगल प्रभार) और किराया-कॉब-प्रचालक सेवा (वाहनों को भाड़ा) की सेवाओं पर सेवा कर से संबंधित सेवा कर विभाग को देय ₹. 178.44 लाख की राशि को प्रोविजनल देयताओं के रूप में लिया गया, जो कि यह मामला सी ई एस टी ए टी, हैदराबाद के अधीन हैं। कंपनियों से देय राशि ₹. 4.96 लाख को लेखा बहियों में चालू संपत्तियों के रूप में दिया गया।
24. दि. 31/03/2021 तक सेवा निवृत्त लाभों, संपत्ति कर, तम्बाकू गोयार कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा) को और अन्य लेखा शीर्षों के साथ देय राशि और सीपीडब्ल्यूडी & राईट्स आदि., के कार्यकारी अभिकरणों को देय राशि को लेखा बहियों में बकाया देयताओं के रूप में प्रावधान की गई है।
25. तम्बाकू बोर्ड ने, मेसर्स. उमामहेश्वर राव & कंपनी, गुण्डूर के चार्टर लेखाकार द्वारा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (29) (क) (डी) के अंतर्गत आयकर को भुगतान करने से छूट होने पर भी, बोर्ड के लेखाओं पर कर-लेखा परीक्षण अपनाने के बाद कर रिटर्न को, जो आयकर अधिनियम, 1961 के नियमों के अनुसार 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए आय कर रिटर्न नस्ति की है।
26. तम्बाकू बोर्ड ने, जीएसटी मानदण्डों के अनुसार लेखा-परीक्षा पूरा होने के बाद जीएसटी विभाग द्वारा समय-समय पर कर देयताओं को चुकाने के बाद अधिकृत लेखाकार मेसर्स. वंगला & असोसियेट्स, गुण्डूर द्वारा 2019-20 वित्तीय वर्ष के लिए जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-7 की मासिक रिटर्न और जीएसटीआर-9, जीएसटीआर-9 सी की वार्षिक रिटर्न नस्ति किया है।
27. तम्बाकू बोर्ड, माँगे गये पंजीकृत एफसीवी तम्बाकू गोयारों को रासायनिक उर्वरकों को प्रोक्यूरिंग और वितरित कर रही है। 2008-09 तक, गोयारों को उर्वरकों को वितरण करने के लिए स्पाईसेस ट्रेडिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसटीसीएल) की सेवाओं को अपना ली थी।

2009-10 के दौरान, मेसर्स. एसटीसीएल की सेवाएँ अनुपलब्धता के कारण बोर्ड ने गोयारों को उर्वरकों को वितरण करने का कार्य अपना लिया था। इन प्रचालनों के लिए उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर ने गोयारों को, जो कि यह केवीएटी अधिनियम, 2003 के अंतर्गत डीलर की अनुज्ञप्ति प्राप्त नहीं करने के कारण यह बिलम्बित भुगतान रहा था, के लिए उर्वरकों को वितरण करने के लिए कर राशि ₹ 2,34,27,445/- और इस कर पर जुर्माना ₹70,28,233/- को अदा करने के लिए कर निर्धारण आदेश दि. 27/05/2011 द्वारा बोर्ड को (सूचना) जारी किया। इस संबंध में, बोर्ड ने कर्नाटका राज्य सरकार से और माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय द्वारा आयुक्त, वाणिज्यिक कर, बेंगलूर को अपील करने के द्वारा अनेक प्रयास किये थे। बोर्ड द्वारा दायर किया रिट पीटिशन माननीय अदालत द्वारा बरखास्त कर दिया गया था।

इस संबंध में, बोर्ड ने, दि. 07/12/2013 को बिक्री कर अपील न्यायालय, कर्नाटका, बेंगलूर को अपील की। यह ट्रिब्यूनल (न्यायालय) दि. 31/12/2013 को डीसीसीटी (वीएटी), लेखा परीक्षा-I, मैसूर के साथ 30% कर राशि ₹ 91,36,703/- को जमा करने पर मामला को स्वीकार किया। आगे, उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, वीएटी लेखा परीक्षा-I, मैसूर के नाम पर ₹2,13,18,975/- की राशि को बी.जी. के रूप में रखा गया। ट्रिब्यूनल ने आदेश दि. 31/08/2016 द्वारा बोर्ड की अपील को खारिज कर दिया गया था। अतः पूरा कर + जुर्माना राशि को बैंक गारंटी रद्द करने के द्वारा उप आयुक्त, वाणिज्यिक कर, मैसूर को दि.25/11/2016 को चुकाई गई। डीसीसीटी वीएटी (लेखा परीक्षा-I), मैसूर द्वारा ₹3,04,55,678/- की कर राशि की प्राप्त होने के बाद, फिर से ₹3,26,98,056/- राशि के लिए, जो 21/05/2009 से 25/11/2016 तक अवधि के लिए उक्त कर पर ब्याज से संबंधित है, के संबंध में दि. 09/12/2016 को दूसरा डिमान्ड नोटीस जारी किया था। इस संबंध में, बोर्ड ने केवीएटी के आदेश और 09/12/2016 को जारी डिमान्ड नोटीस को चुनौती देते हुए एक रिट पिटीशन दि. 02/01/2017 को माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बेंगलूर के सामने दायर किया।

माननीय उच्च न्यायालय ने, कर निर्धारण (असेसमेंट) आदेश दि. 27/05/2011 को जारी, जो अभियोजिक (डीसीसीटी, वीएटी, कर्नाटका) के साथ ₹32,69,805/- की राशि पीटिशनर को जमा करने के शर्त पर, आगे की कार्यवाही के लिए इंटरिम स्टे जारी किया। इसी बीच, कर्नाटका राज्य सरकार ने कर समाधान योजना - 2017 द्वारा वीएटी, सीएसटी और केईटी आदि., से जुर्माना और ब्याज को अधित्याग, जो दि. 01/04/2005 से 31/03/2016 तक रहे कर अवधि के लिए 15/03/2017 तक राशि अदा नहीं किया गया है तथा ब्याज और जुर्माना भुगतान से संबंधित मामले लंबित रहा है, को ब्याज और जुर्माना को केवल 10% मात्र भुगतान करने से अधित्याग देने के लिए योग्य बना दिया है।

उक्त मामला की स्थिति को देखते हुए, बोर्ड ने सीटीडी. सं. संख्या. 1789617671 द्वारा दि. 30/05/2017 को ई-पेमेंट के जरिये ₹32,69,805/- की राशि भुगतान किया तथा कर समाधान - 2017 के अंतर्गत ब्याज से छूट लाभ को प्राप्त करने ऑन - लाईन आवेदन को नस्तिर किया और एक समय लाभ योजना, जो कर्नाटका सरकार द्वारा घोषित किया गया था, को उपयोग करके अपील को डिसमिस करने बोर्ड ने माननीय कर्नाटका उच्च न्यायालय, बेंगलूर में एक स्मारक (मेमो) दायर किया। बोर्ड ने कर समाधान योजना स्कीम का लाभ उठाकर डीसीसीटी वीएटी (लेखा परीक्षा), मैसूर को डिमान्ड नोटीस की 10% राशि ₹32,69,805/- को भुगतान किया और कर्नाटका के उच्च न्यायालय ने उक्त राशि को भुगतान पर यह मामला सेटिलमेंट होने कारण इस मामला को डिस्पोज किया था। डीसीसीटी-वीएटी विभाग से समाशोधन प्रमाण पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है और यह मामला प्रगताधीन है।

28. आय कर - वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा आय कर विभाग को कोई बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाता है।
29. बिक्री कर - वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान तम्बाकू बोर्ड द्वारा बिक्री कर विभाग को कोई बकाया राशि भुगतान नहीं किया जाता है।
30. नगर निगम कर - संपत्ति कर को संबंधित ग्राम पंचायत, नगर निकायों और निगमों के प्राधिकारियों से डिमान्ड नोटीस प्राप्त होने पर भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान डिमान्ड नोटीस प्राप्त नहीं होने पर संपत्ति कर से संबंधित देय राशि को लेखा बहियों में देयता के रूप में प्रावधान किया जाता है।

31. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, कनिगिरी नीलाम प्लैटफार्म में अग्रिशमन उपकरणों के लिए बैंक गारंटी के मुद्दे को समाशोधन के लिए लिया जायेगा, क्यों कि गारंटी की अवधि समाप्त हो गयी थी ।
32. वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, नीलाम की 10वीं दिन को संबंधित नीलाम प्लैटफार्म लेखा को इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रान्सफर के द्वारा क्रेताओं से प्राप्त तम्बाकू खरीद मूल्य और नीलाम की 11वीं दिन को संबंधित वैयक्तिक गोयरो के खाता को बिक्री प्रोसीडों को ई-भुगतान द्वारा आन्ध्र प्रदेश और कर्नाटका के सभी नीलाम प्लैटफार्मों में एसबीआई फास्ट सीएमपी आन्तरिक पोर्टल खाता की सेवाओं को उपयोग करने के द्वारा किया जाता है ।
33. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, नीलाम तारीख के अनुसार सेवा शुल्क की उपार्जित प्राप्ति, वस्तु एवं सेवा कर की देयता और क्रेताओं से तम्बाकू मूल्य की उपार्जित प्राप्ति को वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, आय व व्यय लेखा में लिया गया है ।
34. लेखा परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, उपादान और अवकाश नकदीकरण लेखाओं से संबंधित अल्पकालिक और दीर्घकालिक देयता का प्रावधान वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान, तुलना पत्र की देयता के पक्ष में प्रोजेक्ट किया गया ।
35. सीपीडब्लूडी को अग्रिम जैसे पूँजीगत और राज्यस्व प्रकृति पर व्यय और इसके कार्यों के समापन को ध्यान में रखा गया और इसे परिसम्पत्ति पर मूल्यह्रास के रूप में गणना की जाती है ।
36. सीसीएस (पेंशन) नियम, 1972 के अनुसार मौजूदा कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सेवाओं को ध्यान में रखते हुए उपादान का भुगतान, अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश लेखा के लिए देयता की गणना की जाती है और इसे मृत्यु-दर, निकासी दर, छूट, निवेश पर व्याज आदि., मान्यताओं के साथ बीमांकित मूल्यांकन द्वारा भारतीय जीवित बीमा निगम द्वारा देयता की गणना के अनुसार लेखा बहियों में देयता के रूप में प्रोवैड किया जाता है अतः इसे खाता बाहियों में प्रोजेक्ट नहीं किया गया है ।
37. बजट रसीद और व्यय-तम्बाकू बोर्ड ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान आन्तरिक संसाधनों (रसीदों) से ₹12,777.00 लाख की प्राप्ति और ₹13,631.81 लाख राशि को व्यय किया है ।
38. महानिदेशक, महानिदेशक - वाणिज्यिक लेखा परीक्षा का कार्यालय और पदेन - सदस्य, लेखा-परीक्षा बोर्ड, हैदराबाद के अ. स. पत्र दि.29/12/2020, सं. डीजीसीए/लेखा डेस्क/2019-20/1.42/204 के अनुसार लेखा परीक्षा द्वारा वर्ष 2019-20 के लिए तम्बाकू बोर्ड के लेखाओं पर प्रबंध-पत्र में रैज किये बिन्दुओं पर रेमिडिकल कार्रवाई के लिए पत्र लिखा । लेखापरीक्षा द्वारा सूचित संशोधनों को वर्ष 2020-21 के तम्बाकू बोर्ड के वित्तीय विवरणियों में निम्नानुसार लिये गये :
 - क) लेखा-परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, सेवाओं पर आय, रजिस्ट्रेशन शुल्क, अर्जित व्याज और अन्य आय के साथ-साथ स्थापना और अन्य प्रशासनिक व्यय पर किये गये व्यय का विवरण लेखा नितियों की अनुसूची 24 में प्रक्षेपित हैं ।
 - ख) लेखा-परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, सावधिक जमा पर अर्जित आय पर व्याज की गणना वास्तविक दिनों की संख्या के आधार पर की जाती हैं ।

- ग) अभी तक दिखाये गये भूमि मूल्यों को लेखा-परीक्षा द्वारा सूचितानुसार तम्बाकू बोर्ड द्वारा भवनों के साथ भूमि की अधिग्रहण/खरीद की बिक्री विलेखों (डीड) के अनुसार सही किया गया है। भूमि मूल्यों को भवन लेखा के अंतर्गत लिया जाता है, को भवनों से हटा दिया गया है, जो बिक्री विलेख (डीड) के अनुसार भूमि और भवन के लिए कोई अलग मूल्य नहीं हैं। इसी क्रम में, दि.31/03/2020 तक उपलब्ध कराये गये भवनों के खाताओं पर मूल्यह्रास को भी भवन खाता से हटा दिया गया है।
- घ) आय और व्यय खाता में अचल संपत्तियों पर मूल्यह्रास की द्विशाखन को चालू वर्ष और पिछले वर्ष की राशियों के लिए अलग से दिखाये गये।
- ड.) सीपीडब्लूडी को भुगतान किये अग्रिमों से प्रगताधीन कैपिटल कार्यों की सीमा तक की गयी राशियों को लेखा-परीक्षा द्वारा सूचितानुसार, प्रगताधीन कैपिटल कार्य लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्रक्षेपित किया गया है। राजस्व और कैपिटल प्रकृति के लिए सीपीडब्लूडी/राईट्स के साथ बकाया राशि की द्विशाखन को अलग से दिखाया गया है।
- च) 2013-14 से 2017-18 तक अवधि के लिए जुर्माना के साथ कुल सेवा कर संभाव्य देयता पर संक्षिप्त विवरण को लेखा टिप्पणियों में दिया गया है। 2018-19 से 2020-21 तक की अवधि के लिए अंशदानों पर जीएसटी देयता को लेखा बहियों में प्रवेष्ट नहीं किया गया है, जो कि बोर्ड केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी राजपत्र अधिसूचना के अनुसार पंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित आधिक्य तम्बाकू/अपंजीकृत ग्राहकों द्वारा उत्पादित अपंजीकृत तम्बाकू पर वसूली बिक्री प्रोसीडों की अंशदानों पर जीएसटी भुगतान करने के लिए उत्तरदायी नहीं हैं, के विवरण नीचे दिया गया है :
- (i) ग्राहकों से बिक्री प्रोसीडों के अंशदानों को ग्राहकों के मुद्रित बिक्री नोटों में अतिरिक्त सेवा प्रभार/जुर्माना के रूप में और ग्राहकों से जुर्माना के रूप में आय और व्यय लेखा में दिखाया गया था।
 - (ii) ग्राहकों से जानबूझकर किया गया अंशदानों कर योग्य सेवा के अंतर्गत नहीं आयेगा, क्योंकि यह बोर्ड द्वारा किया गया सेवा नहीं है।
 - (iii) लेखा बहियों में दिखाये गये नामावली की भिन्नता माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कानूनी मामले के अनुसार कर देयता के लिए गणन योग्य नहीं है।
 - (iv) वित्त अधिनियम, 1994 के प्रावधानों के अनुसार सेवा/कर योग्य सेवा, अनिर्मित तम्बाकू की कृषि उत्पाद की बिक्री, कृषि विपणन समितियों से समान कार्यों/गतिविधियों/सेवाओं और तम्बाकू बोर्ड एक सरकार आदि., के परिभाषा के अनुसार कर और कर पर जुर्माना के लिए उत्तरदायी नहीं है।
 - (v) एससीएन के अंतर्गत लगाये गये दण्ड तम्बाकू बोर्ड पर लागू नहीं होते हैं, क्योंकि 2006-07 से 2013-17 तक वित्तीय वर्षों के लिए वित्तीय विवरणियाँ, जिस में संबंधित अनुसूचियों के साथ तुलन-पत्र, आय व व्यय लेखा, रसीदें & भुगतान विवरणों को सेवा कर विभागों को पहले ही प्रस्तुत किये गये थे। उन्होंने 01/05/2006 से समय-समय पर सेवा कर रिटर्न के संदर्भ में लेखाओं को लेखा परीक्षा भी किया है।

उक्त वित्तीय विवरणियों में दण्ड सहित प्रत्येक लेखा शीर्ष के अंतर्गत आय और व्यय राशियों को दिखाया गया है। आय शीर्षों पर कोई कर देयता नहीं है, क्योंकि बोर्ड ने वित्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी लागू करों को भुगतान किया है। उक्त को ध्यान में रखते हुए, शो-कॉज नोटीस में सूचितानुसार कर से बचने के लिए तम्बाकू बोर्ड की ओर से अभिलेखों को छिपाना की कोई आवश्यकता नहीं था।

- (vi) अतः बोर्ड ने शो-कॉज नोटीस में दिखाये अनुसार गैर-लागू कर और दण्ड के लिए केन्द्रीय कर आयुक्त, गुण्टूर द्वारा पारित आर्डर-इन-ओरिजनल के लिए सीईएसटीएटी के सामने अपील दायर की।

ह/- xx xx xx

(वी. वेंकटराव)

प्रबंधक (वि व ले)

तम्बाकू बोर्ड, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, भारत सरकार, गुण्डूर
तम्बाकू निधि लेखा - वित्तीय विवरणियाँ

दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान				
प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	(राशि ₹ लाख में)
I. अथशेष :			I. स्थापना खर्च	
क) बैंक शेष			1. वेतन और मजदूरी	4790.71
1. चालू खाताएँ	3168.37	8708.48	2. भत्ते और बोनस	15.21
2. जमा खाताएँ	60966.99	58486.41	3. भविष्य निधि को अंशदान	0.00
3. बचत खाताएँ	0.00	0.00	4. पेंशन निधि को अंशदान	3000.00
ख) उद्धिष्ट / धर्मस्व निधियाँ			5. पेंशन निधि को अंशदान (न पें यो)	86.92
1. चालू खाताएँ			6. कर्मचारी कल्याण व्यय	0.00
i) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन	0.05	0.05	7. सेवानिवृत्ति और टर्मिनल लाभ	1784.54
(व्यापार स्कंध को अनुदान)			8. अन्य :	
2. जमा खाताएँ	0.00	0.00	क) छुट्टी वेतन & पेंशन अंशदान	12.96
3. बचत खाताएँ			ख) चिकित्सा दावें (अधिकारीगण व स्टाफ)	79.19
i) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य	10.16	8.33	ग) छुरिया दावें	12.89
भविष्य निधि			घ) स्टाफ को वर्दी	3.05
ii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन फंड	4.74	4.55	II. अन्य प्रशासनिक व्यय	
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन योजना	12.59	0.61	1. कर्मचारियों को ओ.टि.ए	0.00
iv) तम्बाकू ग्राहक कल्याण निधि योजना	228.31	155.84	2. या.भ.अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए	214.36
II. प्राप्त अनुदान	0.00	0.00	3. या.भ.बोर्ड के सदस्यों के लिए	2.69
III. निवेश और जमाएँ			4. प्रशासनिक भवन / कर्टर्स /	
क) उद्धिष्ट राजस्व निधि (एफ डी आर)			नी. प्लैटफार्म का रखरखाव	29.06
			5. भवनों का किराया	111.84

दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	(राशि ₹ लाख में)			
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (व्यापार स्कंध को सहायता अनुदान)			6. मुद्रण और स्टेशनरी	52.31
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	2433.01	2266.95	7. विद्युत शुल्क	120.39
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	2189.93	2391.27	8. डाक और टेलीफोन शुल्क	33.86
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	14958.32	15577.02	9. बैंकों पर व्यय	14.61
v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना	22.97	27.87	10. विविध व्यय	137.51
ख) निजी निधि	5570.88	5260.17	11. मनोरंजन व्यय	8.06
IV. निवेश पर आय	0.00	0.00	12. पत्रिकाओं के लिए सदस्यता	3.69
क) उद्दिष्ट राजस्व निधि			13. फर्नीचर और अन्य संपत्तियों की मरम्मत	11.01
i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)	168.71	166.06	14. परिवहन प्रभार	4.20
ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	672.05	814.66	15. कार्यशालाएँ और सेमिनार	0.00
iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	5184.58	3967.86	16. दरें और कर	17.00
iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	155.80	146.50	17. बैंक शुल्क	0.61
v) तम्बाकू गोयर कल्याण निधि योजना	1051.87	1128.32	18. कानूनी शुल्क	6.71
			19. वाहनों का भाड़ा	107.28
			20. वाहनों का रखरखाव	34.55
			21. बीमा	19.38
			22. लेखा-परीक्षा शुल्क	7.95
			23. सा भ नि को व्याज योगदान	0.00
			24. अन्य संगठनों के साथ सदस्यता	0.00
			25. ऋण वसूली व्यय	0.00
			26. पुस्तकालय किताबें	0.54
			27. कंप्यूटर का रखरखाव	22.53

दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
ख) निजी निधि					
ग) किराए	0.00	0.00	28. वेधिग स्केल के लिए सेवा शुल्क	30.71	25.63
घ) परिसर पट्टा पर किराए	9.86	11.85	29. मुटा श्रामिक शुल्क	339.66	345.50
V. प्राप्त किया व्याज			30. अस्थायी संरचनाओं का निर्माण	0.00	0.00
1. बैंक में जमा राशि	3973.26	4122.26	31. मानव संसाधन विकास	0.00	5.61
2. ऋण और अग्रिम (अधिकारी)	1.84	3.51	32. ई-नीलामी प्रणाली का कार्यान्वयन	394.66	507.45
VI. अन्य आय			33. कार्यालय का स्वचालन (एमआईएस)		
1. गोथर पंजीकरण शुल्क (क्षेत्र, बार्न ऑपरेटर और नर्सरीमेन)	194.01	265.19	ऑनलाइन	3.01	1.99
2. निर्यातकों के पंजीकरण शुल्क	22.93	20.01	34. एफसीवी तम्बाकू का विनियमन और विकास	6.00	4.83
3. उत्पाद पंजीकरण शुल्क	17.34	13.79	35. विपणन सुविधाओं का कार्या. और रखरखाव	3.93	12.88
4. डीलर पंजीकरण शुल्क	10.29	12.26	36. विपणन सुविधाओं का कार्यान्वयन & रखरखाव	0.38	1.19
5. पैकर्स पंजीकरण शुल्क	0.38	0.55	37. गोथरों को वित्तीय राहत (फसल/बखार डामेज)	0.00	0.00
6. प्रोसेसर पंजीकरण शुल्क	2.34	1.34	38. किसान अध्ययन दूर : विदेश	0.00	0.00
7. वाणिज्यिक ग्रेडर्स पंजीकरण शुल्क	0.64	0.76	39. बाजार का सर्वेक्षण	0.00	0.00
8. निर्माणकर्ता पंजीकरण शुल्क	6.45	8.33	निर्यात प्रोत्साहन		
9. मूल्यवान प्रकाशनों की विक्री (टीजीपीबीएस)	4.49	9.61	40. विदेशों को व्यापार प्रतिनिधि मंडल	0.00	14.69
10. विविध आय	307.87	456.67	41. मेले और प्रदर्शनी (विदेश)	0.00	25.49
11. एफसीवी तम्बाकू पर सेवा शुल्क	5285.13	5895.49	अन्य		
12. पंजीकृत से @ 4% अंशदान	298.79	294.41	42. प्रसार और प्रचार	4.14	20.86
13. पंजीकरण गोथरों से अंशदान ₹ @ 6.5%	0.00	82.70	43. फार्म मशीनीकरण	0.00	0.00
14. एक किलो को अंशदान ₹ 2/-	635.60	680.29	44. एफसीवी तम्बाकू की उपज & गुणवत्ता की वृद्धि	118.23	165.75
पंजीकृत अपंजीकृत गोथरों से			45. क्यूरिंग प्रथाओं में सुधार	107.83	253.21
15. पंजीकृत अपंजीकृत गोथरों से 14% अंशदान	0.00	3671.44	46. एनटीआरएम और उत्पाद-अखंडता का उन्मूलन	38.36	52.98
			47. पीहेचपिएम उपाय-बल्किंग शेड/नमूना भंडारण सुविधाएं	1.65	2.36
			48. अन्य विस्तार कार्यक्रम	23.60	32.41

दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	(राशि ₹ लाख में)			
	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष पूर्व वर्ष
16. पंजीकृत & अपंजीकृत गोययों से 9% अंशदान	1998.28	0.00	49. ऑन-फार्म टेस्ट और प्रायोगिक परीक्षण	20.41 13.75
17. खरीदारों प्राधिकरण शुल्क	5.02	5.89	50. नमूना परियोजना क्षेत्र	10.60 9.87
18. कर्मचारियों के लिए ऋण और अग्रिम	13.33	16.99	51. तम्बाकू गोयय कल्याण निधि (बोर्ड का हिस्सा)	59.11 88.06
19. कृषकों को ऋण & अग्रिम	0.00	0.00	52. वाणिज्यिक कर दंड और व्याज	0.52 0.00
VII. उधार ली गई राशि			53. सेवा कर, जुर्माना और व्याज	21.88 0.03
VIII. कोई अन्य रसीदों	0.00	0.00	III. विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधि के खिलाफ किए गए भुगतान	0.00 0.00
1. अन्य देनदारियां	793.12	910.11	III. अनुदान और सब्सिडी पर व्यय	0.00 0.00
2. एसीटीओ और अन्य के साथ जमा	66.57	9.24	IV. निवेश और जमा	
			क) नियत जमा	
			i) वा.प्रचालनों के लिए मार्जिन धन (व्यापार स्कंध के लिए अनुदान)	2601.66 2433.01
			ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	1858.61 2189.93
			iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	16524.73 14958.32
			iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन फंड	22.39 22.97
			v) तम्बाकू उत्पादक कल्याण निधि योजना	5841.32 5570.88

दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	(राशि ₹ लाख में)	
				चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
			ख) अन्य भुगतान		
			i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान)	0.00	0.00
			ii) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि	1009.66	1014.16
			iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि	3618.02	4586.36
			iv) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि	161.31	139.42
			ii) निजी निधि	0.00	0.00
			v) तम्बाकू ग्रायर कल्याण निधि योजना	804.40	745.15
			V. निश्चित संपत्ति पर व्यय & प्रगताधीन कार्य		
			1. निश्चित संपत्तियों की खरीद	22.85	52.85
			2. अग्रिम कैलिए		
			क) सीपीडब्ल्यूडी	883.55	579.86
			ख) रैट्स	0.00	
			3. प्रगताधीन कैपिटल कार्यों पर व्यय	0.00	0.00
			VI. अधिशेष धन/ऋण की वापसी	0.00	0.00
			VII. वित्तीय शुल्क (व्याज)	0.00	0.00
			VIII. अन्य भुगतान :		
			1) कर्मचारियों को ऋण और अग्रिम	21.67	12.58
			2) किसानों को ऋण और अग्रिम	0.00	0.00
			3) अन्य देनदारियाँ	1108.94	6485.82
			4) एसिटिओ और अन्य के साथ जमा	46.87	90.97

दि. 31 मार्च, 2021 को समाप्त अवधि / वर्ष के लिए प्राप्तियाँ एवं भुगतान

प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष	भुगतान	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
			IX. अन्तशेष क) बैंक शेष 1. चालू खाताएँ 2. जमा खाताएँ 3. बचत खाताएँ	2873.32 60111.11 0.00	3168.38 60966.99 0.00
			ख) उद्दिष्ट / राजस्व निधि 1. चालू खाताएँ i) वा. प्रचालनों के लिए मार्जिन राशि (ट्रेडिंग विंग के लिए अनुदान) 2. जमा खाताएँ 3. बचत खाताएँ i) तम्बाकू बोर्ड के कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि ii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि iii) तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नई पेंशन निधि iv) तम्बाकू ग्रांथर कल्याण निधि योजना	0.10 0.00 3.87 4.90 7.67 205.33	0.05 0.00 10.16 4.74 12.59 228.31
कुल	110446.77	115603.62	कुल	110446.77	115603.62

ह/- XX XX XX
(के. मधुसूदन राव)
सचिव (प्रभारी)

ह/- XX XX XX
(अहकी श्रीधर बाबू)
कार्यपालक निदेशक

1. वाणिज्यक प्रचालनों के लिए मार्गिन राशि (व्यापार रकम को अनुदान सहायता) लेखा
(₹ लाखों में)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद (चालू खाता) (एस वि आई, गुण्टूर)	0.05	0.05
ख.	निवेश (मीआदी जमा)	2433.01	2266.95
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्बें खाता पर व्याज)	168.70	166.06
	ख) प्राप्त अनुदान	0.00	0.00
	ग) अन्य प्राप्तियाँ	0.00	0.00
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	2601.76	2433.06
ग.	भुगतान		
	क) निकासी	0.00	0.00
	ख) अन्य भुगतान	0.00	0.00
घ.	अन्तशेष		
	क. निवेश (मीआदी जमा)	2601.66	2433.01
	ख) बैंक में नकद (चालू खाता) (एस वी आई, गुण्टूर)	0.10	0.05
	कुल भुगतान (ग + घ)	2601.76	2433.06

2. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी सामान्य भविष्य निधि लेखा
(₹ लाखों में)

क्र.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष		
	क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एसवीएच, गुण्टूर)	10.16	8.33
ख.	निवेश (मीआदी जमा)	2189.93	2391.27
ख.	प्राप्तियाँ		
	क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बर्बें खाता पर व्याज)	133.39	159.02
	ख) अंशदान	538.66	655.39
	ग) सा भ नि अग्रिम की वसूली	0.00	0.25
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	2872.14	3214.26
ग.	भुगतान		
	क) निकासी	1009.66	1014.16
	ख) भुगतानित अग्रिम	0.00	0.00
घ.	अन्तशेष		
	क) निवेश (मीआदी जमा)	1858.61	2189.93
	ख) बैंक के नकद (बचत खाता) (एस वी आई - गुण्टूर)	3.87	10.16
	कुल भुगतान (ग + घ)	2872.14	3214.26

3. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी पेंशन निधि लेखा

(₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष	पूर्व वर्ष
क.	अथशेष क) बैंक में नकद बचत खाता (एस बि आई, गुण्टूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	4.74 14958.32	4.55 15577.02
ख.	प्राप्तियाँ क) निवेशों से आय (मीआदी जमा बवें खाता पर व्याज) ख) पेंशन निधि अंशदान	1184.58 4000.00	967.86 3000.00
	कुल प्राप्तियाँ (क+ख)	20147.64	19549.43
ग.	भुगतान क) एल आई सी द्वारा क्रयित पेंशन वार्षिकी ख) बैंक प्रभार	3618.02 0.00	4586.36 0.00
घ.	अन्तशेष क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई, गुण्टूर)	16524.72 4.90	14958.33 4.74
	कुल भुगतान (ग+घ)	20147.64	19549.43

4. तम्बाकू बोर्ड कर्मचारी नया पेंशन योजना लेखा

(₹ लाखों में)

क्रं.स.	विवरण	चालू वर्ष(₹)	पूर्व वर्ष (₹)
क.	अथशेष क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	12.59 22.97	0.61 27.87
ख.	प्राप्तियाँ क) निवेशों से आय (मीआदी जमा & बवें खाता पर व्याज) ख) पेंशन निधि अंशदान	2.52 153.29	2.24 144.26
	कुल प्राप्तियाँ (क + ख)	191.37	174.98
ग.	भुगतान एनएसडिएल, मुंबई को प्रेषित राशि (पेंशन अंशदान) ख) अन्य भुगतान (एनपीएस पदाधिकारियों को रिफंड)	161.31 0.00	134.70 4.71
घ.	अन्त शेष क) निवेश (मीआदी जमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस बि आई गुण्टूर)	22.39 7.67	22.97 12.60
	कुल भुगतान (ग + घ)	191.37	174.98

5. तम्बाकू ग्रोयर कल्याण निधि योजना लेखा

क्र. सं.	विवरण	चालू वर्ष			पूर्व वर्ष			(₹ लाखों में)
		आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	आन्ध्र प्रदेश	कर्नाटका	कुल	
क.	अथशेष क) बैंक में नकद (बचत खाता) (एस वि आई गुण्टूर) (एस बी एम, बेंगलूर) ख) निवेश (मीआदी जमा)	61.49 3528.51	166.81 2042.36	228.30 5570.87	70.97 3246.52	84.86 2013.65	155.83 5260.17	
ख.	प्राप्तियाँ : क) निवेशों से आय (मीआदि जमा और बचत खाता) ख) ग्रोयर अंशदान ग) तम्बाकू बोर्ड अंशदान घ) सदस्यता शुल्क नवीकरण ङ) स्वीपिंग का ग्रोयर हिस्सा च) जुर्माना छ) ऋणों पर व्याज ज) विविध रसीद झ) ग्रोयर अंशदान (बेकइन् रजि.) ञ) विवाह ऋण ट) शिक्षा ऋण ठ) प्रधान वीमारी ऋण ड) बखार डामेज ऋण	244.89 13.02 29.11 187.46 0.00 0.28 0.00 0.00 5.90 2.85 4.96 1.10 0.20	131.32 22.15 30.00 194.84 7.74 0.03 0.00 2.02 3.14 123.29 11.33 1.84 34.41	376.21 35.17 59.11 382.30 7.74 0.31 0.00 2.02 9.04 126.14 16.29 2.94 34.61	254.85 19.77 46.96 189.01 26.58 0.21 0.00 0.00 0.00 2.70 4.19 1.30 1.45	141.32 13.70 41.10 229.57 8.46 0.00 0.00 2.91 0.00 112.04 9.85 1.90 20.46	396.17 33.47 88.06 418.58 35.04 0.21 0.00 2.91 0.00 114.74 14.04 3.20 21.91	
	कुल रसीद (क + ख)	4079.77	2771.28	6851.05	3864.51	2679.82	6544.33	
ग.	भुगतान क) ग्रोयर्स को मृत्यु राहत ख) विवाह ऋण ग) शिक्षा ऋण घ) प्रधान वीमारी ऋण ङ) बखार डामेज ऋण	302.20 1.50 1.00 0.50 0.00	360.90 115.00 6.00 1.50 15.80	663.10 116.50 7.00 2.00 15.80	265.50 4.50 3.50 1.00 0.00	313.20 97.55 12.20 1.50 46.20	578.70 102.05 15.70 2.50 46.20	
घ.	अन्तशेष क) निवेश (मीआदीजमा) ख) बैंक में नकद (बचत खाता) (एसबीआई, गुण्टूर) (एसबीएम, बेंगलूर)	3743.08 31.49	2098.24 173.84	5841.32 205.33	3528.52 61.49	2042.36 166.81	5570.88 228.30	
	कुल भुगतान (ग + घ)	4079.77	2771.28	6851.05	3864.51	2679.82	6544.33	

2009-10 से 2020-21 तक गैर-योजना और योजना के अंतर्गत निधि गति स्थिति दर्शानेवाला विवरण

(₹ लाखों में)

क्र.सं.	विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
1	अथशेष (योजना & गैर-योजना)	18868.34	22721.86	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64	58886.19	61493.09
2	प्राप्तियाँ क) गैर-योजना ख) योजना	11900.92 0.00	11689.90 0.00	15650.73 0.00	11541.65 0.00	15083.54 0.00	16581.13 0.00	15387.68 0.00	14399.60 0.00	14477.23 0.00	15395.93 0.00	15558.10 0.00	12777.00 0.00
3	सहायता अनुदान क) गैर-योजना ख) योजना	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00	0.00 0.00
4	कुल (आई ई बी आर) (1 से 3)	30769.26	34411.76	41519.08	45948.02	51626.35	57965.79	63083.86	66298.66	69178.44	71184.57	74444.29	74270.09
5	व्यय क) गैर-योजना ख) योजना	1703.68 6,343.72	1148.77 7394.64	1565.04 5547.67	2054.13 7351.08	2061.98 8179.71	1728.82 8540.79	634.50 10550.30	748.37 10849.08	13389.80 0.00	12298.38 0.00	12951.20 0.00	13631.81 0.00
	कुल व्यय (5)	8047.40	8543.41	7112.71	9405.21	10241.69	10269.61	11184.80	11597.45	13389.80	12298.38	12951.20	13631.81
6	अन्वशेष (4-5)	22721.86	25868.35	34406.37	36542.81	41384.66	47696.18	51899.06	54701.21	55788.64	58886.19	61493.09	60638.28

संकेताक्षर

आं.प्र
एपीएफ/ए.पी.एफ
औ.मू.
बीएटी
बीजी
सीएसीपी
सीबीएस
सीएमओ
सीपीडब्ल्यूडी
सीपीए'एस
सीटीआरआई
इएलएस
इयू
एफसीवी
जीआई
जीआरएल
जीएसपी
हेचए/हे.
आईएलटीडी
आईपीएम
आईएसओ
आईटीए
आईटीसी
आईटीडीए
केके के.के
केएल एस
एलएसआई
एम.के.जीएस/एम.के.जीएस
एमइपी
एमजीपी
एमकेटीडी.
एमपीए
एमएसपी
एनबीएस
एनएपीहेचएम
एनएलएस
एनपीवी
एनटीआरएम
ओएफटी'एस
ओएलआईसी
पीहेचपीएम
क्यूटीवाई.
आरसीएमसी
आरएटीइएस
एसएलएस
एसबीएस
एसटीएल
टीबीएस
टीओएलऐसी
टीक्यूसी
यूएइ
यूके
यूएस

आन्ध्र प्रदेश
नीलाम प्लैटफार्म
औसत मूल्य
ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको
बैंक गारंटी
कृषि लागत और मूल्य आयोग
केन्द्रीय काली मिट्टी
आम बाजार संगठन
केंद्रीय लोक निर्माण विभाग
फसल सुरक्षा एजेंट
केंद्रीय तम्बाकू अनुसंधान संस्थान
पूर्वी हल्की मिट्टी
यूरोपीय संघ
फ्लू कूरिड वर्जीनिया
गाल्वनैजिड आईरन
गाइडेंस अवशिष्ट स्तर
सामान्यीकृत प्राथमिक प्रणाली
हेक्टर
भारतीय पत्ता तम्बाकू डिवीजन
एकीकृत कीट प्रबंध
अंतर्राष्ट्रीय प्रमाणन संगठन
भारतीय तम्बाकू संघ
भारतीय तम्बाकू कंपनी
भारतीय तम्बाकू डीलर संघ
कर्नाटका
कर्नाटका हल्की मिट्टियाँ
स्थायी निर्देश के पत्र
मिलियन किलोग्राम
न्यूनतम निर्यात मूल्य
न्यूनतम गारंटी मूल्य
विपणित
मोडल परियोजना क्षेत्र
न्यूनतम समर्थन मूल्य
उत्तरी काली मिट्टी
राष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य प्रबंध संस्थान
उत्तरी हल्की मिट्टी
न्यूक्लियर पालि हेन्डासिस वैरस
गैर तम्बाकू से संबंधित सामग्री
आन-फार्म परीक्षण
राजभाषा कार्यान्वयन समिति
फार्म हार्वेस्ट उत्पाद प्रबंध
परिमाण
पंजीकरण-सह-सदस्यता प्रमाण पत्र
रेल इंडिया टेक्निकल एंड और आर्थिक सेवाओं
दक्षिणी हल्की मिट्टी
दक्षिणी काली मिट्टी
मिट्टी परीक्षण प्रयोगशाला
पारंपरिक काली मिट्टी
नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति
तम्बाकू गुणवत्ता मंडल
संयुक्त अरब अमीरात
यूनाइटेड किंगडम
अमेरिका

The preferred choice world wide

CHOICEST TOBACCOS VALUE FOR MONEY

With its diverse range of tobaccos, consistent volumes and favourable quality-price ratio, Indian tobacco is the preferred choice of all world major cigarette manufacturers.

Sustainable Tobacco Production program, Natural farming initiatives for Organic FCV Tobacco Production, state-of-art processing facilities have placed India as the favoured destination of the world cigarette industry for compliant and quality tobaccos.



TOBACCO BOARD INDIA

Ministry of Commerce & Industry
Dept. of Commerce, Government of India

Guntur - 522 004 (A.P.) India | Ph:+91 863 2358068, 2358399 | Fax:+91 863 2354232
e-mail : info@tobaccoboard.co.in | exports@tobaccoboard.co.in | website: www.tobaccoboard.com



भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग

गुण्टूर - 522 004 (आ.प्र), इंडिया

फोन : +91 863 2358068, 2358399 | फैक्स : +91 863 2354232
ई-मेल : info@tobaccoboard.co.in | वेबसाईट : www.tobaccoboard.com